खण्ड-293, अंक-7
सोमवार, 20 पौष, शक संवत् 1893
(10 जनवरी, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 293 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	947–951
प्रश्नोत्तर	951–981
उत्तर प्रदेश विधान सभा की (1971-72) की नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	981
उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	981–982
संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 (पटल पर रखा गया)	982
राज्य कर्मचारियों, गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की घोषणा	982–985
उजियारघाट, जिला बलिया के घाट को एक व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिये दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन	985
गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट में पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिये प्रस्ताव (स्वीकृत)	985–986
प्रश्नों के असन्तोषजनक उत्तर देने के सम्बन्ध में शिकायत	986–987
लैन्ड सीलिंग तथा अर्बन प्रापर्टी सीलिंग सम्बन्धित विधेयक लाने की मांग	987
नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	987–988
सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी	988–989
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1971 (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय, विवाद जारी)	989–990
बंग बन्धु शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई एवं भारत भूमि पर स्वतन्त्र बंगला देश के राष्ट्रपति के रूप में आगमन पर बधाई का प्रस्ताव (सर्व सम्मति से स्वीकृत)	990–999
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1971 (पारित)	999–1016
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971 (विचारोपरान्त पारित)	1016–1023
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1023
काशी विश्वविद्यालय में अशान्ति की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा ..	1023–1050
तिथियां	1051–1058

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 10 जनवरी, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में, 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--371

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, शेरवानी, श्री
अब्दुर गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे श्री,
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अहमद लूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री

कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णाकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यांदव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त, ओझा श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जटाव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपालसिंह 'कृषण' श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
(जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ , श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो यादय, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाव, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
याइवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणजंय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजा राम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजे द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ला, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री

रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़) फूलपुर
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुरसिंह, श्री
लालसा, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री

शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह भानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर,
सुखबीर, श्री
सुखपाल पान्डेय, श्री
सुखबाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंस राज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीब उल्ला, बेगम
हरनरायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, सूचना राज्य मंत्री भी उपस्थिति थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १० जनवरी, १९७२

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

बलिया जिले में रबी की सिंचाई के लिये समय से पानी न मिलने की शिकायत

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार को जानकारी है कि बलिया जिले में नहरों में पानी इस वर्ष रबी की बोआई हेतु 25 नवम्बर के बाद दिया गया है जिससे किसानों में चतुर्दिक हाहाकार मचा हुआ है ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है और सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा विचार कर रही है ?

सिंचाई उप मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---पानी की मांग होने पर नहर ठीक समय पर चला दी गई । विलम्ब का प्रश्न नहीं है । कृषकों में किसी प्रकार की असन्तोष की सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

तृतीय भाग---प्रश्न नहीं उटता है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि रबी की बुआई 15 अक्तूबर से ही प्रारम्भ हो जाती है और गेहूं बोने के पहले और बाद में भी पानी की आवश्यकता होती है । तब 25 नवम्बर के बाद नहर चले तो क्या बतायेंगे कि किसानों को पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

किसानों से पानी की मांग आती है तभी पानी दिया जाता है । मांग जब आई थी तभी पानी दिया गया ।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, दोहरीघाट की नहर से जो सिंचाई आजमगढ़ जिले में होती है वहां पर किसानों के मांगने के बावजूद भी उनको पानी दिसम्बर में दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बलिया जिले के लिये सवाल है ।

श्री हबीबुर्रहमान---

दोहरी घाट जो नहर है उसका कुछ पानी आजमगढ़ में और कुछ बलिया में जाता है ।

श्री वीर बहादुर सिंह---

इसकी कोई सूचना नहीं है कि आजमगढ़ से मांग आई और पानी नहीं दिया गया । जहां से मांग आई थी वहां पर तुरन्त पानी दिया गया ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि नहर चलाने का कोई नियम है कि रबी के महीने में इस तारीख से इस तक नहर चलेगी और खरीफ में इस तारीख से इस तारीख तक चलेगी । या वह लोगों के मांग पर ही चलाई जाती है ।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामलखन)---

आम तौर पर नहरें जब किसानों को जरूरत होती है तब पम्प नहरें खोल दी जाती हैं । रबी की बुवाई के बाद पानी की आवश्यकता होती है तब खोल दी जाती हैं रबी की सिंचाई के लिये ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

बलिया जिले में जो नहरें निकली हुई हैं वे कुछ तालाब से निकली हुई है और कुछ नदियों से । तो माननीय मन्त्री जी कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि वे कौन से तालाब हैं और कौन सी नदियां हैं जहां से वे नहरें निकली हैं ?

श्री रामलखन---

इस प्रश्न में तो दोहरीघाट नहर का जिक्र है। बाकी नहरों की हमारे पास इन्फा-मेंशन नहीं है।

श्री हबीबुर्रहमान---

माननीय मन्त्री जी मेरी इस सूचना को सही मानकर कि दोहरीघाट नहर आजमगढ़ जिले में किसानों को पानी दिसम्बर के आखिर में दिया गया है इससे फसलों को नुक्सान पहुंचा है। क्या मन्त्री जी इंक्वायरी करायेंगे कि क्या यह सही है कि बलिया और आजमगढ़ के लिये जो पानी का बंटवारा होता है तो पन्द्रह दिन बलिया की ओर पन्द्रह दिन आजमगढ़ को दिया जाता है। इससे किसानों को नुकसान पहुंचता है। क्या सरकार व्यवस्था करेगी कि बजाय पन्द्रह दिन के दस दिन की तारीख मुकर्रर कर दी जाय ताकि किसानों को इस सम्बन्ध में सुविधा हो जाय ?

श्री रामलखन---

बलिया और आजमगढ़ के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से नहरें चलायी जाती हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या बलिया जिले में सुरहाताल पम्प नहर भी है और अगर है तो वह नहर कब चलायी गयी और अगर नहीं चलाई गयी तो उसके कारण वहां इतना पानी भर गया कि किसानों को क्षति पहुंची ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह व्यापक प्रश्न है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह प्रश्न पूरे बलिया से सम्बन्धित है। आप प्रश्न देख लें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि बलिया जिले में नहरों में पानी...

श्री कल्पनाथ सिंह---

किसी एक नहर का प्रश्न नहीं है।

श्री रामलखन---

उसके लिये सूचना की जरूरत है।

अलीगढ़ शहर में जिलाधिकारी द्वारा विजय जलूस निकालने की अनुमति वापस लेना

** 2---श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 25 दिसम्बर, 1971 को अलीगढ़ शहर में विजय जुलूस निकालने की भव्य तैयारियां जब हो रही थीं उस समय नगर के कुछ लोगों ने जिलाधिकारी को यह कहा कि यदि जुलूस में पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाये गये तो अन्जाम अच्छा न होगा ? इस पर जिलाधिकारी ने जुलूस निकालने की अनुमति वापस ले ली जिससे जनता में घोर रोष और असन्तोष व्याप्त है तथा शासक कांग्रेस के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता भूख-हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो तत्काल क्या कार्यवाही की गई ?

गृह उप मन्त्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)---

अलीगढ़ शहर में दिनांक 25 दिसम्बर, 1971 को नहीं बल्कि 24 दिसम्बर, 1971 को सिटीजन्स फोरम द्वारा विजय जुलूस निकाला जाने वाला था। यह सही नहीं है कि उक्त जुलूस के निकाले जाने की अनुमति इसलिए वापस ले ली गई क्योंकि कुछ लोगों ने यह कहा था कि यदि जलूस में पाकिस्तान विरोधी नारे लगाये गये तो अंजाम अच्छा न होगा। अनुमति तो जलूस के आयोजनकर्ताओं की सहमति से वापस ली गयी थी। यह सही नहीं है कि जुलूस निकालने की अनुमति वापस लिये जाने के फलस्वरूप जनता में घोर रोष और असन्तोष व्याप्त है तथा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्त्ताओं ने भूख हड़ताल इस कारण की थी। वास्तव में कांग्रेस के लोग अलग से जुलूस निकालना चाहते थे, किन्तु उन्हें व्यवस्था की दृष्टि से अनुमति नहीं दी गई। इसलिये उन्होंने भूख हड़ताल कर दी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अलीगढ़ से जो दैनिक पत्र "दैनिक प्रकाश" निकलता है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। 23 दिसम्बर, 1971 को उस पत्र में छपा है कि "आल इंडिया सिटीजन फोरम की ओर से बंगला देश की मुक्ति और भारत की विजय के उपलक्ष में एक जुलूस 24 दिसम्बर को दोपहर 2 1/2 बजे ऊपर कोट कोतवाली से शुरू होकर नगर के मुख्य-मुख्य मार्गों पर होता हुआ साढ़े चार बजे गांधी पार्क में सभा के रूप में परिवर्तित होगा। जुलूस में सम्मिलित होने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संस्थाओं, प्रगतिशील संगठनों को आमंत्रित किया गया है। आम सभा में हर विचारधारा के प्रमुख वक्ताओं को बोलने का अवसर दिया जायगा · · · ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो सही है लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न करें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मैं बीच में छोड़े देता हूं। आखिर का हिस्सा पढ़ रहा हूं जिसमें यह है कि "जय इंदिरा, गांधी की जय, राष्ट्रीय एकता जिन्दाबाद, हम सब एक हैं जैसे नारे लगाये जायेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद या पाकिस्तान को कुचल डालो जैसे नारे कोई नहीं लगायेगा।" यह 23 तारीख को निकला तो जिलाधीश ने क्यों नहीं बैन किया और 25 तारीख को क्यों बैन किया नमाज के बाद ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

२२ तारीख को सिटीजन फोरम के लोगों को अनुमति दी गयी और २३ तारीख को कांग्रेस के लोगों ने अनुमति मांगी। समय और जुलूस जाने का मार्ग एक ही था। ऐसी स्थिति में जिलाधीश ने कहा कि पहले सिटीजन फोरम को जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। उनको जुलूस निकालने दें और आप भी उसमें सम्मिलित हो जायं। लेकिन वे उसमें सम्मिलित नहीं हुये। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह स्वीकार कर लिया कि मुझे उसमें आपत्ति नहीं है कि हम अपना जुलूस निकालना ड्राप कर दें। लेकिन कांग्रेस के कुछ और लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुये। वे एक स्थान पर एकत्र हुए जहां भीड़ एकट्ठा हो गई और वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाये गये। इस बात की सूचना मिली कि अगर पहले वाला जुलूस निकाला जायगा तो शांति भंग होने की आशंका है। जहां से जुलूस प्रारम्भ होने वाला था वहां पर एक मस्जिद थी और कुछ अल्पसंख्यक लोग भी थे। यह समझकर कि ऐसे जुलूस में ऐसे लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं जो कि साम्प्रदायिक भावना को नहीं बनाये रखना चाहते पहले जुलूस को भी निकाला जाय। सिटीजन फोरम के लोगों ने उस रिक्वैस्ट को स्वीकार कर लिया और अपना जुलूस नहीं निकाला।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य से संबंधित अभी जैसा आपने कहा कि 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे कुछ लोगों ने लगाये, तो क्या यह सही है कि 'पाकिस्नात मुर्दावाद' के नारे इसलिये लगाये गये कि 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगाये गये ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह पता है कि जिलाधिकारी अलीगढ़ ने एक प्रेस इन्टरव्यू अमर उजाला को देते हुए सरकार को लिखा है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि सिटीजन्स फोरम और कांग्रेस के लोगों में आपसी विवाद है जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है?

मुख्य मंत्री (कमलापति त्रिपाठी)--

अलीगढ़ के कलेक्टर की मुझसे बात हुई । मैंने उनको बुलाया भी था । और कांग्रेस कमेटी के लोगों से तथा श्री रवीन्द्र ख्वाजा, सिटीजन फोरम से भी बात हुई है । असल में अलीगढ़ की स्थिति थोड़ी- बहुत तनावपूर्ण रहती है, यह बात हम सब जानते है और अभी साल भर हुआ पार्लियामेंट के चुनाव के समय की घटना से हम सभी परिचित हैं । वहां अभी कमीशन बैठा हुआ है । इस बात को भी इस सदन के आदरणीय सदस्य भली भांति जानते है कि वहां गवाहियां बराबर हो रही हैं । कमीशन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और इसमें करीब 2–3 महीने लगेंगे यह कमीशन वहां हुए दंगे की जांच कर रहा है और जो गवाहियां होती होंगी इसकी कल्पना आप लगा सकते हैं । ऐसी हालत में वहां तनाव की स्थिति बनी रहती है । एक जुलूस सिटीजन फोरम निकालने वाला था और उसके जो संयोजक थे उन्होंने एक वक्तव्य में इस आशय का दिया कि इस जुलूस में 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे आदि नहीं लगाये जायेंगे । खाली विजय का जुलूस निकलेगा । जिस समय उनका जुलूस निकलने वाला था एक दिन पहले वहां शहर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने कहा कि हमारा भी जुलूस निकलेगा । अब कलेक्टर के सामने यह समस्या आई कि पहले जो जुलूस निकलने वाला था उसमें कह ही दिया गया था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाये जायेंगे और दूसरी तरफ यह तनाव था कि यह रुकावट क्यों डाली जा रही है । ऐसी स्थिति में जैसा होता है, कलेक्टर ने यह कोशिश की कि जुलूस एक हो जाय। हालांकि श्री रवीन्द्र ख्वाजा ने इस बात को कहा कि ऐसी कोई रुकावट नहीं डाली गई । लेकिन किसी प्रकार से यह हुआ कि दोनों तरफ के लोग एलान कर चुके हैं, इसलिये दोनों ही जुलूस निकाले जांय । अब वहां के अधिकारियों के सामने यह सवाल आया कि चूंकि वहां की स्थिति तनावपूर्ण थी, कहीं कोई खुराफात न हो जाय । उन्होंने उन लोगों को बुलाकर कहा कि टाईमिंग्स बदल लो या रास्ता बदल लो । तो न तो रास्ता ही बदला गया और न टाईमिंग्स ही । कुछ लोगों ने इसको उचित नहीं समझा कि उनसे टाईमिंग्स बदलने को कहा जा रहा है, इस लिये 2- 4 आदमियों ने कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने भूख हड़ताल कर दी । ऐसी स्थिति में लाचार होकर और यह देखकर कि ऐसा न हो कि इससे परिस्थिति कुछ बिगड़े, कलेक्टर ने दोनों की ही जुलूस निकालने से रोक दिया । यह परिस्थिति वास्तव में हुई और कुछ लोगों की राय यह भी थी कि ठीक ही हुआ । आमतौर से जैसा होता है कि, और भी जगह जुलूस निकला तो करीब-करीब सर्वदलीय जुलूस होता था सिटीजन फोरम की ओर से, और उसमें हर प्रकार की राजनीतिक विचार के लोग इस जुलूस में शरीक होते थे । लेकिन वहां परिस्थिति ऐसी हो गई कि अलीगढ़ जिले के अधिकारी ने इसको रोक देना ही उचित समझा कि थोड़ी-बहुत नाराजगी ही होगी, बरदाश्त कर ली जायेगी । लेकिन अगर निकालने देते हैं तो वहां की स्थिति में किसी प्रकार की बात पैदा हो गई तो वातावरण खराब हो जायेगा, इसलिये उन्हें रोक दिया गया ।

सूचना निदेशालय के कर्मचारियों का वेतनमान विभागाध्यक्ष के कार्यालय के कर्मचारियों के समान करने की वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिश

**3--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि राज्य के सूचना निदेशालय के कर्मचारियों के वेतन-मान वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के बाद 1 अप्रैल, 1965 से सचिवालय वेतन-मान से घटा कर 'सी' श्रेणी के विभागाध्यक्षों के कर्मचारियों के वेतन-मान के समान कर दिये गये हैं, जिससे वहां के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ मिलना बन्द हो गया है और उनको शेष सेवा काल में उतना ही वेतन मिलता रहेगा, जितना आज मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या उसको परिवर्तित करने का विचार है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्रीपुरुषोत्तम दास टंडन)--

जी हां। वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिश के बाद सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के सचिवालय वेतनमान 1-4-65 से घटाकर विभागाध्यक्ष के कार्यालय के कर्मचारियों के वेतनक्रम के समान कर दिये गये हैं जिससे कुछ कर्मचारियों को वेतन वृद्धियों का लाभ नहीं मिल रहा है। इस विषमता को दूर करने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि इस विषमता को दूर करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग के सभी मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को सचिवालय के वेतनमान दिये जायेंगे तथा निदेशालय को पुराना स्टेट्स वापस किया जायगा ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन--

मान्यवर, अभी यह निश्चय किया गया है कि जितने लोग सेक्रेटेरियट में खप जायं उनको वहां खपाया जाय और यह मामला कैबिनेट के सामने जाये और तीसरा पे कमीशन जो बैठा हुआ है उसके सामने पेश होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बनाने की कृपा करेंगे कि यह जो परिवर्तन किया गया है उससे इन कर्मचारियों के वेतन में और यहां सचिवालय में उसी श्रेणी में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कितना अन्तर था ?

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन--

मान्यवर, पूरे उत्तर के लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन सेक्रेटेरियट के जो एम्पलाइज हैं वह कमीशन से चुने जाते हैं और जो डायरेक्टरेट के एम्प्लाइज हैं वह डायरेक्टरेट द्वारा चुने जाते हैं। उनकी सैलरी में थोड़ा सा फर्क है। उसके डिटेल के लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार कर लिया है कि निदेशालय के कर्मचारियों और सचिवालय के कर्मचारियों को समान वेतन मिले ?

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन—

सेक्रेटेरियट स्केल्स हुये थे यह निश्चय कर लिया गया है कि उनको वही स्केल्स मिलना चाहिये।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर के समय माननीय मंत्री जी ने दो प्रकार के बयान दिये कि सरकार विचार कर रही है और दूसरे में यह कि तृतीय वेतन आयोग बैठा हुआ है उसके सामने यह मामला रख दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके कारण कितने कर्मचारी प्रभावित हुये और कितने कर्मचारियों का वेतनक्रम घट गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न तो व्यापक प्रश्न है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उन्होंने वह पत्र देखा है जिसमें वित्त विभाग ने बार-बार मुख्य मंत्री जी के निर्णय के बाद आपत्ति की है और उसको देखने के बाद, वित्त विभाग का परिपत्र देखने के बाद उस पर कोई आपत्ति भेजी है ? क्या मुख्य मंत्री जी की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने अपनी स्वीकृति नहीं दी ?

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन—

फाइनेंस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के बीच में यह मामला बिलकुल तय हो चुका है। उस पर उनके हस्ताक्षर हो गये हैं कि उस स्केल में सेक्रेटेरियट में ले लिया जाय उसमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर के पुत्र का विभिन्न फर्मों में कथित साझा

*1—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री सुखपाल पान्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार जांच करवा कर यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या (1) ए० के० अग्रवाल एण्ड कम्पनी, रेलवेगंज, हरदोई, (2) अग्रवाल एन्ड कम्पनी, रेलवेगंज, हरदोई (3) सोनिया ट्रेडर्स, हरदोई (4) गर्ग इलेक्ट्रिक ऐन्ड पेन्टर्स कम्पनी, 90 ठाकुरगंज, लखनऊ, उपरोक्त चारों फर्म एक ही व्यक्ति की है और भिन्न नामों से काम करता है इसमें श्री हरी पाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत मण्डल, गोरखपुर के पुत्र का साझा है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

1—राज्य विद्युत परिषद् को इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रश्न में संदर्भित फर्में एक ही व्यक्ति की हैं अथवा नहीं। परिषद् में निम्नलिखित फर्में जो अलग-अलग सेल्स टेक्स के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं, कार्य कर रही हैं।

फर्म का नाम	सेल्स टेक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर
(1) ए० के० अग्रवाल, कान्ट्रेक्टर्स एन्ड सप्लायर्स, रेलवेगंज, हरदोई।	एच०डी० 1158

फर्म का नाम	सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर
(2) गर्ग इलेक्ट्रिक ऐण्ड पेन्ट्स स्टोर्स, हरदोई	एच०डी० 999
(3) सोनिया ट्रेडर्स, 90 ठाकुर गंज, लखनऊ इनके मालिकान के नाम इस प्रकार हैं :	एल०के० 6324
(1) ए०के० अग्रवाल, कान्ट्रेक्टर्स एन्ड सप्लायर्स, रेलवेगंज हरदोई ।	श्री ए०के० अग्रवाल, निवासी रेलवेगंज हरदोई ।
(2) गर्ग इलेक्ट्रिक एन्ड पेन्ट्स स्टोर्स, हरदोई	श्री अशोक कुमार अग्रवाल, निवासी रेलवेगंज, हरदोई ।
(3) सोनिया ट्रेडर्स 90 ठाकुरगंज, लखनऊ	श्री प्रेमचन्द गुप्ता, निवासी ठाकुरगंज, नगरिया थाना, सआदतगंज, लखनऊ ।
	श्री अशोक कुमार अग्रवाल — रेलवेगंज,
	श्री आदित्य कुमार अग्रवाल — हरदोई

अग्रवाल एन्ड कम्पनी नाम की कोई फर्म नहीं है। सोनिया ट्रेडर्स, लखनऊ में स्थित है। हरदोई में नहीं। इसी प्रकार गर्ग इलेक्ट्रिक ऐन्ड पेन्ट्र्स स्टोर्स, हरदोई में है और लखनऊ में नहीं है।

जहां तक श्री हरिपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता के पुत्र का फर्मों में साझे का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में श्री हरिपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया जिससे विदित हुआ कि इन फर्मों में उनके पुत्र का साझा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

तारांकित प्रश्न संख्या 1—माननीय मंजूर अहमद, श्री सुखपाल पाण्डे। माननीय विद्युत मंत्री जी।

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

(प्रश्न का उत्तर पढ़ा)

श्री मंजूर अहमद—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मंत्री जी कह रहे हैं कि चारों फर्मों के जो मालिक हैं उनके नाम तो बदले हुये हैं लेकिन हैं वे एक ही। क्या उनकी वल्दियत को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

श्री अशोक कुमार अग्रवाल और आदित्य कुमार अग्रवाल के पिता का नाम श्री चिरंजी लाल है। ये दोनों ही सगे भाई हैं परन्तु अलग-अलग रहते हैं और इनका बिजनेस भी अलग-अलग ही है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी इसमें जांच करवाने की कृपा करेंगे कि इन चारों फर्मों को कितने ऐसे टेन्डर्स या आर्डर्स माल सप्लाई करने के मिले हैं जिसकी हाइस्ट अथारिटी सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर हरपाल सिंह थे। क्या वे सभी कायदे के अनुसार आर्डर्स थे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जो भी उनको आर्डर्स मिले हैं वे सभी कायदे के अन्दर मिले हैं और उनमें से कोई भी बेकायदा नहीं मिला है। एस0ई0 के अधीनस्थ जो डिवीजन है उसमें पांच फर्में हैं। ये आर्डर्स लगभग चार करोड़ रुपयों के हैं ?

श्री मंजूर अहमद---

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो 3, 4 करोड़ रुपयों के आर्डर्स इन फर्मों को मिले हैं यह कब से कब तक मिले हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, आई एम सारी, करोड़ नहीं बल्कि लाख। यह आर्डर्स लगभग 4 लाख रुपयों के हैं। इनको अगस्त, 70 से अगस्त 1971 तक आर्डर्स दिये गये थे।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

राज्य विद्युत परिषद् को इसकी जानकारी नहीं है। तो क्या मंत्री जी इस बात की जांच करवाने की कृपा करेंगे कि क्या यह एक ही व्यक्ति की फर्म है अथवा अलग-अलग व्यक्तियों की है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जैसे ही उनकी ये शिकायतें आनी शुरू हुई सतर्कता आयोग से उनकी जांच करने का अनुरोध किया जा चुका है।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)---

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि चार फर्मों को ये आर्डर्स दिये गये हैं। इसके अलावा और कितनी फर्मों को आर्डर्स दिये गये और वे कितने कितने रुपयों के थे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह इस समय निश्चित रूप से कैसे कहा जा सकता है। इसके लिये तो सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी और जो इन फर्मों से सम्बन्धित सामिग्री थी वह एकत्रित की गई थी जिसकी सूचना दी जा चुकी है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या सरकार को यह मालूम है कि जिस अवधि में अधीक्षण अभिमन्ता श्री हरपाल सिंह गोरखपुर में थे वहां पर एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर मि० हसनेन भी थे और दोनों में झगड़ा था। अब दोनों की ही शिकायतें हैं। क्या एक ही ट्रीब्यूनल के जरिये दोनों की जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो दूसरा प्रश्न हो गया।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है और क्या इसकी जांच कराएंगे कि जितने आदेश श्री हरपाल सिंह ने दिये अपने कार्यकाल में उसके 80 प्रतिशत आर्डर्स इन्हीं फर्मों को दिए?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, पिछली बार माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था कि कितने आदेश उनको दिये गए। उस आधार पर सूचना एकत्रित की गयी है। कुल कितने आर्डर्स उस खंड में हुए और उसमें से कितने इनको दिये गये, इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, यह बहुत गम्भीर विषय है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो स्पष्टीकरण अधीक्षण अभियन्ता ने दिया है और जो उनसे पूछा गया है वह पढ़कर सुना दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

स्पष्टीकरण में यह पूछा गया कि उनके लड़कों का इसमे साझा है या नहीं.....

श्री त्रिवेणी सहाय--

पढ़कर सुना दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

वह पत्र तो श्रीमन्, उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो सूचना मिली उसमें यह है कि एक लड़का यहां मेडीकल कालेज का छात्र है, एक इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है और एक किसी छोटी कक्षा में पढ़ता है। तीनों लड़कों के बारे में यह सूचना दी है।

श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करगे कि जिन चार फर्म्स को वर्क आर्डर दिया गया है वह कितने-कितने रुपए का है और अधीक्षण अभियन्ता को कितने तक का आर्डर देने का अधिकार है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, उसका टोटल तो मैंने बता दिया है जो मेरे पास उपलब्ध है। अपनी सीमा के अन्दर ही अधीक्षण अभियन्ता आदेश दिया करते हैं। अधिक का जो आदेश देते हैं उसकी पहले से स्वीकृति ले लेते हैं।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह सारा प्रश्न हरपाल सिंह, एस०ई० के मिसयूज आफ पावर पर आधारित है। जो स्पष्टीकरण मंत्री जी ने मांगा है वह हरपाल सिंह जी से ही पूछा गया है। तो क्या मंत्री जी हरपाल सिंह जी के अलावा कलेक्टर द्वारा या किसी और सीनियर आफीसर द्वारा इस बात की जांच कराएंगे कि जो स्पष्टीकरण हरपाल सिंह जी ने दिया है वह सही है या उसके अन्दर कुछ गड़बड़ घोटाला है?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, अभी माननीय राज्य मंत्री जी ने सरकार की ओर से स्पष्ट कहा है कि इस प्रश्न पर सतर्कता से आयोग से इंक्वायरी के लिए कहा गया है। तो विजीलेन्स की इंक्वायरी तो एक प्रकार से सर्वोपरि जांच होती है। मैं समझता हूं कि उसका इन्तजार करना चाहिए।

श्री त्रिवेणी सहाय--

व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, कई बार सदन में यह बात कही गयी है कि प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट आना चाहिए.....

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर तो उन्होंने दिया है कि सतर्कता आयोग को दे दिया गया है। अब क्या चाहते हैं?

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, प्रश्न में ही लिखा है कि क्या सरकार जांच कर बताएगी और एक बार यह प्रश्न स्थगित भी हो चुका है क्योंकि जांच नहीं हुई थी, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी और उस अधिकारी की रिपोर्ट क्या है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

श्रीमन्, विद्युत परिषद्, ही माध्यम है जिससे यह सब जानकारी ली जाती है। जो प्रश्न था उसके सम्बन्ध में सारी चीजों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया गया है उन फर्मों का नाम, उन फर्मों के मालिकान के नाम और उन फर्मों को दिये हुए वर्क आर्डर सब बताये गये हैं। यही तो मुख्य सूचना थी। जहां तक लड़कों का प्रश्न है उसके संबंध में लड़कों के पिता से पूछा गया है। उन्होंने अपने लड़कों का पूरा विवरण दिया है। सारे लड़के विद्यार्थी अवस्था में हैं। सब से बड़ी चीज यह है कि मामला सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है और उनसे जांच के लिए प्रार्थना की गई है। अब तो मैं समझता हूं कोई शंका की बात नहीं रह जाती है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

पहले कहते हैं कि कोई गलती नहीं हुई है और फिर कहते हैं कि मामला विजिलेन्स को दे दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, अब नहीं।

[10 जनवरी, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्टैंडर्ड शराब मिल, उन्नाव के गोदामों पर आबकारी विभाग द्वारा कथित छापा

*1---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि स्टैन्डर्ड शराब मिल, उन्नाव के गोदामों में सन् 68-69 में एक्साइज विभाग द्वारा कोई छापा मारा गया था? यदि हां, तो कितनी नाजायज शराब पकड़ी गई?

आबकारी उप-मंत्री (श्री रामपूजन पटेल)---

जी नहीं, स्टैन्डर्ड शराब मिल, उन्नाव के गोदामों पर वर्ष 1968-69 में आबकारी विभाग द्वारा कोई छापा नहीं मारा गया। अतः नाजायज शराब पकड़े जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*2---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी इस मिल पर कुछ जुर्माना भी हुआ था जो बाद में वापस किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामपूजन पटेल---

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि वहां पर विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई जबकि तथ्य यह है कि कई लोग वहां पर मर भी गये थे । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में उनके पास कोई शिकायत आई थी ? यदि हां, तो उन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो मेरी सूचना को सत्य मानकर जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने सवाल किया है कि सन् 1968–69 में एक्साइज विभाग द्वारा कोई छापा मारा गया था । वे कहते हैं कि छापा नहीं मारा गया था ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

वहां पर अनेक प्रकार की अनियमितताएं हैं ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

सन् 1968–69 के बाद से आज तक कितने बार छापे मारे गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष —

यह तो दूसरा सवाल है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

इसकी जानकारी आबकारी मंत्री जी को है ।

आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है ।

उपमंत्री कारागार तथा श्री ईश्वर शरण सिंह, सदस्य विधान परिषद् की केन्द्रीय कारागार, वाराणसी की निरीक्षण रिपोर्ट

* 3—श्री सुखलाल पान्डेय, श्री रामकरन सिंह तथा (जिला गोरखपुर) श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी का निरीक्षण माननीय उपमंत्री कारागार ने दिनांक 14–8–71 को किया ? यदि हां तो क्या अनियमितताएं निरीक्षण में पाई गई हैं और किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही अब तक की गई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी का निरीक्षण उपमंत्री कारागार ने दिनांक 14 अगस्त, 1971 को नहीं किया ।

* 4—श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री रामकरन सिंह तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपमंत्री कारागार के निरीक्षण के पश्चात कोई अन्य माननीय सदस्य ने केन्द्रीय कारागार, वाराणसी का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो माननीय सदस्य की रिपोर्ट क्या है उसे तथा माननीय उप मंत्री की रिपोर्ट दोनों सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

उप मंत्री कारागार ने 14 जून, 1971 को निरीक्षण किया था और उसके बाद श्री ईश्वर शरण सिंह, एम०एल०सी० द्वारा केन्द्रीय कारागार, वाराणसी का निरीक्षण 16 जून, 1971 को किया गया। दोनों निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1051 पर)

श्री सुखलाल पाण्डेय--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उप मंत्री जी के निरीक्षण के पश्चात माननीय सदस्य को किस परिस्थिति में निरीक्षण करने की आवश्यकता पड़ी?

श्री उपाध्यक्ष--

इसे वे कैसे बता सकते हैं, अगर कोई अधिकृत अधिकारी है तो निरीक्षण करेंगे।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मैं पूछना यह चाहता हूं कि उप मंत्रीजी की तथा माननीय सदस्य की रिपोर्टों में कितना अन्तर है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

दोनों ही निरीक्षण रिपोर्टों को सदन के पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य ने उनका मिलान कर लिया होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उप मंत्रीजी के और माननीय सदस्य के निरीक्षण में कौन-कौन सी मुख्य त्रुटियां पाई गई हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

आबकारी उप मंत्री जी ने जो वहां कैश चेक किया और इन माननीय सदस्य ने जो कैश चेक किया उसमें डिफरेन्स था। माननीय सदस्य ने कहा है कि कैश ठीक था, जब कि माननीय उप मंत्री ने कहा है कि कैश कम था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जब कैश पूरा नहीं निकला तो क्या कैश को पुलिस को हैंडओवर किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिस वक्त उप मंत्री जी ने कैश चेक किया, उस वक्त सिटी मैजिस्ट्रेट और पुलिस को बुला कर उन्होंने उस कैश को दे दिया और सारे कागजात भी उनको दे दिये थे।

श्री रामकरन सिंह--

क्या किसी मेम्बर को यह अधिकार है कि वह वहां जाकर कैश को चेक कर सकें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जेल मैनुअल में कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है। मेम्बर किसी बात का मुआयना कर सकता है किन्तु गोपनीय पेपर्स नहीं देख सकता है। अब इसका कोई विश्लेषण नहीं है कि कैश गोपनीयता में आता है या नहीं। वैसे अगर कैश नहीं देख सकता हो तो वह रजिस्टर आदि तो देख ही सकता है। फिर भी वे वहां के अधिकारियों से पूछ कर ही वहां गये थे।

श्री रामकुमार शास्त्री---

ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी थी कि माननीय उप मंत्री को वहां का स्वयं दौरा करना पड़ा और देखना पड़ा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

वह उनका सरप्राइज विजिट था, यह उनकी ड्यूटी थी कि वे जेल का मुआयना आदि करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या यह सही है कि उस वक्त जेलर का ट्रांसफर भी कर दिया गया था किन्तु बाद को उसे रद्द कर दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

कोई तबादला नहीं किया गया, माननीय सदस्य का कहना गलत है। (व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह--

यह बताया गया कि 5,931 रुपया शार्ट था। तो वहां के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, अभी पुलिस उसकी जांच कर रही है, जब तक उसकी जांच रिपोर्ट न आ जाये किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करना ठीक नहीं है। जब जांच रिपोर्ट आ जायेगी तो देखा जायेगा।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी--

माननीय उप मंत्री के निरीक्षण के बाद माननीय सदस्य द्वारा दुबारा जांच की गई, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराएंगे कि दुबारा जो जांच की गई वह जेल अधिकारियों की साजिश से की गई, ताकि उनकी भूलों को छिपाया जा सके ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसकी जांच तो अभी नहीं हुई है कि दुबारा माननीय सदस्य ने क्यों इसका निरीक्षण किया। माननीय सदस्य ही बता सकते हैं कि कैसे वह वहां पहुंच गये।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)---

उप मंत्री जी और माननीय सदस्य की रिपोर्ट में माननीय मंत्री जी किसको सही मानते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह जांच न हो रही होती तो मैं अपनी राय दे सकता था, किन्तु वह राय के लिए सुपुर्द है, इसलिए मैं अपनी राय देना, जब कि रजिस्टर आदि भी उपलब्ध नहीं है, मेरे लिए मुश्किल होगा।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय कारागार मंत्री इस सदन को आश्वासन देंगे कि जो माननीय उप मंत्री की जांच के आधार पर जांच हो रही है, उस विषय में माननीय सदस्य की जांच वाली रिपोर्ट डिफेंस की शक्ल में नहीं आएगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जांच बड़ी निष्पक्ष हो रही है। सही तथ्य जांच आ, सकते हैं।

*5—श्री रामगोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों में महंगाई भत्ते का अन्तर

*6—श्री राम गोपाल संड—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में, आज के मूल्य सूचकांक के आधार पर क्या अन्तर है ? सरकार इस अन्तर को समाप्त करने के लिये क्या कार्य कर रही है?

सूचना उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान अखिल भारतीय श्रमजीवी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि 1949 में 100 के बराबर था, के आधार पर निर्धारित किये हुए हैं और इसमें हुई वृद्धि पर श्रेणी के अनुसार महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि स्वीकार की है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये वेतनमान 1960–61 के मूल्य स्तर से सम्बद्ध हैं और महंगाई की दरें उसके बाद हुई मूल्य स्तर में वृद्धि तथा राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वीकार की गयी हैं । अतः मूल्य सूचकांक के आधार पर तुलनात्मक समीक्षा संभव नहीं है।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, आप देखें, प्रश्न में क्या पूछा गया और मंत्री जी क्या उत्तर दे रहे हैं । मैंने यह पूछा था कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आज के मूल्य सूचकांक के आधार पर क्या अन्तर है । वह अन्तर न देकर श्री नारायणदत्त तिवारी और उनके सहयोगी उत्तर देते हैं कि मूल्य सूचकांक के आधार पर तुलनात्मक समीक्षा संभव नहीं है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अन्तर क्या है और यह तुलनात्मक समीक्षा क्यों नहीं संभव है?

श्री उपाध्यक्ष—

क्यों नहीं सम्भव है मैं बताता हूं, क्योंकि यहां 1949 वर्ष के आधार पर माना गया है ।

श्री रामगोपाल संड—

राज्य सरकार ने 1960–61 को बेस इयर माना है और उसके आधार पर महंगाई भत्ता दिया है, तो क्या राज्य सरकार इस बात को महसूस करती है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य-कर्मचारी और अध्यापक आदि इसलिए आन्दोलन कर रहे हैं कि उन्हें भी केंद्रीय दर पर ही महंगाई भत्ता दिया जाये । और क्या राज्य सरकार ने बार-बार ऐसी विज्ञप्तियां नहीं निकाली हैं कि वित्तीय साधन होने पर राज्य सरकार भी उसी दर पर देगी ? तो क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि इस अन्तर को समाप्त कर दिया जाये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सरकार की ओर से यह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि राज्य सरकार को सिद्धांतः यह मान्य है कि केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच जो महंगाई भत्ते का अन्तर है वह समाप्त होना चाहिये । लेकिन संसाधनों की कमी हमेशा इस दिशा में बाधक रही है। इसी कारण इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका ।

श्री बंशीधर पांडेय—

सरकार इस अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है । आपने जवाब दिया कि सिद्धांततः उत्तर प्रदेश की सरकार ने मान लिया है कि प्रदेश के और केन्द्र के कर्मचारियों का वेतन मान और महंगाई भत्ते का अन्तर समाप्त होना चाहिये । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ और प्रदेश की सरकारों के मुख्य मंत्रियों ने केन्द्र को लिखा है, आप भी केन्द्र को लिखेंगे कि प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन मान और महंगाई भत्ता एक समान हों और इस के लिये आवश्यकता हो तो संविधान में संशोधन भी कर दिया जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, इस प्रसंग में प्रदेश सरकार की ओर से कई बार केंद्र को लिखा जा चुका है और फाइनेंस कमीशन के सामने राज्य सरकार की ओर से जो मेमोरेंडम प्रस्तुत किये गये हैं उनमें भी इस बात को बार-बार दोहराया गया है । अभी हाल ही में सम्मानित मुख्य मंत्री जी ने जो प्लानिंग कमीशन से चर्चा की इस प्रदेश के आगामी वर्ष की योजना के संबंध में उस समय यह मांग प्लानिंग कमीशन से दोहराई कि इस मंहगाई भत्ते के अन्तर को समाप्त करने की दिशा में एक नेशनल पे स्ट्रक्चर बनाने की दिशा में केंद्र को कदम उठाना चाहिये । यह भी मांग माननीय मुख्य मंत्री ने प्रदेश की सरकार की ओर से की कि जो पे कमीशन इस समय काम कर रही है उसको नेशनल पे कमीशन का स्वरूप दिया जाना चाहिये । इस बारे में पत्र तो बार-बार लिखे ही गये हैं ।

हिन्डालको अल्मूनियम फैक्टरी को बिजली देने के संबंध में विशेषज्ञों की रिपोर्ट

*7—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हिन्डालको अल्म्यूनियम फैक्टरी को बिजली देने की मात्रा और दर के बारे में विभाग और विशेषज्ञों की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है । यदि हां तो कब और उस रिपोर्ट का विवरण क्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस विषय पर मंत्रि परिषद की औद्योगिक उप समिति द्वारा विचार किया जा रहा है । अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विशेषज्ञों द्वारा न तो शासन ने रिपोर्ट मांगी है और न कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है । मंत्रि परिषद की औद्योगिक उप समिति के प्रयोगार्थ जो सूचना संग्रह की गई है उसको सदन के पटल पर रखना वैधानिक न होगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं नीति जानना चाहता हूं । क्या सरकार ने इस नीति को स्वीकार कर लिया है कि भविष्य में किसी को भी लागत से कम दर पर बिजली नहीं दी जायगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य को मालूम है, इस सदन में कई बार विद्युत मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने यह सूचना दे दी है कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया और प्रश्न नहीं उठता कि उत्पादित दर से कम पर बिजली दी जाय ।

श्री महीलाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मंत्रि परिषद की औद्योगिक उपसमिति विशेष रूप से इस कार्य के लिये बनायी गयी है या स्थायी रूप से बनी हुई है ? यदि

स्थायी रूप से बनी हुई है, तो यह विषय उस समिति के सामने कब से विचाराधीन है और उस पर निर्णय अब तक क्यों नहीं हो पाया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

औद्योगिक समिति कैबिनेट की स्थायी समिति है और हर कैबिनेट ने उसी स्थायी समिति के रूप में गठित कर रखा था । उद्योग धंधों से संबंधित सभी मामले जिसमें हिंडालकों का मामला भी सम्मिलित है विचार करने के लिये उसके सामने आटोमेटिकली प्रस्तुत होते रहते हैं । चूंकि रेटस का मामला विचाराधीन है, सरकार का विचार, जैसा पहले कई बार कह चुका हूं, कंसेशनल रेट के आधार पर बिजली देने का नहीं है । सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से परामर्श करने के लिए यह मामला रुका हुआ है ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि हिंडालकों को बिजली दी जा रही है, हिंडालकों ने और अधिक बिजली दिये जाने की मांग की थी, उस पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जरूर इसी विषय पर विचार हो रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस विषय पर सरकार विचार कर रही है, इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि सरकार यह विचार कर रही है कि सस्ते रेट पर बिजली दी जाय । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने चुर्क सीमेंट फैक्टरी और गोरखपुर के खाद के सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत सस्ती दर पर बिजली नहीं दी । और इस अल्युनियम की फैक्टरी का मुख्य कार्यालय महाराष्ट्र में होगा जिससे इनकम टैक्स तथा सेल्स टैक्स का लाभ उनको होगा लेकिन बिजली यह सरकार सस्ते दर पर हिंडालको को देने पर विचार कर रही है जबकि उसको यहां के किसानों तथा छोटे उद्योग धंधों को बिजली देना चाहिये ? तो क्या सरकार स्पष्ट यह घोषणा करेगी कि वह हिंडालकों को किसी भी सूरत में कास्ट आफ प्रोडक्शन पर बिजली नहीं देगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कई बार इस बात का उत्तर दिया जा चुका है और मैं माननीय नेता जनसंघ से आग्रह करूंगा कि हिन्डालकों को सस्ते दर पर बिजली देने का सवाल नहीं है। उनको किस रेट पर बिजली दी जाय इसके लिये वेंकटारमन कमेटी तथा सेंट्रल पावर कमीशन का भी उल्लेख किया गया है और माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिये कि सस्ते रेट पर उनको बिजली देने का विचार नहीं है।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा बिजली उत्पादन एंव सम्भरण

* 8—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री श्रीकृष्ण बाजपेई (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि सरकार ने बिजली उत्पादन के लिये निजी तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्वयं की बिजली तैयार करने और अतिरिक्त बिजली दूसरी इकाइयों की पूर्ति करने की छूट दी है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 30 व इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 44 के प्राविधानों की पूर्ति करके कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने परिसर में स्वयं

बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और उपरोक्त इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 के धारा 28 क अन्तर्गत शासन की स्वीकृति लेकर और दूसरे प्रतिष्ठानों को विद्युत् सम्भरण कर सकत हैं । इस संबंध में शासन द्वारा कोई छूट नहीं दी गई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बतलायेगी कि बिजली उत्पादन की राष्ट्रीयकरण की नीति को इस सरकार ने छोड़ दिया है और निजी उत्पादनकर्ताओं को छूट देने जा रही है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

ऐसी कोई बात नहीं है । जिनकी सरकार सप्लाई पूरी नहीं कर पाती है और जो सारी मान्यताओं को पूरा करते हैं उनको यह छूट दे दी जाती है जैसे शुगर मिल्स वगैरह हैं ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी--

क्या यह सही है कि हिंडालको के मालिक बिरला के पास अपना बिजली का कारखाना है यदि हां तो क्या उस कारखाने की ओर अधिक बिजली सरकार की ओर से नहीं दी जायगी यह स्पष्ट आश्वासन सरकार देगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

अतिरिक्त बिजली वह केवल उस समय के लिये मांग रहे हैं जब तक कि उनका कारखान अतिरिक्त बिजली पैदा नहीं कर लेता है । तीन-चार साल के लिये अन्तरिम काल के लिये वह बिजली मांग रहे हैं और उसके लिये रेट्स के संबंध में बातचीत चल रही है ।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

बिरला बन्धुओं को जो बिजली थर्मल पावर स्टेशन से दी जाती थी उस पर 1 पैसा प्रति यूनिट सरचार्ज लेने का आश्वासन सरकार ने दिया था, क्या सरकार ने उस आश्वासन को वापस लेने का निर्णय किया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इन सारी चीजों पर विचार हो रहा है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

सरकार भी बिजली का उत्पावन करे और निजी उद्योग भी बिजली का उत्पादन करें तो इससे सरकार को घाटा होगा तो क्या सरकार निजी क्षेत्र में बिजली के उत्पादन पर रोक लगायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन् सरकारी समान नीति तो यही है कि विद्युत् का उत्पादन विद्युत् बोर्ड के द्वारा ही किया जाय और उसी के माध्यम से बिक्री की जाय किन्तु जब कोई अपने हाथ में उद्योग लेता है और अपने प्रोडक्शन को सुरक्षित करने के लिए बिजली जो कि रा-मैटीरियल है उसके उद्योग के हित में यह आवश्यक है कि वह बिजली का प्लांट लगाये और शासन उसको इजाजत देता रहे ।

मेसर्स कपूर इन्जीनियरिंग, बम्बई को ओबरा में एरक्शन का ठेका

*9--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या यह सही है कि मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग, बम्बई को ओबरा में 5 नम्बर के एरक्शन के लिये जो ठेका दिया गया है दूसरी कम्पनी क कोटशन से 20 लाख रुपय ज्यादा का है ? यदि हां तो इस कम्पनी को ठेका दिये जाने के क्या कारण थे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जी नहीं । मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग का टेंडर सबसे कम था अतः इस टेंडर का और कम्पनियों के टेंडर से अधिक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठेके के कार्यकाल में काम पूरा न होने के कारण मामले को आरबीट्रेशन हेतु दिया गया है । अतः हानि (यदि कोई) का मूल्यांकन तभी हो सकता है जब आरबीट्रेशन का निर्णय उपलब्ध हो जाय ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किस-किस को कोटेशन्स दिये गये थे और कितने-कितने के दिये गये थे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग, बम्बई मेसर्स भारत इंडस्ट्रीज वर्क्स भिलाई, मेसस भिलाई कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, भिलाई, मेसर्स देसाई व्हाल जी भाई सूरत, मेसर्स रामजी दयावला ऐण्ड सन्स, बम्बई, शांता ब्रदर्स प्राइवेट लि० बम्बई, मेसर्स सी०के०जी० पाटीवाला प्राइवेट लि०, बम्बई तथा वेस्टर्न इरेक्टर्स, कलकत्ता । इनमें से मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बम्बई को 94,06,720.00 रु० का टेंडर दिया गया था ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, इनमें कितने-कितने का अन्तर है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण —

मायन्वर, आदेश हो तो मैं पूरी लिस्ट पढ़ दूं क्योंकि घटाने बढ़ाने में टाइम लगेगा । इसमें मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बम्बई को रु० 94,06,720.00 मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीज वर्क्स, भिलाई को 102,18,188.39 रु०, मेसर्स भिलाई कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, भिलाई को रु० 96,69,903.35, मेसर्स देसाई व्हाल जी भाई सूरत को 111,68,293.60 रु0, मेसर्स रामजी दयावला ऐंड सन्स, बम्बई को 148,79,534.00, शान्ता ब्रदर्स प्राइवेट लि0 बम्बई को 20,16,500.98 रु०, मेसर्स सी०के० जी० पीटावाला प्राइवेट लि०, बम्बई को 117,90,438.60 रु० तथा मेसर्स वेस्टर्न इरेक्टर्स, कलकत्ता को 181,39,600.50 रु० था ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि आरबीट्रेटर के सामने सरकार ने या विद्युत् बोर्ड ने क्या मांग की है और कब मांग की है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, काम पूरा न होने के कारण विभाग द्वारा काम कराया गया । उसमें जो क्षति पहुंची है और जो अतिरिक्त व्यय हुआ है उसी के अनुसार उन्होंने अपना क्लेम प्रस्तुत किया है ।

श्री मोहम्मव असरार अहमद—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि आर्बीट्रेशन के सामने क्या लिखकर दिया है और उसने क्या मांग की है ? वह कितने रुपये की है ? वह सामने आना चाहिये ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होग ।

देशी शराब के इस्तेमाल से कानपुर तथा अन्य जगहों में मौतें

*10--श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देशी शराब के इस्तेमाल से हाल ही में कानपुर तथा अन्य जगहों में हुई मौतों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वर्तमान नीलाम द्वारा दुकानों का ठेका दिये जाने की प्रथा बदलने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री रामपूजन पटेल---

जी नहीं । ऐसा करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री रामसिंह खन्ना---

माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से संबंधित मैं यह जानना चाहता हूं कि नीलाम की प्रथा को सरकार की दृष्टि ले बदलना आवश्यक नहीं समझा जाता तो सरकार ने विषाक्त शराब के पीने, उसके इस्तेमाल करने और उसकी बिक्री होने के अन्य उपायों पर क्या विचार किया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसके लिये विभाग की तरफ से कर्मचारियों को और जिलाधीशों को कई बार सख्त आदेश दे दिये गये हैं कि वह बराबर उसका निरीक्षण किया करें कि इस तरह की अनियमितता न हो सकें ।

केन्द्रीय कारागार, बरेली के कैदियों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं का विक्रय

*11--श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केंद्रीय कारागार, बरेली में कैदियों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं में से कितनी वस्तुएं अपने निर्धारित मूल्य से कम में सन् 1970-71 में बेची गई थीं, क्यों ?

श्री रामपूजन पटेल---

पैंतीस प्रकार की ।

इसका कारण सामान खराब बनना, सामानों का फट जाना तथा सामानों का दूकान पर पड़े-पड़े खराब हो जाना था ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)---

जो चीजें निर्धारित मूल्य से कम पर बेंची गयी हैं, इस कारण कि वह दूकानों पर पड़ी रहीं या बेकार और खराब बनी हुई हैं इसलिये निर्धारित मूल्य से कम पर बेंची गयीं तो ये दूकानें कहां पर हैं और किन व्यक्तियों को दी गयी हैं ? एक ही व्यक्ति की तो दूकानें नहीं हैं ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह--

इसकी एक डिस्पोजल कमेटी होती है जो जांच करती है उसके लिये जिस जेल में वह होती है वहां जांच करके निश्चित मूल्य पर या कम कीमत करके वहां की चीजें दे दी जाती हैं ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

जिला जेल, कानपुर में जेलर की सुरक्षा हेतु संसोपा सत्याग्रहियों की डंडों से पिटाई

*12—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला जेल, कानपुर में 22-8-70 को भूमि बांटो आन्दोलन के सत्याग्रहियों पर वार्डरों और नम्बरदारों की ओर से डंडों का प्रयोग किया गया था जिससे 9 सत्याग्रहियों को चोटें आई थीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

घटना का विवरण इस प्रकार बताया जाता है कि गत 22-8-70 को सुबह बैरक खुलने के पश्चात् दो संसोपा सत्याग्रहियों ने अपने हाते के फाटक को खोलने के लिये कहा क्योंकि वह अस्पताल के डाक्टर के पास जाना चाहते थे परन्तु वार्डर ने जो उस समय उसी हाते में दूसरी बैरक को खोलकर, कैदियों को बाहर निकाल रहा था, कहा कि वह फाटक नहीं खोलेगा क्योंकि अभी डाक्टर या कम्पाउन्डर अस्पताल में नहीं आये हैं । इस पर सत्याग्रही बिगड़ गये और वार्डर को अपशब्द कहने लगे । जब वार्डर ने एतराज किया तो एक सत्याग्राही ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और दूसरे ने 4-5 थप्पड़ मार दिये । इस पर वार्डर और उनमें कहा सुनी हो गई और सत्याग्रहियों ने वार्डर के साथ अनुचित व्यवहार किया और उसको मारा भी। यह देखकर साधारण बन्दी व नम्बरदार दौड़कर वहां पहुंच गये और उन्होंने वार्डर को छुड़ाया । वार्डर के एलार्म करने पर अन्य वार्डर, नम्बरदार तथा जेल अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गये । उसी समय 20, 25 सत्याग्रहियों ने जेलर को घेर लिया । स्टाफ के वार्डर और नम्बरदारों ने सत्याग्रहियों को तितर-बितर करने के लिये डंडों का प्रयोग किया और जेलर को बचा लिया । जेलर के गंभीर चोटें आईं और उनकी उंगली टूट गई । इस घटना में 9 सत्याग्राहियों को साधारण चोटें आईं ।

*13—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिला जेल में भूमि बांटो आन्दोलन के संसोपा सत्याग्रहियों पर 22-8-70 को जेल अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किए गए लाठी चार्ज की जांच सिटी मजिस्ट्रेट, कानपुर द्वारा की गई ? यदि हां, तो उक्त मजिस्ट्रेट ने जांच रिपोर्ट क्या दी और क्या उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा की जायगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां । मैजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लाठी चार्ज नहीं किया गया बल्कि सत्याग्रहियों को तितर-बितर करने में उनके चोटें आईं । कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया । मैजिस्ट्रीरियल रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि† संलग्न है ।

कानपुर तथा शाहजहांपुर में देशी शराब पीने से मृत्युयें

*14—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि कानपुर शहर और जिले में अगस्त, ७१ में ५० व्यक्तियों की मृत्यु विषाक्त देशी शराब पीने से हो गई और सितम्बर, ७१ में ग्राम खेड़ारठ थाना जैलीपुर, जिला शाहजहांपुर में भी विषाक्त देशी शराब पीने से एक व्यक्ति मर गया तथा अन्य बीमार पड़े रहे, यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

---

†छापी नहीं गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार कानपुर शहर और जिले में अक्टूबर तथा नवम्बर, 1971 में विषाक्त शराब आदि पीने से मरने वालों की संख्या 42 है। अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनकी मृत्यु विषाक्त शराब पीने से हुई है या विकृत स्प्रिट पीने से। रासायनिक परीक्षक, आगरा को मृत व्यक्तियों का विस्तृत जांच के लिये भेजा गया है और जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

ग्राम खेड़ा रठ, थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर में माह सितम्बर, 1971 में शराब पीकर केवल एक व्यक्ति की मृत्यु होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। एक और व्यक्ति बीमार पड़ गया था जो बाद में ठीक हो गया। जांच से यह भी पता लगा है कि वह मृत्यु इस क्षेत्र के सरकारी ठेके की शराब पीकर नहीं हुई थी किन्तु एक व्यक्ति जिला बरेली के ग्राम बतिया से यहां अपने ससुर के यहां आया हुआ था और वह यह शराब अपने साथ लाया था।

सरकार हर सम्भव उपाय कर रही है कि सरकारी ठेकों से किसी प्रकार की विषाक्त शराब न बिकने पाये और इसके लिये नियमों को पालन कराने के लिये कठोरतम आदेश पारित किये जा चुके हैं तथा सारे प्रान्त में शराब की दुकानों पर अनियमिततायें पाने पर अनुशासियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है और सम्बन्धित अधिकारियों को अपने कर्तव्यों की ओर जागरूक रहने के लिये कड़े निर्देश दिये गए हैं।

*15—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के सब देशी शराब के ठेकेदार पाउडर (कैमिकल्स) से शराब बनाते हैं और फर्जी लेबिल व डाट लगाकर, रंग डाल कर बेच रहे हैं जिससे जनता की सेहत दिन प्रति दिन खराब हो रही है, इसे दूर करने हेतु क्या सरकार ने अचानक प्रदेश के विभिन्न जिलों के ठेकेदारों की दुकान पर छापा मार कर कुछ विषाक्त शराब पिछले तीन महीनों में पकड़ी और क्या उसकी जांच हुई ? यदि हां, तो दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रदेश के सभी अनुज्ञापित ठेकेदारों को सरकारी गोदाम से विशेष प्रकार की साफ की हुई तथा कैप्सीलदार मुहरबन्द बोतलों एवं मुहरबन्द किये हुये ड्रमों में देशी शराब की निकासी दी जाती है। निकासी की यह आज्ञा प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और पूरे प्रदेश में लगभग डेढ़ करोड़ बल्क लीटर देशी शराब की खपत है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश के सब ठेकेदार पाउडर से शराब बना कर बेंच रहे हैं। फिर भी समय-समय पर प्रदेश के सभी ग्रामों में विभागीय एवं पुलिस के अधिकारियों द्वारा इन अनुज्ञापित दुकानों पर बिकने वाली शराब की जांच की जाती है तथा नियमों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है और यदि शराब में कोई कमी पायी जाय तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नियमानुसार की जाती है, जिसमें अनुशासन का निलम्बन तथा निरस्त करना भी सम्मिलित है। हाल में कानपुर जिले की ससैंडी दुकान तथा लाल बंगला स्थित स्प्रिट की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापन निलम्बित कर दिये गये हैं।

30-9-71 को आबकारी आयुक्त ने समस्त जिलाधिकारियों तथा सहायक आबकारी आयुक्तों को एक परिपत्र जारी करके यह आगाह किया था कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके अंचल में अवांछनीय अनुज्ञापी विकृत स्प्रिट तथा फ्रेंच पालिश मानवीय पेय के रूप में बिक्री नहीं करें और यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध जन जीवन स्वास्थ्य के हित में कठोरतम नियमानुसार कार्यवाही की जाय। राज्य सरकार ने भी एक दूसरा परिपत्र उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को दिनांक 9-11-71 को भेजा है जिसमें उन्हें यह आदेश दिये गए हैं कि सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को देशी शराब या विकृत स्प्रिट की दुकानों पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के लिये सचेत कर दिया जाय। यदि भविष्य में कोई घटना होती है तो विभाग

के अधिकारियों/कर्मचारियों को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जायगा और यह समझा जायगा कि उनका नियंत्रण ठीक नहीं है ।

*16—श्री रामकुमार दीक्षित—

[2रे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर में सरकारी गल्ला खरीद केन्द्रों पर खरीदा गया गल्ला

*17—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद में सरकारी गल्ले के खरीद के कौन-कौन केन्द्र पर अब तक कितने गल्ले की खरीद हुई है ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

कानपुर जनपद में सरकारी गल्ले के खरीद के केन्द्रों की सूची तथा वर्ष 1971-72 में उन पर खरीदे गये गल्ले की मात्रा संलग्न विवरण में उपलब्ध है ।

(देखिये सत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1053 पर)

रुहेलखंड डिवीजन में ईंट भट्टे के व्यापारियों पर बिक्री कर का बकाया

*18—श्री रामसिंह खन्ना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुहेलखंड डिवीजन में कितने ऐसे ईंट के भट्टे के व्यापारी हैं जिनकी ओर तीन साल से बिक्री-कर बकाया है और उनकी वसूली अब तक नहीं की जा सकी है ? वसूलयाबी धन न होने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हिन्डालको कम्पनी व कनोरिया केमिकल्स, मिर्जापुर का विद्युत प्रयोग संबंधी आदेश पालन न करना

*19—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1966 में रिहन्द में बिजली के कम उत्पादन होने के कारण उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने नवम्बर, 1966 से सभी उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत कम बिजली प्रयोग करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या मिर्जापुर जिले की हिन्डालको कम्पनी और कमोरिया केमिकल्स ने इसका पालन किया, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सरकारी गजट दिनांक 5-11-66 में प्रकाशित राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार उसी तिथि से रिहन्द क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं तथा लाइसेन्सियों से 30 प्रतिशत कम विद्युत प्रयोग करने के आदेश जारी किये गये थे । इन दोनों कम्पनियों ने इसका पालन नहीं किया । उक्त आदेश का न पालन करने पर कनोरिया केमिकल्स का कनेक्शन काट दिया गया था परन्तु न्यायालय के आदेशानुसार उसे फिर जोड़ दिया गया । हिन्डालको ने भी न्यायालय से विद्युत विच्छेद न होने के आदेश प्राप्त किए थे ।

*20—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त आदेश के पालन न करने पर इन दोनों कम्पनियों पर 5.5 पैसा प्रति यूनिट सरचार्ज लगाया गया था लेकिन बाद में बोर्ड द्वारा यह घटा कर 3.5 पैसा कर दिया गया और इस प्रकार इन कम्पनियों से 25.25 लाख रुपया कम वसूल किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

केवल 1 दिसम्बर, 1966 से 19 फरवरी, 1967 तक 5.5 पैसे प्रति यूनिट लगाये गये सरचार्ज पर 2 पैसे प्रति यूनिट की छूट शासन के आदेश से दी गई थी। किन्तु इससे परिषद् को कोई हानि नहीं हुई। यह छूट हिन्डालको तथा कनोरिया केमिकल्स के अतिरिक्त सब ही रिहन्द क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दी गई थी।

5.5 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज पर 2 पैसे प्रति यूनिट रिबेट देने पर भी हानि न होने का कारण यह है कि दामोदर घाटी निगम से आयात की गई विद्युत् की दर उपभोक्ताओं को दी गई दर से कम थी। अतः 25.25 लाख रुपया कम वसूल होने का प्रश्न नहीं उठता।

मोहन ब्रुअरीज, लखनऊ का निरीक्षण एवं बाढ़ से क्षति

*21—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री जंगबहादुर यादव, श्री उमानाथ सिंह, श्री रामसागर (जिला जौनपुर), श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आबकारी मंत्री ने पिछले सितम्बर से नवम्बर माह के अन्दर स्थानीय मोहन मीकिंग ब्रुअरीज का कोई निरीक्षण किया था? यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम रहा?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं।

*22—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री जंगबहादुर यादव, श्री उमानाथसिंह, श्री राम सागर, श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री सच्चिदानन्द—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या स्थानीय मोहन मीकिंग ब्रुअरीज के मालिक ने सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि गत बाढ़ के कारण उसकी फैक्टरी में शराब और अन्य चीजों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसने क्षतिपूर्ति की भी मांग की है? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मेसर्स मोहन मीकिंग ब्रुअरीज, लखनऊ द्वारा बाढ़ के दौरान इस आशय के कई तार प्राप्त हुए थे कि बाढ़ के कारण तथा आबकारी स्टाफ के पूरा सहयोग न देने के कारण उन्हें भारी क्षति हुई है तथा राजस्व की भी भारी हानि हुई है लेकिन उन्होंने शासन को ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक नहीं दी है जिसमें यह कहा गया हो कि गत बाढ़ से अमुक मात्रा में शराब और अन्य चीजों की हानि हुई है और न ही उन्होंने क्षतिपूर्ति की कोई मांग ही की है।

बन्दी रामनाथ सुमन द्वारा हरदोई जेल में अनशन

*23—श्री उमानाथ सिंह तथा श्री जंगबहादुर यादव—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 अक्तूबर, 1971 को हरदोई जेल में लोक सभा सदस्य सर्वश्री धर्मराज व लालन शर्मा ने जाकर कुछ बन्दियों का अनशन तुड़वाया? यदि हां, तो वे कैदी किस अपराध में जेल में बन्द थे और उनके अनशन के क्या कारण थे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हरदोई जेल में केवल एक विचाराधीन बन्दी रामनाथ सुमन ने, जो धारा 302/120 बी० के अन्तर्गत जेल में बन्द था, उच्च श्रेणी में न रखे जाने के कारण 28-9-71 से अनशन किया था। 11-10-71 को लोक सभा के सदस्य श्री धर्मराज व विधान सभा के सदस्य श्री लालता शर्मा उक्त बन्दी से मिले अवश्य थे और उसी दिन बन्दी ने बिना शर्त अपना अनशन बन्द कर दिया था, परन्तु यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि बन्दी से, उपर्युक्त महानुभावों ने अनशन तोड़वाया या उसने स्वयं तोड़ा।

प्रदेश में 1968-71 तक "बार" के लाइसेंस

*24—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री शचीन्द्र नाथ बक्शी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1968-69, 1969-70, 1970-71 में प्रदेश में कहां-कहां पर किस-किस को "बार" के लाइसेंस प्रदान किये गये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में प्रदेश में दिए गये 'बार' के लाइसेंसों का विवरण निम्न प्रकार है :

1968-69

(1) बार तथा फुटकर बिक्री हेतु एफ० एल० के संदर्भ में एक प्रपत्र लाइसेंस नैनीताल में प्रशिक्षित बार को श्री हंस राज सचदेव व श्रीमती सुदर्शन सुधरा के नाम पर।

(2) होटल बार का एफ० एल० 6 प्रपत्र में एक नया लाइसेंस नैनीताल में मेट्रोपोल होटल को श्री कृष्ण सुधरा के नाम पर।

1969-70

(1) बार तथा फुटकर बिक्री हेतु एफ० एल० 4 प्रपत्र में एक लाइसेंस नेशनल कारबेट आई विकाला, जिला गढ़वाल में श्री शिवकुमार सिंह के नाम पर।

(2) होटल बार का एफ० एल० 6 प्रपत्र में दो लाइसेंस रामपुर तथा नैनीताल में क्रमशः श्याम बाड़ी, रामपुर की हर हाईनेस जवानी बेगम के नाम पर तथा रायल होटल, नैनीताल की एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एण्ड ओरियण्टल ट्रस्टी के नाम पर।

(3) स्टेंडिंग बार का एफ० एल० 7 प्रपत्र में एक लाइसेंस नैनीताल में नटराज होटल को श्री गोपाल शाह शम्भूलाल शाह के नाम पर।

1970-71

होटल बार का एफ० एल० 6 प्रपत्र में एक लाइसेंस कानपुर में मेघदूत होटल को श्री प्रेम नारायण मेहरोत्रा के नाम पर।

अल्मूनियम संस्थान, मिर्जापुर को अतिरिक्त बिजली

*25—श्री कल्याण सिंह तथा श्री शचीन्द्रनाथ बक्शी—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या हाल ही में बिड़ला बन्धुओं के मिर्जापुर स्थित "अल्मूनियम संस्थान" के लिये 1 मई, 1972 से 22 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली स्वीकार करने हेतु

कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब ? सरकार उपरोक्त संस्थान को कितनी दर पर बिजली प्रदान करने का विचार कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हिन्दुस्तान अलमूनियम कारपोरेशन ने अपनी फैक्ट्री के विकास के लिये निम्नलिखित मात्रा में विद्युत् की मांग प्रस्तुत की है :

1-5-72	से	..	..	..	20	मेगावाट
1-7-72	से	..	..	..	25	"
1-12-72	से	..	..	..	50	"
1-4-73	से	..	..	..	55	"
1-4-74	से	..	..	..	110	"

दर सम्बन्धी विषय शासन के विचाराधीन है।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा तांबे का तार तथा स्क्रेप को उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को बिक्री

*26—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी), चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर) तथा श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या 29 नवम्बर, 1971 के लखनऊ के हिन्दी दैनिक "तरुण भारत" के मुख पृष्ठ पर "राज्य विद्युत् में तांबे के तार की बिक्री में 50 लाख का घोटाला" शीर्षक से छपी ? क्या उक्त आलोचना की ओर उसका ध्यान गया ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। राज्य विद्युत परिषद् ने लगभग 1294 टन तांबे का तार तथा स्क्रैप उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम (जो प्रदेश के शासन की सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान है) को बेंचा है। निगम द्वारा उक्त माल उत्तर प्रदेश की लघु इकाइयों को आबंटित किया जा रहा है। तरुण भारत में छपा समाचार भ्रामक एवं बेबुनियाद है। और शासन को उस पर किसी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रयागपुर क्षेत्र, बहराइच में बिजली की लाइन कोट बाजार से काशी को आगे बढ़ाना

*27—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रयागपुर क्षेत्र (बहराइच) में बिजली की जो लाइन कोट बाजार से काशी जाने तक ले जाकर बन्द कर दी गई है उसे और आगे बढ़ा कर गंगा पुरवा, झल्ला, राजापुर मोहनपुर, माझी होते हुए मधनगरा तक मिलाने की योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कोट बाजार से काशी तक की लाइन बन चुकी है। आगे लाइन ले जाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

तुलसीपुर, जिला गोंडा के उपभोक्ताओं को औद्योगिक विद्युत् कनेक्शन व विद्युत् पथ सम्भारन मूल्य

*28—श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतावेंगे कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर नगर में 1 जनवरी, 1965 से 15 मई, 1971 तक कुल कितने विद्युत औद्योगिक कनेक्शन दिये गये तथा उपभोक्ताओं के नाम क्या हैं ? कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक उपभोक्ता से क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि विद्युत् पथ संभारन मूल्य के रूप में प्राप्त की गई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

गोंडा जनपद के तुलसीपुर नगर में 1 जनवरी, 1965 से 15 मई, 1971 तक निम्न सूचीबद्ध 28 उपभोक्ताओं को औद्योगिक विद्युत् कनेक्शन दिये गये । उनके द्वारा दी गई विद्युत् पथ संभारन मूल्य की सूची में अंकित है ।

क्रम०सं०	उपभोक्ता का नाम		स्वीकृत अश्वशक्ति	विद्युत् शक्ति संभारन मूल्य
1	श्री कौशल किशोर	..	10 हा० पा०	170.00
2	श्री हामिद अली	..	10 हा० पा०	175.73
3	श्री बनारसी लाल गुप्ता	..	10 हा० पा०	404.69
4	श्री समसुद्दीन खां	..	20 हा० पा०	52.00
5	श्री अयोध्या प्रसाद निगम	..	10 हा० पा०	169.00
6	श्री मुसर्रत हुसेन	..	10 हा० पा०	377.50
7	श्री गोयल आटो मोबाइल्स	..	2 हा० पा०	556.72
8	श्री समसुद्दीन खां	..	5 हा० पा०	191.00
9	श्री अब्दुल क्यूम	..	10 हा० पा०	177.00
10	श्री शाभ दत्त	..	10 हा० पा०	142.00
11	श्री सुखदेव दास नागरमल	..	3 हा० पा०	935.00
12	श्री सेक्रेटरी क्रय-विक्रय कोआपरेटिव	समिति	30 हा० पा०	1874.00
13	श्री बदल राम	..	10 हा० पा०	191.00
14	श्री मोहम्मद मुबासिर	..	10 हा० पा०	1170.00
15	श्री अब्दुल अजीम	..	15 हा० पा०	235 00
16	श्री कमला प्रसाद	..	15 हा० पा०	145.00
17	श्री प्रेम नारायण, राम नारायण	..	10 हा० पा०	175.00
18	श्री मोहम्मद नासिर	..	2 हा० पा०	170.00
19	श्री आनन्द कुमार	..	10 हा० पा०	170.00
20	श्री मनोहर लाल गुप्ता	..	3 हा० पा०	171.00
21	श्री शत्रुहन लाल	..	10 हा० पा०	184.00
22	श्री अब्दुल रहमान	..	10 हा० पा०	184.00
23	श्री आर० एस० श्रीवास्तव	..	15 हा० पा०	215.00
24	श्री लाल जी ताराचन्द	..	10 हा० पा०	1700.00
25	श्री अब्दुल अमीन खां	..	10 हा० पा०	215.00
26	श्रीमती लता देवी	..	10 हा० पा०	205.00
27	श्री गौस मुहम्मद	..	5 हा० पा०	101.00
28	श्री जगदम्बिका प्रसाद गुप्ता	..	10 हा० पा०	247.00

जनपद गोंडा में सी० डी० एस० फंड में जमा धनराशि

*29—श्री डी० पी० बोरा—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोंडा में 1 जनवरी, 1967 से 31 दिसम्बर, 1968 तक कुल कितनी धनराशि सी० डी० एस० फण्ड में उपभोक्ताओं से जमा कराया गया था ? क्या समस्त धनराशि उपभोक्ताओं को वापस किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो कितनी धनराशि उक्त मद में अभी विभाग में जमा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

गोंडा जनपद में दिनांक 1 जनवरी, 1967 से 31 दिसम्बर 1968 तक कुल 298 उपभोक्ताओं ने सी० डी० एस० फण्ड में 1,34,239 रु० 22 पै० जमा किया। समस्त धनराशि उपभोक्ताओं को वापस नहीं की गई है। अब इस मद में 51,157 रु० 44 पै० की धनराशि शेष विभाग में जमा है।

आबकारी ऐक्ट की धारा 20 (4) को अवैध घोषित करने के सम्बन्ध में प्रेसीडेन्ट, आल इन्डिया प्रोहीबीशन कौंसिल का तार व पत्र

*30—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उन्हें माननीय हाई कोर्ट, इलाहाबाद द्वारा आबकारी ऐक्ट की धारा 20(4) के अवैध घोषित किये जाने के संबंध में अगस्त-सितम्बर, 1971 में डा० सुशीला नाइयर, प्रेसीडेन्ट, आल इंडिया प्रोहीबीशन कौंसिल, 28, थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली का तार व पत्र मिले थे ? यदि हां, तो उनका आशय क्या था और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। उनके तार व पत्र में यह अनुरोध किया गया था कि ऐक्ट में कमी को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाय ताकि शुष्क क्षेत्रों में; विशेषकर पहाड़ी जिलों में, पुनः शराब की दुकाने न खोली जायं। दिनांक 27 दिसम्बर, 1971 को उत्तर प्रदेश इक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1971 जारी कर दिया गया है और अब इस अध्यादेश को विधेयक का रूप देने के लिये विधान मण्डल में विचार किया जा रहा है।

झांसी जिले के शिक्षकों को बाढ़ का अग्रिम वेतन न दिया जाना

*31—डाक्टर भगवत दयाल सिलोहिया (जिला झांसी)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों को जो अग्रिम वेतन दिये जाने की व्यवस्था सरकार ने की थी झांसी जिले में जी० ओ० के न आने के कारण जिलों में रहने वाले शिक्षकों को अग्रिम वेतन नहीं मिला ? ऐसी स्थिति में क्या जी० ओ० भेजकर इस जिले में अन्य जिलों में रहने वाले शिक्षकों को अग्रिम वेतन दिलाये जाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या ए-1-3847/दस-10(71)-71, दिनांक 22 सितम्बर, 1971 उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों तथा कार्यालय के मुख्य अधिकारियों को प्रेषित की गयी थीं। झांसी जिले में काम करने वाले शिक्षकों को अग्रिम वेतन न मिलने का कारण यह नहीं है कि वहां संबंधित राजाज्ञा प्राप्त नहीं हुई इसका कारण यह है कि अग्रिम वेतन केवल उन्हीं राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया था, जो बाढ़ग्रस्त

जिलों में रहते थे और उसी जिले में काम भी करते थे। चूंकि झांसी जिला उन 25 जिलों में नहीं है, जो उक्त राजाज्ञा में बाढ़ग्रस्त माने गये हैं, इसलिये अन्य बाढ़ग्रस्त जिलों के रहने वाले जो शिक्षक झांसी जिले में काम करते हैं, उन्हें अग्रिम वेतन को दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कोषागार के प्रधान लिपिकों की कोषाधिकारी के पद पर नियुक्ति

*32—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने कोषागार के प्रधान लिपिक कोषाधिकारी के पद पर स्थानापन्न हैं और कितने दिन से कोषाधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं? इन्हें अभी तक कोषाधिकारी के पद पर स्थायी न किये जाने का क्या कारण है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इस समय कोषागार के 27 प्रधान लिपिक कोषाधिकारी के पदों पर स्थानापन्न हैं और ये लगभग साढ़े तेरह वर्ष से लेकर पांच माह के बीच की अवधि से इन पदों पर कार्य कर रहे हैं। कोषाधिकारी के स्थायी रिक्त पदों पर इनमें से स्थायी नियुक्ति न किये जाने का कारण यह है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 1963 के पश्चात् स्थायी पदों हेतु चयन नहीं हो पाया है।

जनपद देवरिया में मिट्टी के तेल के लाइसेन्स

*33—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में मिट्टी के तेल के एक ही फर्म राधाकृष्ण विमल कुमार को पूरे का 55 प्रतिशत का लाइसेन्स दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बेनी सिंह—

यह सही नहीं है। देवरिया जनपद में मिट्टी के तेल के कुल 30 एजेन्ट हैं, जिनमें राधाकृष्ण विमल कुमार के नाम केवल दो लाइसेन्स हैं।

जनपद देवरिया में कोल नामिनी

*34—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष 71-72 में कुल कितने कोल नामिनी हैं और उनमें से प्रत्येक को जुलाई 71 से 15 दिसम्बर, 71 तक कितने-कितने वंगन आवंटित किये गये हैं? क्या यह भी सही है कि देवरिया जनपद की कतिपय सहकारी संस्थाओं ने कोल नामिनी बनने के लिये दरख्वास्तें दीं किन्तु उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई?

श्री बेनी सिंह—

देवरिया जनपद में वर्ष 1971-72 के शुरू में अर्थात् जुलाई, 71 से अगस्त, 71 तक 47 कोल नामिनी थे। सितम्बर 1971 में पुनः नामांकन करने पर यह संख्या घटकर 35 हो गई।

प्रत्येक कोल एजेन्ट को जुलाई, 71 से 15 दिसम्बर, 71 तक आवंटित कोयले की मात्रा संलग्न सूची में दी है। जिन सहकारी संस्थाओं ने कोल नामिनी बनने के लिये दरख्वास्तें दीं उनको प्राथमिकता के आधार पर कोल नामिनी बनाया गया।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1055 पर)

अतारांकित प्रश्न

बस्ती जिले के विद्युत् उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने तथा जोड़ने के संबंध में विवरण

1—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

1—क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में 30 मई, 1971 से 15 नवम्बर, 1971 तक कितने विद्युत् उपभोक्ताओं के कनेक्शन पेसेन्ट न होने के कारण काट दिया गया, कितना पेमेन्ट होने के बाद जोड़ दिया गया, कितना अब भी बाकी है पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बस्ती जिले में 30 मई, 1971 से 15 नवम्बर, 1971 के समय में कुल 268 विद्युत् उपभोक्ताओं के कनेक्शन पेमेन्ट न होने के कारण काट दिये गये। उनमें से 83 विद्युत् उपभोक्ताओं के कनेक्शन पेमेन्ट होने के बाद जोड़ दिये गये तथा 185 विद्युत् उपभोक्ताओं के कनेक्शन भुगतान न होने के कारण अभी कटे पड़े हैं।

जिला अलीगढ़ में विभिन्न विधान सभाई क्षेत्रों में विद्युतीकरण की योजना

2—श्री कल्याण सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ के अतरौली विधान सभाई क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1970-71 और 1971-72 में किन-किन ग्रामों के विद्युतीकरण करने की योजना है और वह कब तक पूरी कर दी जायगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वर्ष 1970-71 में अतरौली विधान सभाई क्षेत्र में ग्राम सैदआलमपुर के विद्युतीकरण की योजना थी जिसमें बिजली पहुंचाई जा चुकी है। इस ग्राम में एल0 टी0 मेन्स के खम्भे इस वर्ष लगाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1971-72 में संपूर्ण अलीगढ़ जनपद में 60 ग्रामों में किसी न किसी प्रयोजन हेतु बिजली पहुंचाने की योजना है परन्तु अतरौली विधान सभाई क्षेत्र के ग्रामों में बिजली पहुंचाने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है।

3—श्री कल्याण सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में अलीगढ़ जिले के किस-किस विधान सभाई क्षेत्र के किस-किस ग्राम के विद्युतीकरण की योजना है और उनका विद्युतीकरण कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में संपूर्ण अलीगढ़ जनपद में 375 ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है इनमें से अब तक (30-11-71) 170 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और शेष ग्रामों का विद्युतीकरण योजना काल के आगामी वर्षों में उनमें मिलनेवाली निर्धारित आय व धन की उपलब्धतानुसार किया जा सकेगा।

4—श्री कल्याण सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ के अतरौली विधान सभाई क्षेत्र की वित्तीय वर्ष 1971-72 में किन-किन ग्रामों के विद्युतीकरण करने की योजना है और यह योजना कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

वित्तीय वर्ष 1971-72 में सम्पूर्ण अलीगढ़ जनपद में 60 ग्रामों में बिजली पहुंचाने की योजना है जिनमें से अब तक (30-11-71) 15 ग्रामों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। अतरौली विधान सभाई क्षेत्र के ग्रामों में बिजली पहुंचाने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है।

5--श्री कल्याण सिंह--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में अलीगढ़ जिले में किस-किस विधान सभाई क्षेत्र में किस-किस ग्राम के विद्युतीकरण की योजना है और उसका विद्युतीकरण कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

प्रश्न संख्या 3 के उत्तर की पृष्ठभूमि में यह प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की (1971-72) की नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की (1971-72) की नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम प्रतिवेदन†

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी नियमावली, 1969 से संबंधित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, प्रश्नगत नियमावली प्रशासनिक नियमावली कार्यकारी नियमावली है, नान-स्टैट्यूटरी नियमावली है। जाहिर इस नियमावली की जांच प्रतिनिहित विधायन समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर है, परन्तु समिति ने इस नियमावली की जांच इस दृष्टि से की कि कहीं कार्यपालिका ने संसद् के विधायी क्षेत्र पर तो कोई अतिक्रमण नहीं किया है। यह एक बड़ा मौलिक प्रश्न है। कार्यपालिका की ये टेंडेंसीज बढ़ती जा रही है कि वे संसद तथा विधान मंडल के विधायन क्षेत्र पर अतिक्रमण करती जा रही है। यह समिति इस दुखद निष्कर्ष पर पहुंची कि इस नियमावली के अन्तर्गत भी कार्यपालिका ने संसद के विधायी क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है।

मान्यवर, आप स्वयं सहमत होंगे और समिति की यह निश्चित राय है कि कार्यपालिका कार्यकारी नियमों द्वारा सर्वसाधारण के आचरण को नियंत्रित नहीं कर सकती। सर्वसाधारण के कंडक्ट का रेगुलेशन केवल संसद या विधान मंडल कानून बनाकर कर सकते हैं। इस नियमावली के अन्दर अधिभार (सरचार्ज) लगाया गया है। 16 साल के कम उम्र के बच्चे

---

†छापा नहीं गया।

[श्री शिवराज सिंह]

लाटरी टिकट नहीं खरीद सकते। कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बैन किया गया है। एजेंटों की सिक्योरिटी और कुछ अवस्थाओं में विजेताओं की जीती हुई रकमों को जब्त करने का प्राविधान है। ये ऐसे कृत्य हैं जो संसद कानून बना कर ही इस तरह के जनता के आचरण पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। कार्यपालिका ने, समिति का निश्चित मत है कि इस नियमावली के अन्दर अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर संसद के विधायी क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है।

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971

सचिव, विधान सभा---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 द्वारा पारित संविधान में किये जाने वाले प्रस्तावित उन संशोधनों को, जो उसके अनुच्छेद 368 के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करने के संबंध में राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र, उक्त विधेयक एवं तद्-विषयक संसद की कार्यवाहियों सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 182 (1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1057 पर)

राज्य कर्मचारियों, गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की घोषणा

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रदेश में राज्य कर्मचारियों, गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के निम्नलिखित दरों से सहायता स्वीकृत की है---

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, यह किस नियम से पढ़ रहे हैं। एजेंडे में कौन से नम्बर पर है?

श्री उपाध्यक्ष---

क्रमांक 7 पर दूसरा वक्तव्य स्वीकार किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

(1) राज्य कर्मचारियों को 10 रुपये प्रति माह (2) गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को 8 रुपये प्रति माह यह दरें 900 रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ही अनुबन्ध थीं। इन दरों के स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप 12.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त भार पड़ा है।

अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिनांक-1-10-71 से निम्नलिखित दरों पर द्वितीय अन्तरिम सहायता दिये जाने की घोषणा की है:---

85 रुपये से नीचे	7 रुपये
85 रुपये से अधिक परन्तु 210 रुपये से कम	8 रुपये
210 रुपये से अधिक पर परन्तु 500 रुपये से कम	10 रुपये
500 रुपये से अधिक परन्तु 1250 रुपये से कम	15 रुपये
1250 रुपये से अधिक	सीमांत समायोजन

भारत सरकार ने उपरोक्त तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश पर स्वीकृत की है । इस वृद्धि के दिये जाने के उपरान्त राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के द्वारा भी अन्तरिम की वर्तमान दरों में वृद्धि किये जाने की मांग की गई । राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग ने भी इस प्रश्न पर विचार किया और शासन को इस संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 5-1-72 सायंकाल प्रस्तुत की ।

मंत्रि-परिषद ने इस मसले पर दिनांक 7 जनवरी, 1972 को सायं 5 बजे अपनी बैठक में विचार किया और यह निर्णय लिया कि दिनांक 1 अक्टूबर, 1971 से अन्तरिम सहायता की वर्तमान दरों में निम्नलिखित वृद्धि की जाय--

वेतन सीमा	वृद्धि की दर
85 रुपये से नीचे	7 रुपये प्रति माह
85 रुपये से अधिक परन्तु 210 रुपये से कम	8 ,,
210 रुपये से अधिक परन्तु 500 रुपये से कम	10 ,,
500 रुपये से अधिक परन्तु 900 रुपये से कम	15 ,,
900 रुपये से अधिक परन्तु 1250 रुपये से कम	25 ,,

उपरोक्त वृद्धि के अनुसार राज्य कर्मचारियों, शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की अन्तरिम सहायता की दरें दिनांक 1-10-71 से निम्न प्रकार हो जायेंगी:--

वेतन सीमा	अन्तरिम सहायता की दरें राज्य कर्मचारियों के लिये (1-4-71 से स्वीकृत 10 रु० की दर को सम्मिलित करते हुये)	गैर सरकारी शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये (1-4-71 से स्वीकृत 8 रु० की दर को सम्मिलित करते हुए)
85 रुपये से नीचे	17	15
85 रु० से अधिक परन्तु 210 रु० से कम	18	16
210 रु० से अधिक परन्तु 500 रु० से कम	20	18
500 रु० से अधिक परन्तु 900 रु० से कम	25	23
900 रु० से अधिक परन्तु 1250 रु० से कम	25	23
1250 रु० से अधिक	सीमांत समायोजन	सीमांत समायोजन

उपरोक्त वृद्धि के फलस्वरूप लगभग 11.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार पड़ेगा और दिनांक 1 अप्रैल, 1971 से स्वीकृत की गई अतिरिक्त सहायता के कारण होने वाले व्यय भार को सम्मिलित करते हुए 'कुल अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार 24 करोड़ रुपये होगा । इस वेतन वृद्धि से 5 लाख 68 हजार राज्य कर्मचारियों को, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को 2,19,172, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक स्थानीय के 3,46,750 कर्मचारियों को तथा 60 हजार वर्कचार्ज कर्मचारियों को लाभ होगा यानी लगभग 12 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा । उपरोक्त निर्णय के अनुसार अन्तरिम सहायता की स्वीकृत

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

से राज्य के संस्थानों पर भारी बोझ पड़ेगा जबकि वित्तीय वर्ष 72–73 के लिये हम 225 करोड़ रुपये के वार्षिक प्लान के लिये बचनबद्ध हैं फिर भी अपने कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है । यद्यपि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अभी तक किसी दूसरी राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्णय के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिये दूसरी अन्तरिम सहायता स्वीकृत नहीं की है ।

अन्तरिम सहायता की कुल धनराशि का समायोजन वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर होगा ।

अन्तरिम सहायता की नई दरों के कारण कर्मचारियों को माह अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1971 के लिये जो अवशेष देय होगा, उसके लिये कर्मचारियों से यह अनुरोध किया जायेगा कि वे अपने भविष्य निधि खाते में जमा करवा दें और यदि किसी कर्मचारी या किसी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि खाते ही नहीं खोले गये हैं उनसे यह अपेक्षा की जायेगी वे इसे अल्प बचत योजना में लगा दें । राज्य सरकार इस संबंध में कर्मचारियों से अलग से बातचीत करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष––

क्या आपने इसमें कुछ जोड़ा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी––

कर्मचारियों की संख्या जोड़ दी है।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)––

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री का जो वक्तव्य हुआ है, उस वक्तव्य पर विरोधी पक्ष को भी कुछ कहने का क्या अवसर मिल सकता है या नहीं मिल सकता ?

श्री उपाध्यक्ष––

जैसा उस दिन माननीय मंत्री जी ने माननीय नित्यानन्द स्वामी के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि आज ही इसके बारे में हम फैसला लेना चाहते हैं । उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें एक फसला लिया गया । वह अखबारों में सरकार ने दे दिया । आज उसको सदन के सामने रखा जा रहा है।

इस बारे में अगर आप 2–4 सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं । लेकिन अगर उस बारे में आप कोई विशेष बहस चाहते हैं या विशेष कुछ कहना चाहते हैं तो उसमें कुछ समय लगेगा । वह समय तो बाद में ही दिया जा सकता है ।

श्री चरण सिंह––

इस संबंध में मैं नीति संबंधी प्रश्न भी उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष––

तो इसके लिये आधा घंटे समय रख दिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)––

अच्छा होता यह चीज पहले समाचार-पत्रों में न आकर हाउस में आती । इसमें तो मिनिस्टर ने कंटेम्प्ट आफ दि हाउस किया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

उस दिन मंत्री जी ने यहां कुछ घोषणा की थी, लेकिन हाउस में उसका उत्तर देने के पूर्व ही उन्होंने अखबार में दे दिया । इस पर आप ढाई घंटे की बहस दे दें ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

चर्चा के लिये आप समय निश्चित कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

बांकेलाल जी ने जो कहा है, मैं उनके सुझाव से सहमत हूं । लेकिन ढाई घंटे का जो सुझाव है, ढाई घंटा तो अधिकतम है । 1 घंटा रखे देते हैं, अगर आवश्यक होगा तो बढ़ा दिया जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

हमने जो कामरोको प्रस्ताव दिया है, क्या उसको आप लेना चाहते हैं उसमें 2 घंटे का समय है । फिर ढाई घंटा ही इसमें दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी माननीय विरोधीदल के नेता ने जो कहा उसके प्रकाश में मैंने यह कहा । माधव प्रसाद जी खड़े हुये थे, शायद वह कोई और बात कहते । लेकिन माननीय विरोधी दल के नेता ने एक बात कही मैं समझता हूं कि आपके अस्तित्व की चरितार्थता इसी में है कि सभी विरोधी दल के नेता एक होकर चर्चा मांगें ।

अब माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री वक्तव्य देंगे ।

उजियार घाट, जिला बलिया के घाट को एक व्यक्ति को अनिश्चितकाल के लिये दिये जाने के संबंध में वक्तव्य का स्थगन

सार्वजनिक निमांण राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)--

श्रीमन्, यह सवाल जो वक्तव्य के लिये था यह मुझ को बहुत देर में मिला और आज एजेंडा से पता चला कि मुझको वक्तव्य देना है । इसलिये मैंने कोई कापी टाइप नहीं करवाई ।

श्री उपाध्यक्ष--

यदि आप लोगों को कोई आपत्ति न हो तो मंत्री जी अपना वक्तव्य पढ़ें और अगर आपत्ति हो तो मैं कल पर रखूं ? ("आपत्ति है" की आवाजें) तो यह कल के लिये रख दूंगा ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट में पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिये प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट में, पांच सदस्यों के कार्य काल के, दिनांक 16 नवम्बर, 1971 को समाप्त होने के कारण रिक्त स्थानों पर, कार्य करने के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 17 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (17) के अनुसार, विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट में पांच सदस्यों के कार्य काल के, दिनांक 16 नवम्बर, 1971 को समाप्त होन के कारण रिक्त स्थानों पर, कार्य करने के लिये, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 17 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (17) के अनुसार, विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्नों के असंतोषजनक उत्तर देने के संबंध में शिकायत

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

एक व्यवस्था का प्रश्न निवेदन करना चाहता हूं । जब प्रश्नों का घंटा समाप्त हुआ तो प्रश्नों के संबंध में मैं भी और कुछ और हमारे मित्र आपसे व्यवस्था चाहते थे जिन प्रश्नों का उत्तर ठीक नहीं आया है उनके बारे में । लेकिन आपने बिल्कुल सुना ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप मुझसे बात कर सकते हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री---

आप वहां बैठे हैं तो यह भी तय करेंगे कि प्रश्नों के उत्तर सुसंगत है या नहीं नियम 38 के अनुसार । और अगर हम कहना चाहते हैं कि नियम 38 की पाबन्दी नहीं हुई तो उसके लिये क्या करें । श्रीमन् तो कह देंगे कि प्रश्नों के तत्काल बाद नहीं उठाया ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो प्रश्न यहां स्वीकृत होते हैं और जो हम भी अनुपूरक प्रश्न स्वीकृत करते हैं अगर उनके संबंध में कुछ कहना है तो मेरे कक्ष में कहिये कि यह आपत्तियां हैं । सरकार से उसका संबंध नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री---

जो जवाब आ गये तो वह सदन के पटल पर रख दिये गये । अब यह सदन की सम्पत्ति हैं और मैं समझता हूं कि सन् के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आप समझते हैं कि कोई जवाब जो रखा गया है उसमें कुछ त्रुटि है और आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप लिख कर भेज दें और हमको समझायें कि यह अशुद्धि है या गलती है तो मैं उसके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करूंगा ।

श्री रामधारी शास्त्री---

यह तो ऐसा हो जायगा कि जो चीज सदन के पटल पर है उसके बारे में हम कुछ कह ही न सकें और सरकार का ध्यान आकर्षित न कर सकें । दो दिन के बाद अगर यह उपवशन समाप्त हो गया तब तो हमारा प्रश्न कोल्ड स्टोरेज में चला जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

विधान सभा तो चलती रहती है ।

श्री रामधारी शास्त्री--

आज जो जरूरी सवाल है 15 दिन के बाद असंगत हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय नहीं लेकिन अगर आप हमारा ध्यान आकर्षित करें तो जरूर उसमें जो आपकी शंकायें हैं या जो मूल आपत्ति है उसका निराकरण किया जायगा ।

श्री रामधारी शास्त्री--

मैं यह कह रहा था कि प्रश्नों के तुरन्त बाद दो, चार मिनट का समय तो इसके लिये दिया करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था नहीं है। नियम की स्थिति यह नहीं है। आपको जो कुछ कहना होता है पहले ध्यान आकर्षित करें कि हम यह यह सवाल कर रहे हैं । इसलिये यह बात आप मेरे कक्ष में कर लें तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री रामधारी शास्त्री--

कई बार प्रश्नों के संबंध में रूलिंग हो चुकी है और यह निर्णय हो चुका है कि प्रश्नों और पूरक प्रश्नों के संबंध में प्रश्नों के समय के बाद प्रश्न उठाये जा सकते हैं (व्यवधान)

लैण्ड सीलिंग तथा अर्बन प्रापर्टी सीलिंग संबंधित विधेयक लाने की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि लैंड सीलिंग और अर्बन प्रापर्टी की सीलिंग के प्रश्न को लेकर इस सदन के सभी दलों के नेताओं की सलाह से एक विधेयक लाया जायगा और सब की सलाह वह इस विषय में लेंगे लेकिन आज अखबारों में छपा है कि इस प्रश्न को अभी 10 फरवरी तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जायगा और सत्ता दल ने अपने दल की कोई समिति नियुक्त की है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन को कानफिडेंस में लेंगे और यह सारा सदन और प्रदेश की जनता आज इस बात स चिन्तित है कि सरकार क्या कार्यवाही इस दिशा में करने जा रही है, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस विषय में सभी दलों के नेताओं की राय वह लेंग'' (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

अब नियम 56 के अन्तर्गत 2 सूचनायें प्राप्त हुई हैं....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

आप श्रीमन्, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न टाल रहे हैं आप इस पर विचार करें....

श्री उपाध्यक्ष---

इसी तरह से आप एक न एक प्रश्न रोज उठा देते हैं, इस तरह से आप सदन के कार्य में बाधा डालते हैं और सदन की कार्य क्षमता को नहीं बढ़ाते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप श्री कल्पनाथ सिंह को तो सुन लें.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 56 की यह एक सूचना सर्वश्री कल्पनाथ सिंह, सुरेंद्र विक्रम और बंशीधर पांडेय की है कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, अध्यापकों एवं स्वायत्त शासन कर्मचारियों में केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर अन्तरिम सहायता न देने के कारण असंतोष है और दूसरी यह श्री शम्भूनाथ चौधरी की बनवारी डालमियां ब्रादर्स और को-डेल्को आजमगढ़ को बिक्रीकर माफ करने के फलस्वरूप जनता में असंतोष के विषय में है। इन दोनों को मैं ने अस्वीकार कर दिया है।

सदन के भावी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदन के सदस्यों की बड़ी प्रबल इच्छा यह जानने की है कि यह सदन कब तक चलेगा और कब तक सदन को चलाने का कार्यक्रम उनके पास है जो जरूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जी की ओर से तो भावी कार्य की कार्य सूची है और उसके होते हुये यह प्रश्न अभी कैसे उठाने की बात हो सकती है....

श्री महीलाल---

आप हमारी सहायता करें और कुछ जानकारी तो उधर से मिलने दें कि यह सेशन कब तक चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन को तो मैं चला रहा हूं और जो काम सदन को सरकार की ओर से दिया गया है वह चलाया जा रहा है । जब शासन कहेगा कि अब काम न किया जाय तभी कोई दूसरी स्थिति आयेगी वरना जो कार्य आ चुका है वह चलेगा.... (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, कितना काम सदन के सामने है यह आप देखेंगे, सदन कब समाप्त हो जायगा या चलेगा यह सब यहां आप देखेंगे, यह शासन की मर्जी पर नहीं रहेगा, यह सब यहां आप की मर्जी पर रहेगा । शासन ने इतने दिन तक सदन को नहीं बुलाया और इतना काम यहां इकट्ठा वह रखे रहे कि अगर रात-दिन भी सदन को चलाते तो वह पूरा न होता, यह आपकी मर्जी पर है कि जो कार्य सदन के सामने है उसे बैठकर यह शासन पूरा करे....

श्री उपाध्यक्ष---

वह आपने नियम की स्थिति के बारे में कहा, सरकार की तरफ से आगामी सप्ताह का कार्यक्रम आता है और मान लीजिये कि वह पूरा नहीं होता है....

श्री महीलाल—

श्रीमन्, अक्सर ऐसा हुआ है और होता रहा है कि कार्यसूची में जो क्रम रहता है वह पूरा नहीं होता और सदन एक दम से उठ जाता है। यह जरूरी नहीं है कि जो कार्यक्रम आ गया वह पूरा ही शासन करे । ऐसा तो नहीं है कि शासन कार्यक्रम को छोड़ कर सदन को उठा दे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, इस तरह से तो आप सदन के और मेरे अधिकार का अतिक्रमण करने की कोशिश बार-बार करते हैं । नियम की स्थिति यह है कि अभी तक ऐसा होता है कि 5 दिन का कार्यक्रम बतला देते हैं । वित्त मंत्री जी ने कार्यक्रम सदन के सामने रख दिया है और उसके बारे में कार्यमंत्रणा समिति में तय हो जायगा कि कितना कार्य लिया जायगा । आप अभी मुख्य मंत्री जी से चाहते हैं कि वह बता दें । आज ही 5 बजे या सदन के उठने पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी वहां यह कार्यक्रम तय हो जायगा और आप को उसकी सूचना मिल जायगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिसा देहरादून)—

मैंने अभी तक औचित्य का प्रश्न आप के सामने रखा था किन्तु मुझे खेद है कि आपने मेरे प्रश्न को महत्व का नहीं समझा....

श्री उपाध्यक्ष—

आप ने खुद उसको महत्व का प्रश्न नहीं समझा, आप समझते होते तो आप ने उस विषय में नियमानुसार सूचना दी होती, आप इस तरह से यहां सवाल उठाते हैं जो नियमानुकूल नहीं है

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैं यहां पर 11 बजे से बैठा हूं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, पूंजीपतियों का 3 लाख बिक्री-कर माफ हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुझसे कक्ष में मिल लीजिये ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक १९७१†

*कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि....

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, नियमों में लिखा है कि सोमवार को विधान सभा का प्रोग्राम बताया....

---

†6 जनवरी, 1972 की कार्यवाही में छापा गया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्याम सूरत उपाध्यक्ष---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1971 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 14 के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि जिन मंडियों का विनियमन किया जाय, उनके सदस्यों को मनोनीत करके एक वर्ष के लिये समितियों का गठन कर दिया जाय और उसके पीछे जो समितियां बनें, वे निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनें ।

श्री उपाध्यक्ष---

कार्य सूची में एक बात रह गयी है और वह यह है कि सम्पूर्ण सदन की इच्छा जान पड़ी कि बंग बन्धु जो छोड़ दिय गय हैं, उनक बारे में प्रस्ताव लिया जाय । जल्दी-जल्दी में मरी निगाह में नहीं आया और माननीय मुख्य मंत्री जी न फिर याद दिलाया है । मंडी समिति विधेयक माननीय मंत्री जी ने रख दिया है, उस पर भाषण बाद में होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

नता सदन ने कहा है यह तार से राष्ट्रपति भवन में भेज दिया जाय ।

बंगबन्धु, शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई एवं भारत भूमि पर स्वतन्त्र बंगला देश के राष्ट्रपति के रूप में आगमन पर बधाई का प्रस्ताव

*मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

श्रीमन्, यह बड़ी प्रसन्नता और उल्लास का अवसर है कि पिछले 9---10 महीनों से जो एक संसार की बहुत बड़ी घटना हमारे पड़ोस में घट रही थी, उसका एक सुन्दर अन्त हुआ। और इस घटना के घटित होने में हमारे देश की जनता का सफलतापूर्वक एक बड़ा भारी योगदान सम्पन्न हुआ। हमारे इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों ने बार-बार इस सम्बन्ध में चर्चा की और प्रदेश की जनता के विचारों की अभिव्यंजना का जो हमारी कामनायें थीं, वे आज पूरी हुई हैं। हम यह चाहते थे कि बंगला देश के जो शरणार्थी इस देश में आ गये हैं, वे सुरक्षित ढंग से और सम्मानित ढंग से अपने देश को वापस जायं। हम यह मांग कर रहे थे कि बंगला देश को एक स्वतन्त्र देश की मान्यता प्राप्त हो और हमारा देश मान्यता प्रदान करे और अभी उस समय भी और हाल में भी हमने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और इच्छा व्यक्त की कि वहां के जो सर्वप्रिय नायक हैं, जो विधानतः वहां के राष्ट्रपति हैं, और जो पाकिस्तान की जेलों में कैदी थे, वे तत्काल रिहा किए जायें। भारत सरकार से हमने यह मांग की थी कि वह इस संकल्प को पूरा करे और उनकी रिहाई के लिये जोर लगाये और श्री मुजीबुर्रहमान छूटें और अपने देश की जमीन पर वापस जायें और इस नये उदीयमान हुए राष्ट्र का नेतृत्व कर सकें। आज हमारे लिये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि उनकी रिहाई हुई और आज भारत में, हमारे देश की धरती पर हमारी राजधानी में विद्यमान हैं जहां आज उनका सम्मान किया गया है, उनका अभिनन्दन किया गया है । राष्ट्रपति भवन में आज वह हमारे देश के नेताओं से और इस देश की सरकार से मिल रहे हैं। इसी सम्बन्ध में आपकी आज्ञा से यह एक प्रस्ताव मैं उपस्थित करता हूं। हमारे लिये यह सौभाग्य की बात है कि जिस समय यह घटना घटी है और सम्पूर्णता प्राप्त हुई है हमारे इस संकल्प को तो यह हमारा सदन बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत औचित्य हमारे लिये रहा है, हमारे गौरव की बात रही है कि हम सब एक मत से अपने सदन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। वह प्रस्ताव मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता हूं जिसके बारे में हमारे विरोधीदल के नेता तथा अन्य विरोधी दल के नेताओं से भी राय ल ली गई है और उसको मैं आपके सन्मुख प्रस्ताव करता हूं :—

"यह सदन बंगबन्धु, श्री मुजीबुर्रहमान की रिहाई और भारत भूमि पर स्वतंत्र बंगला देश के राष्ट्रपति के रूप में आज प्रातःकाल पधारने पर हष प्रकट करता है तथा बंगला देश की जनता तथा सरकार को उल्लास के रूप में इस ऐतिहासिक अवसर पर बधाई देता है।

यह सदन उत्तर प्रदेश की 9 करोड़ जनता की और से यह आश्वासन देता है कि हम बंगला देश के विकास तथा प्रगति में भारत सरकार के सद्प्रयत्नों में भरपूर योगदान करेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बंगबन्धु, श्री मुजीबुरहमान चिरंजीवी हों और बंगला देश को उनका कल्याणकारक तथा सशक्त नेतृत्व चिरकाल तक मिलता रहे।"

मान्यवर, हम उनका स्वागत करते हैं अपने देश में और यह कामना करते हैं कि अपने देश का वह नतृत्व सफलतापूवक करें जो वहां पर विध्वंस हुआ है उसके निर्माण करन में सफल हों और उस देश की जनता को कल्याणकारी और सुखी जीवन प्रदान करने म सक्षम हों।

जिस समय हमको यह सूचना मिली थी जिसका उल्लेख मैंने सदन में किया था कि 'गबन्धु छूट ह और उनकी रिहाई हुई है तत्काल ही यह सूचना भी मिली कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह निर्णय किया कि उनको छोड़ा जाय लेकिन वह कब छूटगे इसकी तिथि की घोषणा उन्होंने नहीं की थी। हम सभी उत्सुकतापूर्वक उस तिथि की घोषणा होने की राह देख रहे थे। बंगबन्धु छूटे गत शनिवार को और उसी दिन यह सूचना मिली कि शेख साहब हवाई जहाज से लन्दन चले गये। यह घटना 8 तारीख की है। फिर इसके बाद यह चिन्ता हुई कि वह लन्दन जबरदस्ती ले जाये गय या किस दशा में ले जाये गये और क्यों ले जाये गये। पहले तो यह मालूम हुआ, जो अंग्रेजी के समाचार-पत्रों म आया था, रेडियो से मालूम हुआ कि किसी अज्ञात स्थान को उनको ले जाया गया। बाद में यह पता लगा कि वह ले जाय गये 3 बजे प्रातःकाल पाकिस्तान के हवाई जहाज से और उस समय उनको पाकिस्तान से रवाना किया गया और दोपहर बाद इस बात की सूचना नहीं मिली थी कि वे पहुंचे कहां हैं। अपराह्न में यह मालूम हुआ कि वे लन्दन लाये गये और वहां एक होटल में टिकाये गये हैं और उसी वक्त यह सूचना भी मिली कि वे मुक्त अवस्था में हैं और वहां के एक पत्रकार सम्मेलन में वार्ता भी करने वाले हैं जो वार्ता उस दिन शाम को हुई। मुझे प्रसन्नता है, हम सभी को यह प्रसन्नता है कि उस दिन भारत की प्रधान मन्त्री लखनऊ में वर्तमान थीं। उनके माध्यम से यह मालूम भी हुआ कि वे लन्दन के होटल में स्थित हैं और हम सब मौजूद थे राज भवन में जब प्रधान मन्त्री ने टलीफोन मिलाया लन्दन और उसी होटल में और श्री मुजीब साहब से उनकी बात भी हुई। बातचीत में श्री मुजीबुर्रहमान साहब ने इस देश को बधाई दी, अपनी कृतज्ञता प्रकट की और यह बताया कि हम छूटकर आ गये हैं और यहां लन्दन में हैं। अभी हमने अपना कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। उनकी बातचीत जब हो रही थी तो हम लोग भी राजभवन में उपस्थित थे और जब यह निश्चय हो गया कि लन्दन में वे जीवित हैं और बन्दी जीवन से मुक्त हो चुके हैं, वहां पर अपनी वक्तृता दे रहे हैं और अपना कार्यक्रम निर्धारित करन वाले हैं शीघ्र ही ढाका पहुंचने के लिये। यह एक ऐतिहासिक बात हुई।

मान्यवर, हमारी राजधानी में जब कि यह सूचना हमें मिली और यह बातचीत होकर इतनी बात निश्चित हो गई। बाद में यह पता लगा, कल इस बात की सूचना मिली कि वे आ रहे हैं। भारतवर्ष पधार रहे ह और लन्दन से पहले मास्को जायेंगे और मास्को से फिर वे दिल्ली जायेंगे। कल शाम तक यह मालूम था, आज यह पता लगा कि लन्दन से वे सीधे दिल्ली आये हैं और प्रातःकाल आज आठ बजे पहुंचे हैं। उनको मास्को भी जाने का समय नहीं

[श्री कमलापति त्रिपाठी]---

था। वे ढाका पहुंचन के लिय उत्सुक हैं वहां पर उनका दर्शन करने के लिये जनता उत्सुक है और वहां पर उनका परिवार तो उत्सुक होगा स्वाभाविकतया ही और वे स्वयं इस बात के लिये उत्सुक हैं कि वे पहले देश म पहुंचे और वहां पर अपने साथियों से मिल लें और बाद में कोई कार्यक्रम होगा तो होगा। कल एक सूचना मिली कि आज प्रातः 8 बज वे दिल्ली पहुंच जायेंगे। ठीक आठ बजे उनका वायुयान दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरा। वहांपर हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारी प्रधान मन्त्री ने और पार्लियामेंट के सदस्यों न जो वहां पर मौजूद थे तथा एक बहुत बड़े प्रमुख नागरिक, एकत्रित जनता न वहां उनका हार्दिक स्वागत किया और उसके बाद वे परेड मैदान में एक सभा में पहुंचे और वहां पर उन्होंने भाषण किया। आज प्रातःकाल हम सबने कदाचित रेडियो से उनका भाषण भी सुना होगा। प्रधान मन्त्री ने जो स्वागत किया वह भी सुना होगा। राष्ट्रपति ने जो एयरोड्राम पर स्वागत किया वह भी सुना होगा। बहुत बड़ी भीड़ ने परेड मैदान में उनका स्वागत किया और बंगला भाषा में उन्होंने अपना भाषण किया वह भी हम सब लोगों ने सुना। उन्होंने हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की इस देश के प्रति और अन्त में अपन भाषण में "जोय बंगला" और "जय हिन्द" और "जय इन्दिरा गांधी" के नारे भी लगाये। आज ही व ढाका के लिये रवाना होन वाले हैं।

समाचार-पत्रों में कुछ मनोरंजक समाचार छपे थे जब वे लन्दन पहुंचे। हमारे माननीय सदस्यों ने व समाचार भी पढ़े होंगे और अब वे बातें स्पष्टता से सामने आयेंगी तब पता लगेगा। इतना तो उन्होंन कहा ही था कि जेल में वह इस प्रकार रखे गये और उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव हुआ जसा कि साधारण कदियों के साथ भी नहीं किया जाता है। एक दूसरी कहानी भी छपी थी कि यहिया खां साहब जिस दिन अपने कार्यभार से मुक्त हुए उसके दो दिन पूर्व उन्होंने यह आदेश दिया था कि शेख मुजीबुर्रहमान को फांसी दे दी जाय और उसके लिये उनकी कब्र बनान के लिये गड्ढा वगरह भी खोद दिया गया था कि फांसी दी जायगी और उन्हें वहां दफन कर दिया जायगा। कहानियों में यह बात भी आई कि जो फांसी देने वाले थे उन्हें यह मालूम था कि दो दिन के बाद ही यहिया खां साहब अपनी शक्ति का समर्पण करेंगे इसलिये उन्होंने शेख मुजीबुर्रहमान को बचा लिया। शायद यह कहानी है लेकिन जनरल यहिया खां से कहा यह गया कि उन्हें फांसी दे दी गई है। लकिन उन्हें बचा लिया गया था और कहीं छिपा कर रखा था। जैसी अस्त व्यस्तता पाकिस्तान में चल रही थी उसमें एक बात की जानकारी नहीं हो सकी कि उन्हें फांसी हुई या नहीं। अब भुट्टो साहब के आने पर वह फांसी की बात टल गई। आप देखें कि घटनाचक्र का किस प्रकार परिवर्तन होता है और किस प्रकार हमारे ऐसे व्यक्ति कहें कि जिसे भगवान बचाने वाले होते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, फांसी के तख्त से वह राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे ह। जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने अपनी देश की जनता का नेतृत्व किया, जिन सिद्धान्तों को लेकर किया, जिनकी उन्होंने आज घोषणा की कि "हम लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता और समतावाद, समाजवाद के आधार पर अपने देश की प्रगति चाहते हैं और इसमें भारत ने जो हमारी सहायता की है उसके लिये हमारे देश की जनता सर्वदा कृतज्ञ रहेगी और हमारा जो संकल्प था वह पूरा हुआ," इससे इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को हर्ष, उल्लास और उत्साह प्राप्त हुआ है और दुनिया के लोग देख रहे हैं कि एक नये, स्वतंत्र और प्रगति की ओर उन्मुख राष्ट्र का उदय हुआ है। आज आपकी आज्ञा से हम सभी लोग उनके छूटने के बाद तत्काल अपने देश में पधारने के लिये उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनन्दन करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और उस देश की जनता को बधाई देते हैं जिसने देश की स्वतंत्रता रक्त स्नान करके, तपश्चर्या के मार्ग में कठिनाई का दलन करके और मृत्यु का सामना करने के बाद अर्जित की है। हम उस देश की जनता का स्वागत करते हैं और अपनी हार्दिक शुभ कामना उसके प्रति व्यक्त करते ह। हम चाहते हैं कि बंगला देश फले-फूले और शेख मुजीबुर्रहमान अपने इस प्रयास में सफल हों। उनका अभिनन्दन करते हुए, उन्हें और उनके देश को बधाई देते हुए आज की इस अत्यन्त उल्लासमयी घटना के ऊपर हम अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करते हैं। हमारी आपसे

प्रार्थना है कि हमारी यह भावना शेख मुजीबुर्रहमान के पास समय हो तो राष्ट्रपति भवन में वे मौजूद है तार द्वारा पहुंचा दी जाय।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने जिस विस्तार के साथ और खूबी के साथ इस को पेश किया है, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं केवल जाब्ते के लिये नहीं बल्कि वास्तविकता से। उनके भाषण के बाद कोई बात कहने की जरूरत नहीं रह जाती है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूंगा। नेता दुनिया में अपनी-अपनी जनता के बहुत हो चुके हैं और बहुत होंगे और जनतन्त्र में तो पालिटिकल लीडस की प्री-एमीनेंस के बिना काम चलता ही नहीं, शेख मुजीबुर्रहमान साहब का जो नतृत्व उदय हुआ वह एक असाधारण बात है। जितने वोट उनको मिले वह, मैं नहीं समझता कि किसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन्स में किसी नेता या किसी पार्टी को मिले हों। यही नहीं, वोट तो जनता ने दिये लेकिन किस प्रकार वह लोगों के दिल और दिमाग पर छाए हुए थे, वह इससे जाहिर होता है कि हाई कोर्ट के जजेज ने पाकिस्तान के भेजे गये मनोनीत गवर्नर को शपथ दिलाने से इंकार कर दिया। सारी पुलिस और सारे कर्मचारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हुक्म को मानने से इंकार कर दिया। और जो अत्याचार बंगला देश वासियों को सहने पड़े वह भी अभूतपूर्व कहे जा सकते हैं। हमने इतिहास में बहुत से जालिम शासकों के नाम सुने हैं और जैसे चंगेज खां, तैमूर लंग, हिटलर आदि। चंगेज खां योरूप में, हिन्दुस्तान में सारे पश्चिमी और मध्य एशिया और चीन में छाया रहा, उसने अनेक देशों पर हमले किये तथा बहुत दिनों तक राज्य किया। जहां-जहां गया डिवास्टेशन, बरबादी होती चली गई। और इसी तरह से तमूर लंग। लेकिन एक-दो, चार-छः, दिन लेकिन पूरे 9 महीने तक उनकी फौज ने निहत्थे लोगों पर अत्याचार किया, ऐसा हमको किसी इतिहास में पढ़ने को नहीं मिला। यही नहीं, निहत्थे लोगों में बच्चे और महिलायें भी शामिल हैं और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका भी दृष्टांत इतिहास के पन्नों म नहीं मिलगा और जिस प्रकार हथियार डालने के 23 दिन पहले वहां के बुद्धिजीवियों को नष्ट करने की कोशिश की गई, वह भी अपनी मिसाल नहीं रखती। मौलाना भासानी के कथनानुसार 20 लाख आदमियों का हनन किया गया है। इतनी बरबादी मेरे पास कहने के लिये शब्द नहीं हैं, वहां की मुवज्जम फौज ने अफसरों के हुक्म के अनुसार, खुलकर लगातार 8–9 महीनों तक की जिसकी मिसाल भी नहीं मिलेगी। शेख साहब को जो पापुलरिटी, विश्वास अपनी जनता का हासिल है, वह आज की एक बात से जो एक सज्जन से मालूम हुई, जाहिर हो जायगी। एक हिन्दू लड़की से किसी की बातचीत हुई जो रिफ्यूजी थी और बंगला देश से आई थी—किसी कैम्प में रही होगी—उससे एक सज्जन ने पूछा कि क्या तुम वापिस जाओगी—जो कुछ हुआ देश के तकसीम होने के बाद, मान लो शेख साहब आ जायं, बंगला देश आजाद हो जाय तो तुम वापस जाओगी? उसने जवाब दिया कि शेख मनुष्य पहले हैं मुसलमान बाद में। हम जायेंगे। तो इस प्रकार का विश्वास, मैं समझता हूं, कम लोगों को दुनिया में हासिल होगा। मुझसे कुछ साथियों की बातचीत हुई और मुझे इसमें शक था कि बंगला देश आजाद हो जाने के बाद शेख मुजीबुर्रहमान देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेने के बाद आया सब लोग वापस जा सकेंगे। इसमें दो राये थीं। मैं स्वयं अपना मन ही नहीं बना पा रहा था लेकिन यह जो बातें मैंने बतलाई मुझको एक गवर्नमेंट आफिसर ने बताई तो अब मुझको यकीन है कि इस समय सब लोग 98 लाख या एक करोड़ वह अपने देश लौट जायेंगे।

जैसा माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि यही हमारा मुख्य उद्देश्य था और दूसरा यह कि वहां जनतन्त्र के सिद्धान्तों का जो ह्रास हो रहा था उनकी मान्यता बढ़े। यह उद्देश्य कि हमारे पड़ोसी देश में जनतन्त्र फले-फूले हमारा एक प्रकार से गौण उद्देश्य था। तो इस तरीके से हमारे मुल्क को मजबूर होकर इस लड़ाई में कूदना पड़ा। वह उद्देश्य हमारा पूरा हुआ और हमारा वह मन्तव्य सिद्ध हुआ। अभी मैं अपने एक साथी से कह रहा था कि सैकड़ों क्या हजारों

[श्री चरण सिंह]

वर्ष का इतिहास है भारतवर्ष सदैव एक मुल्क रहा है इतिहास में। यह ठीक है उसमें एक जमाना ऐसा गुजरा है कि यह छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त था लेकिन फिर भी कल्चर की दृष्टि से साहित्य और धर्म की दृष्टि से और संस्कृति की दृष्टि से वह एक इकाई था। वह केवल पोलिटिकल दृष्टि से ही कुछ हिस्सों में बंटा था। जहां तक हम इतिहास देखते हैं, अफगानिस्तान भी भारतवर्ष का एक हिस्सा था। औरंगजेब के जमाने में यह हमारे देश का एक सूबा था। पेशावर से कलकत्ता तक और केदारनाथ से कन्याकुमारी तक हमारे पुरखे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक इकाई थे और अंग्रेजों के अधीन रहते हुए भी हमारा देश एक इकाई था। ऐसा मानता हूं कि अंग्रेजी राज्य में लोगों की तंग दिली मुनज्जम होकर आयी और देश तकसीम हुआ। और एक प्रकार से शाहजहां के मरने के बाद जो हमारे मुल्क में हुआ ठीक उसकी पुनरावृत्ति हुई। काश दारा शिकोह अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाता तो हमारे देश को जो गुलामी देखनी पड़ी वह शायद देखने को न मिलती और कांग्रेस को पूरी कामयाबी मिल जाती तो भी देश तकसीम न होता। लेकिन धर्मान्धता मुस्लिम लीग बन कर हमारे सामने आयी। तथा मुस्लिम लीग के अलावा जो हमारे लोग थे उनकी भी कुछ गलतियां थीं, इसमें कोई शक नहीं। देश तकसीम हुआ और हमारे देश के दुश्मन या बड़े राष्ट्र जिनको मैं दुश्मन की संज्ञा नहीं दे सकता, स्वार्थी थे कि भारत ऐसा देश न बने कि उन्नति करके उनकी पंक्ति में आकर खड़ा हो जाय। भारतवर्ष के सम्बन्ध में हमने जो स्वप्न देखे थे अंग्रेजों के जमाने में, वह अपने मुल्क में कभी पूरे नहीं होंगे अगर देश इस तरह से तीन हिस्सों में बंटा रहा। मैं यह समझता हूं कि शेख मुजीबुर्रहमान इस में अगर कदम उठायें तो आज नहीं, कल उनको कामयाबी हासिल हो सकती है। वह दुनिया के इतिहास में तो अभी नहीं लेकिन बंगला देश के इतिहास में अमर हो गये हैं। लेकिन अगर वह कोशिश करें कि स्वेच्छापूर्वक पाकिस्तान, बंगला देश और भारतवर्ष मिल कर एक संघ बन जाय तो आज नहीं तो कल, मुझको यह उम्मीद है कि उनको कामयाबी हासिल होगी। जो सद्भावना एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच होनी चाहिये जैसाकि हमारी परम्परा रही है फिर कायम हो जाय तो हमारा देश जो यह सदा से एक इकाई के रूप में रहा है, वह फिर एक हो जाय। इतिहास का तकाजा है कि फिर मुल्क एक हों, फिर हम सभी अपना सिर ऊंचा करके चल सकें तो हमारा वह स्वप्न पूरा हो गया। जहां तक कि पाकिस्तान का सम्बन्ध है, उसमें जो आज भावना है यह भारतवर्ष के बहुत विरुद्ध है। वहां की जनता को गुमराह किया है वहां के हुक्मरानों ने। धीरे-धीरे अगर उनके सामने सच्चाई आ जाय तो क्योंकि मनुष्य अन्त में सच्चाई को स्वीकार करता है वह भी स्वीकार करेंगे। ऐसा न होने पर न तो यह तरक्की कर सकते हैं और न हम, न बंगला देश कर सकता है क्योंकि उसके सामने भी बहुत अधिक कठिनाइयां हैं और आयेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से माननीय त्रिपाठी जी के उद्गारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं और परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि शेख मुजीबुर्रहमान साहब को इस दिशा में विचार करने के लिये प्रेरित करें।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब नेता सदन, मुख्य मन्त्री जी ने शेख मुजीबुर्रहमान के छूट जाने तथा स्वतंत्र हो जाने और नवोदित राष्ट्र के राष्ट्रपिता तथा राष्ट्रपति के रूप में समाचार दिया तो इस प्रस्ताव में उन्होंने बहुत सी बातें कहीं। आज का यह दिन बहुत खुशी का दिन है। सदन में एक दिन था जब हमने यह प्रस्ताव पारित किया था इस सम्बन्ध में। जैसा कि नेता सदन ने कहा कि भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसको कोई मारने वाला नहीं है। जब इस सदन में 25 मार्च को यहिया खां और शेख मुजीबुर्रहमान के बीच वार्ता असफल हुई और उनके ढाका छोड़ने के पहले ही शेख साहब को बन्द किया गया। जैसा कि नेता सदन ने कहा कि संसार के इतिहास में, लोकतन्त्र के इतिहास में इतना प्रबल जनमत का समर्थन उनको प्राप्त हुआ था। यह जनमत की अवहेलना थी। वह उस समय तक बहुत बड़े नेता बन चुके थे जैसा कि दुनिया के इतिहास में किसी को नहीं मिला होगा। इतिहास की पुनरावृत्ति

होती है, भोगोलिक रूप में किसी भाग को विभाजित कर देने से वास्तविक विभाजन नहीं हो जाता। नेता विरोधी दल ने यह बताया कि उस समय भारत तीन भागों में बंट गया था, परन्तु मैं तो कहता हूं कि तीन नहीं बल्कि पांच भागों में विभक्त हो गया था यथा बंगला देश, लंका, पाकिस्तान, भारत और बर्मा। यह तो जाग्रफी है पांच क्या सात भाग कर दें और सात से 3 भी हो सकते हैं लेकिन इससे हमारी आत्मा का बंटवारा नहीं हो सकता है। हमको बड़ी खुशी है कि हमारा पार्लियामेंट तथा भारतवर्ष की सभी एसेम्बलीज ने उनके इस आन्दोलन का बहुत प्रबल मत से समर्थन किया था और इसके लिये इस देश ने, पार्लियामेंट ने, सरकार ने बराबर इस बात का प्रयास किया। मुझे गांधी जी की वह बात याद आती है कि जब उन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की कल्पना की थी, इस बात को घोषित किया था कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता की परिभाषा दुनिया के और देशों की राष्ट्रीयता की परिभाषा से कुछ भिन्न होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि जहां की जनता का मनोबल ऊंचा होगा, वह अपने शासन को बनाना चाहेंगे और जहां मानवता दबती रही होगी, पिसती रही होगी, उसके उद्धार के लिये, उसकी सहायता के लिये, अपने को मिटाकर भी, उस देश की स्वतंत्रता के लिये भारत को प्रयास करना होगा। भारत ने उसको कर दिखाया। संसार के इतिहास में हमारे देश का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। आज भारत को क्यों न खुशी हो। भारत ने बड़ा प्रयास किया है। जिन-जिन लोगों ने आजादी के लिये लड़ाई लड़ी---केनिया में जोमो केनियाटा ने लड़ी, अल्जीरिया में भी लड़ी गयी---भारत उनके साथ रहा। भारत ने इन्डोनेशिया की स्वतन्त्रता का भी समर्थन किया, बहुत से ऐसे नवोदित राष्ट्र हैं जिन पर विदेशी लोग कब्जा जमाये बैठे थे। वहां के लोगों ने आन्दोलन किया। हमारा भारतवर्ष तमाम ऐसे देशों की जनता का समर्थन करेगा जिनको जालिम ताकतें दबाने की कोशिश करेंगी।

आज शेख मुजीबुर्रहमान का आना ऐसा लगता है जैसे किसी नाटक का पटाक्षेप है। जिनकी कब्र खुद गयी थी---वह तो जेलर ने अपने कमरे में बन्द कर दिया वरना याहिया खां ने तो हुक्म दे ही दिया था। यह तो वैसे ही हुआ जैसे हरिण कश्यप ने प्रहलाद को अग्नि में डाल देने के लिये कह दिया था, लेकिन वह बच गये। जाको राखे साइयां मार सकै न कोय। वह कब्र में जा रहे थे लेकिन आज वह एक देश के राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्रपति हैं। आज वह अपने देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। भगवान करे वह युग-युग तक जियें और उनका नेतृत्व चलता रहे। लेकिन यहां मुझे एक बात और याद आती है। हमारे हजारों वीरों ने इस इतिहास को स्वर्णिम बनाने के लिये, बंगबन्धु को वापस लाने के लिये बड़ा प्रयास किया है। उन्हीं के बलिदान से यह दिन देखने को मिला है। आज उन सब जवानों का बलिदान सबसे ज्यादा स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान से ही आज बंगला देश और भारत को यह दिन देखने को मिला है। हमारा ध्यान आज इस ओर जाता है कि हजारों वीरों के बलिवेदी पर चढ़ जाने के बाद यह दिन आया है। हमारा देश उन वीरों को कभी नहीं भूलेगा और इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर रहेगा। इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और नेता विरोधी दल ने जो बातें कही हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और चाहता हूं कि शेख मुजीबुर्रहमान के पास और उनकी सरकार के पास इस सदन की भावनाओं को अवश्य भेज दिया जाय।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने, नेता विरोधी दल ने और पांडेय जी ने जो प्रस्ताव के समर्थन में भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। बंगबन्धु शेख मुजीबुर्रहमान जी अभी कल मौत की घड़ियां गिन रहे थे, भगवान की कृपा से आज हमारे बीच हैं, स्वाधीन बंगला देश के राष्ट्रपति के रूप में विराजमान हैं हम उनका हृदय से स्वागत करते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

हैं। श्री मुजीबुर्रहमान हमारे लिये और भी बड़े महत्व के व्यक्ति इसलिये भी हैं कि जो हमारे उद्देश्य, सिद्धान्त, धर्म निरपेक्षता और लोकतन्त्र इस विजय प्राप्ति के साधन बने सारी दुनिया में हमारे सिद्धान्त सब से ऊपर गये। इसके लिये भी हम उनका अभिनन्दन करते हैं। यह बात सही है, जैसा कि हमारे नेता विरोधी दल ने कहा है, यह अभूतपूर्व घटना है, ऐसा इतिहास में देखने में कम आया है जहां कि लोगों ने अपने नेता के प्रति इतना विश्वास प्रकट किया हो। हमारे यहां भी असहयोग आन्दोलन चला, लेकिन ऐसा असहयोग आन्दोलन कभी नहीं चला जैसा कि बंगला देश में चला। वहां पर अपने राष्ट्रपति के प्रति अभूतपूर्व विश्वास का प्रतीकीकरण किया है। गवर्नर व चीफ जस्टिस से लेकर नीचे तक के छोटे-छोटे आदमियों ने सहयोग किया और इतने बड़े सैनिक शासन की नरसंहार की बात को नहीं माना। ऐसी परिस्थिति में मुजीबुर्रहमान साहब ने एक राजनीतिक भूमिका बड़े ही महत्व की अदा की है, जो स्वर्ण-अक्षरों में लिखी जायगी। पूर्व वक्ताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता, परन्तु भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने राजनीतिक भूमिका अदा की है उसी प्रकार व बंगला देश के पुनर्निर्माण में सामाजिक एवं आर्थिक भूमिका अदा करेंगे और हमारा देश जिसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है अपने साधनों द्वारा उनकी सहायता करेगा।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे शरणार्थी पिछले अनेक वर्षों से स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आते रहते थे। पाकिस्तान के रूप के कारण दोनों अंग से चिन्ता लगी रहती थी। अब हमें ऐसी चिन्ता लगने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर जो हमारे लिये प्रिय थे आज हमें वह दिन देखने को मिला है। हमारे शरणार्थी अपने तथाकथित एक समय से पाकिस्तान, अब बंगला देश, के दूसरे अंग में जायेंगे। हम भगवान से यही कामना करते हैं कि वे अपनी उपासना पद्धति को ध्यान में रखकर जो कितने दिनों से उसमें दूर हट गये थे, निर्भीक होकर उस देश के पुनर्निर्माण में सहायक होंगे। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मनुष्य के जीवन में आर्थिक स्थिति की महत्ता तो रहती है। आर्थिक जगत में मनुष्य का उत्थान आवश्यक है, सामाजिक जगत में मनुष्य का उत्थान आवश्यक है, उसी प्रकार मान्यवर, इस स्प्रिचुअल जगत में, धर्म में विश्वास रखते हुए चरित्र का निर्माण करने के लिये अवसर मिलना अत्यन्त आवश्यक है। जब वे स्वतंत्रता से अपनी उपासना पद्धति के अन्दर रहते हुए अपनी जीवन निर्भीकता से निर्वाह कर सकेंगे। आज लगभग 22 वर्षों के बाद, मुझे ऐसी आशा है, उसको यह अवसर देखने का मौका मिलेगा क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास एक ऐसे व्यक्ति—शेख मुजीबुर्रहमान, राष्ट्रपति के प्रति है जिसने उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर इतना जबरदस्त बलि चढ़ाई है।

अन्त में एक बात और कहनी है। हमारे नेता विरोधी दल ने, ऐसा लगता है हमारे ह्रदय की बात निकाल कर कह दी है, इसलिये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अनेक बार कहा है कि इस देश का निर्माण होगा। देश का निर्माण नहीं, मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया। इस देश का जो विभाजन हुआ था वह शक्ति को प्राप्त करने के कुछ उतावलेपन में हुआ था। अपने महान् नेताओं की बातों की उपेक्षा करके अप्राकृतिक बंटवारा हुआ था। ये दो देश दो सिद्धान्तों के आधार पर बने हैं। एक में तो सेनाशाही, तानाशाही का राज्य हुआ और दूसरे में धर्मनिर्पेक्षता का राज्य हुआ। हम तो दिन गिन रहे थे कि वह दिन आने वाला है—उन सिद्धान्तों के आधार पर जिनका हम प्रतिपादन कर रहे हैं, अपनी संस्कृति के आधार पर जिसमें इतिहास व साहित्य तथा शुरू से आखिर तक जितने इस देश के गठन में तत्व हैं, चाहे एतिहासिक हों या धार्मिक हों, अपनी परम्पराओं के आधार पर—जबकि हम सब एक होंगे और हम एक थे, हमारी संस्कृति भी एक थी और हमें आशा है, शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में हमारी संस्कृति और हमारी मान्यतायें जो सदा एक रही हैं भविष्य में फलें-फूलेंगी। देश महानता की ओर अग्रसर होगा और आज भी परिस्थितियां ऐसा संकेत करती हैं कि वह दिन

दूर नहीं है जब वह पुराना भारतवर्ष फिर एक होगा। हमारे उन सिद्धान्तों की विजय होगी जिनके आधार पर बंगला देश का निर्माण हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः बंगला देश के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं कि अब उनके राष्ट्रपिता, शेख मुजीबुर्रहमान उनके बीच रहेंगे। मैं राष्ट्रपिता और राष्ट्रपिता मुजीबुर्रहमान का भी पुनः हृदय से स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह बंगला देश के उत्थान और विकास में उनकी सहायता करे।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस नवोदित राष्ट्र बंगला देश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर्रहमान के दिल्ली आगमन पर तथा उनके स्वतन्त्र होने पर जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता, विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को पूर्णतयः सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इस अवसर पर मैं आपकी आज्ञा से केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज कुछ दिन पूर्व हमारे दल के नेता और इस देश के विचारक, स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया ने यह भविष्यवाणी की थी कि किसी न किसी दिन बांगला देश पाकिस्तान से अलग होकर रहेगा और उनका वह स्वप्न सत्य सिद्ध हुआ। मैं इतना और कहना चाहता हूं कि वैसे तो अपने देश में भी अहिंसात्मक ढंग से राजनीतिक लड़ाई लड़ने का सफल प्रयोग हुआ, किन्तु शेख मुजीबुर्रहमान साहब के नेतृत्व में बांगला देश के निवासियों ने जिस ढंग और जिस बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक ढंग से लड़ाई लड़ी वह विश्व के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। 9 महीने तक अपने पिता की अनुपस्थिति में उस देश की जनता ने जिस उत्साह और जिस प्रेरणा के साथ पाकिस्तानी बर्बरता का मुकाबला किया, वह प्रशंसनीय है। हमारा दल हमेशा इस राय का रहा है कि जब तक इन दोनों का एक महासंघ नहीं बनता, दोनों देशों का समुचित विकास नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि मुजीबुर्रहमान साहब के नेतृत्व में अवश्य इस दिशा में प्रयास होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने को और अपने दल को उन विचारों से सम्बद्ध करता हूं जो अभी माननीय नेता सदन तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने प्रकट किया है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्ताव रखा है और जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं खुले दिल से अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई न केवल बांगला देश की जनता की विजय है, बल्कि यह भारतवर्ष की जनता की भी विजय है, बल्कि दुनिया की उन तमाम शक्तियों की विजय है जो धर्मनिर्पेक्षता के सिद्धान्तों के लिये बराबर लड़त रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके लिये हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ीं, लाखों माताओं की गोदियां सूनी हो गयीं, हजारों आदमी मारे गये और उनके बाद यह खुशी का दिन देखने को मिला। इसी के साथ-साथ आज दुनिया की जो तानाशाही ताकतें हैं जो केवल ताकत के लिये ही दूसरे देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके लिये भी यह सबसे बड़ा सबक है कि कितना ही बड़ा दमन चक्र क्यों न चलाया जाय, देश की जनता की आवाज को कुचला नहीं जा सकता।

यहां पर तीनों देशों के महासंघ की बात कही गई। मैं तो एक छोटा सा राजनैतिक कार्यकर्त्ता हूं। अपने नेताओं से केवल एक इतनी अपील करना चाहता हूं कि हम कोई ऐसी बात न कहें जिससे कि इस नवोदित राष्ट्र में कोई आशंका पैदा हो जाय। आज तो हम बांगला देश की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और आज हम दुनिया के देशों से, दुनिया की महा-शक्तियों से कह रहे हैं --बांगला देश वास्तविकता है, इसे स्वीकार करो। अतः मैं अपने नेताओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

से भी यह निवेदन करूंगा कि बांगला देश की स्वतंत्रता को आप भी स्वीकार करें। हमारी प्रधान मंत्री जी ने यह कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं किन्तु वह हो गया है, जो टुकड़े हुये हैं उनकी हरकतों के कारण हुये हैं। अन्त में बांगला देश की जनता की मंगल कामना के लिये यहां पर जो माननीय नेताओं ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं।

श्री चरण सिंह—

माननीय गोविन्द सिंह नेगी ने जो बात अर्ज की और मेरे दो सहयोगी, श्री त्रिपाठी और श्री शास्त्री, यद्यपि मैं उनकी बात नहीं सुन पाया, जो बात कही उन्होंने भी कहा था और वही मैंने भी कहा था। मैंने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि श्री मुजीबुर्रहमान इस बात की कोशिश करें और परमात्मा उनको ऐसी प्रेरणा दे। यह नहीं कि तलवार के जरिये से किया जाय, या जबरदस्ती किया जाय। हिन्दुस्तान की प्रार्थना या कोशिश से पाकिस्तान एक नहीं हो सका है हिन्दुस्तान के साथ। किन्तु श्री मुजीबुर्रहमान इस स्थिति में हैं कि उनके जरिये से यह बात पूरी हो सकेगी। यदि यह बात माननीय सदस्य को मंजूर नहीं है, और इसमें उन्हें पाप लगता है, तो बात दूसरी है।

एक सदस्य—

इनका परमात्मा म विश्वास नहीं है, इसलिये ऐसा कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यात्मिक मूल्यों के प्रवर्तक और समर्थक सदा-सदा मानते आये हैं कि इस देश की भूमि में आध्यात्मिकता समाविष्ट है कि श्री कृष्ण द्वारिका गये, वहीं गांधी जी का उदय उसी प्रदेश से उसी पश्चिम से हुआ। तो सूर्यास्त नहीं होता है—अस्त होता है, उदय भी होता है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। यह कि गांधी जी यदि पश्चिम में तिरोहित हुए हैं तो उनकी आत्मा निश्चय ही पूर्व में उदय होगी। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में तीन जो सबसे बड़े नाम थे, एक गांधी जी, दूसरे नेहरू जो, तीसरे नेता जी सुभाष चन्द्र बोस। उनमें गांधी जी सपना थे, नेहरू जी आकांक्षा थे और नेता जी कर्म थे।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

और डाक्टर लोहिया जी प्राण थे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नाम नहीं लेना चाहता था। आपकी ही बात कहना था लेकिन आपने उसे बीच में कह दिया। यह लोहिया जी का वाक्य है। लेकिन दुर्भाग्य से सपना पूरा नहीं हुआ और कर्म भी पूरा नहीं हुआ। आकांक्षा भी कड़ुवी हो गई जैसा लोहिया जी ने कहा। मैं नाम नहीं लेना चाहता था। वह बात दूसरी थी, क्योंकि उसमें तथ्य दूसरे थे। हो सकता है सपना पूरा हो, आकांक्षा मीठी हो और कर्म जो निष्पन्न नहीं हुआ है, वह सम्पादित हो, नेता जी का कर्म उभड़ कर सामने आया। ताजा असहयोग आन्दोलन पूर्व में हुआ—जो बांगला देश है उसमें हुआ, कितने गांधी जी के मर्माहत क्षण नहीं विलीन हुये थे—नोआखाली में। उस बांगला देश में गांधी जी की आत्मा शायद वहां एक तरह से निहित हो गई थी, समाविष्ट हो गई थी। एक एसा आदमी आया, जिसने गांधी जी का सपना पूरा किया, असहयोग आन्दोलन को मूर्त रूप प्रदान किया। क्या दुनिया में किसी ने सोचा था? असहयोग आन्दोलन को अन्तिम परिणति तक पहुंचा दिया उसने। सबसे ज्यादा जबरदस्त यह बात हुई है। आज की दुनियां में सरकार से सरकार के रिश्ते की जो शृंखला अथवा कड़ी रही है, उसमें जनता से जनता का

रिश्ता सुनिश्चित करने का श्रेय श्री मुजीबुर्रहमान साहब को है। उन्होंने देश को उद्वेलित किया, बल्कि असहयोग की गांधी जी की जो कल्पना थी उसको किसी और भारतीय से अधिक, गांधी जी स्वयं से अधिक, परिणति तक पहुंचाया जो उसका कारण होगा और मैं समझता हूं कि एक शुभ लक्षण है कि जो हमारी त्रुटियां रही होंगी, इतिहास में जो हमारी कमियां रही होंगी, जो हमारे पुरखों से, हमारे नेताओं से, चाहे जानकारी में चाहे अनजाने में भूलें हुई होंगी, उनको ठीक करने के लिये ही शायद दिल्ली और ढाका की राजनीतिक धुरी सुनिश्चित हुई हो। मैं समझता हूं कि दिल्ली और ढाका की धुरी अगर सही दिशा में चलेगी हम सभी वह सपना पूरा होते देखेंगे, अत्याचार के विरुद्ध जब लाल आंखें जागृत होंगी तो सहयोग और बढ़ेगा, और जो काम युद्ध से नहीं हो सकता है वह काम इस एक आध्यात्मिक क्रांति, मन के हिसाब से किया जा सकता है। आज श्री मुजीबुर्रहमान एक व्यक्ति नहीं रह गये हैं। वह आदमी नहीं हैं, घटना और इतिहास हो गये हैं। एक मान चिह्न जो ठहरा दिया है वह मानवता के मार्ग को प्रशस्त करेगा, आदमी और आदमी के बीच में तादात्य को सुदृढ़ और सुनिश्चित करेगा।

प्रश्न यह है कि यह सदन बंगबन्धु श्री मुजीबुर्रहमान की रिहाई और भारत भूमि पर स्वतन्त्र बंगला देश के राष्ट्रपति के रूप में आज प्रातःकाल पधारने पर हर्ष प्रकट करता है तथा बंगला देश की जनता तथा सरकार को उल्लास के इस ऐतिहासिक अवसर पर बधाई देता है।

यह सदन उत्तर प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से यह आश्वासन देता है कि हम बंगला देश के विकास तथा प्रगति में भारत सरकार के सद्प्रयत्नों में भरपूर योगदान करेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बंगबन्धु, श्री मुजीबुर्रहमान चिरंजीवी हों और बंगला देश को उनका कल्याणकारक तथा सशक्त नेतृत्व चिरकाल तक मिलता रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७१--(क्रमागत)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक पर आपत्ति है, कृपया सुनने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह भाषण हो जाय उसके बाद।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

यह बहस नहीं हो सकती है। वैधानिक आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष--

पेश तो कर दिया उन्होंने।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

आपने करवा दिया। मैंने ऐतराज उठाया था। गलत पेश हो गया तो दिक्कत हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि यह एक स्वतन्त्र विधेयक तो हो सकता है लेकिन किसी मूल अधिनियम के अन्दर संशोधन उसी वक्त हो सकता है जिसका एक खास तरीका है और वह यह है कि या तो किसी धारा या कानून में कोई बढ़ाव या घटाव करें या किसी खंड में कोई नयी

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

धारा जोड़ी जाय। यह कतई बिलकुल अलग से पेश की जा रही है। एक स्वतन्त्र विधेयक है। इस वास्ते मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि यह विधेयक यहां पेश नहीं हो सकता।

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, अलग से विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यह तो साफ है। यह प्रतिकूल नहीं है। उसके लिय विधयक पेश किया जा रहा है। मैं यह कह रहा था कि कृषि उत्पादन मंडी समिति अधिनियम, 1964 की धारा 14 के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि जिन मंडियों को विनियमित किया जाय उनके सदस्यों को सरकार एक वर्ष के लिये चयन करे और उन समितियों का गठन करें और उसी अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत यह दिया हुआ है कि एक वर्ष के बाद जब समितियां बनाई जायं तो उनके सदस्यों तथा पदाधिकारियों का चयन किया जाय। किन्तु 5, 6 वर्ष हो गये, चयन नहीं हो सका। सरकार का यह इरादा है कि अब मंडी समितियों का कार्यकाल न बढ़े बल्कि उनका चयन करके गठन करे और उसके लिये निष्पक्ष रूप से चयन हो। इसके लिये जो मंडी समितियां थीं उनको समाप्त किया गया और उनके जो अधिकार और कर्तव्य थे उनको जिलाधिकारियों में निहित कर दिया गया। (व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि चुनाव कराने के लिये यह भी आवश्यक है कि एक निष्पक्ष वातावरण बनाया जाय। चुनाव अभी करा दिये जाते लेकिन जो चुनाव मंडी समितियों के होते हैं उनमें वोट देने का अधिकार सभापतियों को भी है। सभापतियों के चुनाव को हुए काफी समय हो गया इसलिये सरकार ने सोचा कि पहले सभापतियों का चुनाव हो जाय, फिर नये सभापति चुने जायेंगे और उनके द्वारा मंडियों के चुनाव कराये जायं। इसलिये ज्योंही गांव सभाओं का चुनाव हो जाता है फिर उसके बाद उन मंडी समितियों का चुनाव करा दिया जायगा।

(इस समय 1 बजकर 28 मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुए)

इस मकसद से यह विधेयक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और आशा है कि इसे पारित किया जायगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1971, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और समिति अपनी रिपोर्ट 1 माह के भीतर प्रस्तुत करे।"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने यह प्रस्ताव यह मान कर पेश किया है कि यह जो अल्पकालिक व्यवस्था करने की आवश्यकता शासन को पड़ी है यह इस अधिनियम में पहले से व्यवस्था होनी चाहिये थी ताकि इस प्रकार की अल्पकालिक व्यवस्था के लिये अलग से संशोधन न लाना पड़ता। इस बीच में जो मंडियां ली गयीं और जिस तरह से उनमें कार्य हुआ है उसको देखते हुये मैं यह भी आवश्यकता अनुभव करता हूं कि पूरे अधिनियम पर फिर से विचार किया जाय और जिन चीजों की आवश्यकता हो उनका पूरे अधिनियम में समावेश करना चाहिये। मान्यवर, इस अधिनियम के पीछे एक इतिहास है और वह इतिहास यह है कि हमने स्वतंत्रता के बाद अपने संविधान के द्वारा शोषणविहीन समाज की रचना का संकल्प लिया है और व्यापार के क्षेत्र म विशेष रूप से हमारे किसानों की मंडियों में जो शोषण होता था उसके सम्बन्ध में हमारे विरोधी दल के नेता ने सन् 38 में एक विचार प्रकट किया था कि मंडियों को विनियंत्रित किया जाय।

मंडियां किसानों के शोषण का अड्डा बनी हुई हैं उसका एक ज्वलन्त उदाहरण मैं आप की आज्ञा से आगरे की एक मण्डी का देना चाहता हूं। फतेहाबाद नाम की वहां पर एक मंडी

थी जिसको कि संविद के शासन काल में इस कानून के मातहत नियंत्रित किया गया था। मैं वहां गया था वहां मुझे मालूम यह हुआ कि उस मंडी में किसान अगर 100 रुपये का माल बचता था तो उसमें से साढ़े ग्यारह रुपये किसान से आढ़ती ले लता था और जो किसान वहां पर ऊंटों पर माल लाता था वह भी तौल में एक मन में चालीस सेर के बजाय 50 सेर किसान से ले लेता था। इस तरह से किसान के शोषण और उसकी प्रणाली के विरुद्ध सन् 1938 में यह भावना जागृत हुई। किन्तु यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य था कि इसे कानून का रूप 1964 में दिया जा सका जब कि उस भावना का लाभ पंजाब गवर्नमेंट ने सन् 1938-39 में ही उठा लिया था। हमारे प्रदेश में राजनीतिक मतभेद रहे, कुछ कांग्रेसी लोगों की यह राय थी कि अगर मंडी नियंत्रण अधिनियम बन जायगा तो व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जायेंगे और उनकी आजीविका का कोई जरिया नहीं रह जायेगा। उसका असर यह हुआ कि व्यापारी मंडी में बैठकर किसानों का शोषण करते रहे और यह कहा जाता रहा कि उनकी स्वतंत्रता रहनी चाहिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विचार का सन् 52 से ही समर्थक रहा और मैंने लगातार पार्टी मीटिंग्स में यह प्रयत्न किया कि यह कानून जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिये। किन्तु कानून का रूप इस विधान सभा ने 8 सितम्बर, 1964 को पास किया उसके बाद इसको लागू करने में भी कुछ समय लगा। इसको लागू करने के बाद मंडियों की जो स्थिति हुई और उससे जो तजुर्बे निकले उन्हीं के बिना पर, जैसा कि मैंने निवेदन किया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस अधिनियम में और भी संशोधन होने चाहिये। उदाहरण के लिये मेरी यह निजी जानकारी है कि हमारे जो नामिनेटेड चेयरमैन थे उन्होंने एक-एक महीने में तीन-तीन हजार रुपये का टी०ए० और डी०ए० निकाला। एक तरफ हमने शोषण बन्द किया था, शोषण को रोकने के लिये कानून बनाया और उसके जरिये यह प्रयास किया और दूसरी तरफ तजुर्बे ने हमें यह बताया कि सार्वजनिक उपयोग के लिये जो धनराशि इकट्ठी की गई थी वह चन्द लोगों के जेबों में चली गई। इसके अलावा मेरा यह अपना निजी अनुभव है कि जो कर्मचारी रखे गये, जिनका सेलेक्शन हुआ वह निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ। किसी भी मन्डी में वहां जो लोग नामिनेट किये गये, उन्होंने दलगत राजनीति में होने की वजह से अपने निकट संबंधियों को, अपने प्रशंसकों को जो कि उसके लिये योग्य नहीं थे, मंडी कमेटियों की सेवा में रखा। उन्होंने ऐसे-ऐसे कुकृत्य किये कि बजाय इसके कि वे जेलों में जांय उन्हें सर्विस से भी नहीं निकाला गया। मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इस सदन की एक समिति गठित करें जो कि मंडियों में जा-जाकर यह देखे कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर यह विधेयक बना था, उस लक्ष्य की किस सीमा तक पूर्ति हुई। यदि उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई तो किस प्रकार से उसकी पूर्ति के लिये उस अधिनियम में परिवर्तन किये जायं।

जहां तक इस कानून की उपयोगिता का संबंध है, मैं तो इसको बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम समझता हूं और इसकी आवश्यकता अनुभव करता हूं कि जबतक मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था हमारी रहेगी उस समय तक यह कानून हमेशा किसान का संरक्षण करता रहेगा और मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था अभी हमारे समाज में जारी रहेगी क्योंकि करीब-करीब शायद साम्यवादी दल को छोड़ कर हमारे सभी राजनैतिक दल मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था के समर्थक हैं। शोषण न होने पाये, इसके लिये इस अधिनियम का रहना बहुत ही आवश्यक है। अधिनियम के विरोध करने का तो प्रश्न नहीं है, लेकिन इसके सुधार की आवश्यकता है, सुधार होना चाहिये और क्रान्तिकारी सुधार होना चाहिये।

आपने जो जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिये उससे मैं ज्यादा मतभेद तो नहीं रखता, इसलिये कि आपकी मजबूरी थी, आपके सामने प्रश्न था और शायद दूसरे लोग भी शासन में बैठे होते तो उनके सामने भी यही प्रश्न होता। जैसे ही वह शासन में आये, संविद काल की समितियां थीं, तो आपके दल के लोगों ने उनको मजबूर कर दिया, उनका घिराव कर दिया कि विरोधी दल के लोग मंडी

[श्री महीलाल]

कमेटियों में बैठे हैं उनको निकाल कर हमको रखिये और संयोग, बल्कि दुर्भाग्य यह भी हुआ कि उनके दल के एक-एक स्थान के लिये 4-4, 5-5 उम्मीदवार हो गये, उनको निर्णय करना मुश्किल हो गया कि किसको रखें, किसको न रखें। तो इस दिक्कत और परेशानी की वजह से उन्होंने यह रास्ता निकाला कि जिलाधीशों के सुपुर्द मंडी समितियों को कर दिया। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आप अब जिलाधिकारियों के साथ एक परामर्शदात्री समिति उस क्षेत्र के विधायकों की या दूसरे प्रतिनिधियों की बना देते तो वह मनमानी जो आज राज्याधिकारी कर रहे हैं मंडी समितियों में हर्गिज-हर्गिज न होती।

मान्यवर, मैं इस अवसर पर यह कह देना भी आवश्यक समझता हूं कि मैं उस व्यक्ति को जो विरोधी दल को सहन न कर सके, उसको जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखने वाला दल नहीं मानता। जनतांत्रिक प्रणाली के लिये जितनी आवश्यकता शासक दल की है उससे कम विरोधी दल की नहीं है। विरोधी दल के संबंध में यह धारणा बना लेना कि हमसे विरोध रखने वाला व्यक्ति कहीं सत्ता में न रहने पाये, इस योग्य न रहने पाये कि अपनी राय दे सके, जनतंत्र को यह भावना कमजोर बनाती है। इससे जनतंत्र की सेवा नहीं होती। तो इस दबाव में आ जाना कि चूंकि मंडी समितियों में, विरोधी दल के लोग बैठे हैं तो उनको जिलाधिकारियों के सुपुर्द कर दिया जाय, यह अच्छे लक्षण जनतंत्र के लिये नहीं हैं। मैं उदाहरण के लिये कहता हूं कि पहली संविद सरकार में संयोग से मंडी समितियों के नामीनेशन करने में किसी अंश तक मुझे भी हिस्सा लेने का मौका हुआ था। एक नहीं अनेक मंडियों के चेयरमन वह लोग बनाये थे जो संविद सरकार के विरोधी थे। उदाहरण के लिये बलिया की एक कमेटी थी। जब उसमें नामिनेशन करने का वक्त आया तो श्री जगन्नाथ चौधरी जो विरोधी दल के थे संविद सरकार के, उनको उसका चेयरमैन बनाया। इसलिये कि उनको किसान मानते थे, किसानों के हितैषी समझते थे। भले ही हम से वे विरोधी मत रखते हों राजनीति में, लेकिन वह खुद किसान थे, किसानों के हितैषी थे, इसलिये उनको किसानों का प्रतिनिधि नामिनेट किया था। मैं प्रजातंत्र प्रणाली के लिये यह आवश्यक समझता हूं कि जो भी शासन में हो वह सहज विरोध को स्वीकार करे बल्कि अपनी नीति के विरोध में जो हो उनको दावत दे। उनकी बात हो सकती है अच्छी हो और उनको सुनना चाहिये।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत नहीं हूं कि उन्होंने मंडी समितियों को जिलाधिकारियों के भी सुपुर्द कर दिया, वह आवश्यक नहीं था। वे इतने व्यस्त हैं कि उनको यह भी पता नहीं है कि वे कितनी समितियों के चेयरमैन हैं और कितनी समितियों की उनको जिम्मेदारी है। मंडियों के सेक्रेटरी मालिक बने हुये हैं। जिलाधिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में परगनाधिकारी काम को देखते होंगे कि उसको फुर्सत नहीं है और मंडी समितियां निर्जीव सी हो गई हैं और व्यापारियों के रहम करम पर चल रही हैं और सचिव व्यापारियों के जेब के कर्मचारी बन गये हैं। आपने जिलाधिकारियों के परामर्श के लिये अगर विधायकों की परामर्शदात्री समिति बनाई होती या ब्लाक प्रमुख को उसमें रखा होता तो निश्चित रूप से जो मनमानी चल रही है उसमें कमी आती। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि ठीक काम चलता लेकिन फिर भी इस मनमानी में कमी जरूर आती।

अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है, यानी इनडाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली है। कोई भी समाज सेवी जो समाज सेवा की भावना से काम करता है वह इनडायरेक्ट इलेक्शन में चुन कर नहीं आ सकता है। वहां हथकंडे इस्तेमाल किये जाते हैं, गुंडे इकट्ठे किये जाते हैं। वोटर का मन नहीं चाहता है लेकिन उसको जबरदस्ती उठा लिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है तथा उसको मारने की धमकी दी जाती है और ऐसे लोग चुनकर आते हैं जो अनुचित लाभ उठाने के लिये आते हैं। इसलिये आप इस पर विचार करके ऐसी प्रणाली रखें जिस से समाजसेवी व्यक्ति चुन कर आ सकें। मंत्री जी चाहें कोआपरेटिव सोसाइटीज को ले लें, गन्ना सहकारी

समितियों को ले लें या लोकल बाडीज को ले लें क्या इनका चेयरमैन केवल समाज सेवी व्यक्ति हो सकता है ? जिसके पास लाखों रुपये होंगे वही चेयरमैन हो सकता है। मंत्री जी या एम०ए ०एज० चेयरमैन नहीं हो सकते हैं। कोई ईमानदार कार्यकर्ता इनडायरेक्ट इलेक्शन में चुन कर नहीं आ सकता है। पांडेय जी अगर बनना चाहें तो नहीं बन सकते हैं बल्कि इनके मुकाबले में गुंडा ही होगा जिसके पास पैसा होगा वही मंडी कमेटी का चेयरमैन बन जायेगा और उस क्षेत्र का विधायक नहीं बन सकता है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और मैं इस को नहीं मानता कि आपके हृदय में गरीबों के प्रति हम लोगों से कम प्यार होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि सभी समाज सेवा से प्रेरित होकर राजनीति के क्षेत्र में आये हैं हम सभी किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन इस समय आपके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, आपको चाहिये कि आप उसके लिये रास्ता निकालें जिससे सही चुनाव हो सके और सही लोग चुन कर आ सकें।

आपने अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये संरक्षण रखा है, मैं आपको उन लोगों की तरफ से बधाई देता हूं। अगर आप न चाहते तो न रखते, लेकिन आपने इसकी व्यवस्था की है। शायद आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि मंडी कमेटियों में जो नामीनेशन की आपने व्यवस्था की थी उसमें जो भी वहां का चेयरमैन था वह अपने हल जोतने वाले को नामीनेट करा कर ले गया और ब्लाक प्रमुख जो आपने रखे हैं वह अपनी एक मेहतरानी को नामीनेट करा कर ले गया। इस तरह से उन लोगों को नामीनेट करा लिया जाता है जो लोग बोल नहीं सकते और अपनी मन की बात पर उनका अगूठा लगवा लिया जाता है। इस तरह के लोगों से हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा किया जाना अनुचित है। वे सही मानों में हरिजनों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा रखना चाहिये जिससे सही लोगों का नामीनेशन हो सके।

इसके अलावा आपने हर मंडी कमेटी में 2 हरिजनों की व्यवस्था की है। इसमें कोई औचित्य नहीं है। मेरे यहां की मंडी कमेटी में 33 प्रतिशत हरिजनों की संख्या होगी और जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का विकास क्षेत्र है उसमें अनुसूचित जाति के प्रधानों की संख्या एक-तिहाई होगी। इसलिये अगर आप दो की संख्या निश्चित कर देंगे तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। इसलिये यह आपको जनसंख्या के आधार पर रखना चाहिये। हर जगह दो दो नहीं होने चाहिये।

जहां तक कर्मचारियों की नियुक्तियों का सवाल है। नियुक्तियों के लिये जिला स्तर पर एक ऐजेन्सी होनी चाहिये जो जिले के सब कर्मचारियों का चुनाव करे। क्योंकि नियुक्तियों में बड़ा भारी भ्रष्टाचार चलता है। जो कर्मचारी सिफारिश के आधार पर नियुक्त किया जाता है वह तो बेईमानी करने के लिये रखा जाता है। वह तो सिफारिश करने वाले की जेब भरने के लिये ही होता है। वह ईमानदार रहना भी चाहे तो नहीं रह सकता। इसलिये इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये जिला स्तर पर कोई ऐजेन्सी, पब्लिक सर्विस कमीशन की भांति होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रीजी से आशा करूंगा कि वे मेरे निर्दोष संशोधन को स्वीकार करें। अच्छा चुनाव कराये जाने और अन्य त्रुटियों को निकाले जाने में मेरा संशोधन उनको सहायता करेगा। क्योंकि हम सब की मंशा है कि जिनकी भलाई के लिये यह विधेयक लाया गया है, उनकी वास्तविक रूप से भलाई आप कर सकें।

*श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री महीलाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय, उसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय हमारे राज्यमंत्री (कृषि) ने यह कहा कि इस अधिनियम में यह प्राविधान था कि पहले वर्ष मंडी कमेटी का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा उसके बाद चुनाव होना चाहिये। सन् 64 में यह ऐक्ट बना और उसके बाद से आज तक चुनाव नहीं हुआ। जबकि प्राविधान यह था कि कुछ वर्ष तो मनोनयन सरकार करे और उसके बाद चुनाव हो। मैं समझता हूं इसी का आधार लेकर कि ग्राम सभाओं के सभापतियों का चुनाव होने वाला है और नये प्रधान मंडी समितियों को चुने यह चुनाव टालते रहे पिछले दो तीन वर्षों से कि अब मंडी समियों का चुनाव हो जायगा और अन्त में जब विभिन्न मंडी समितियों का कार्य काल समाप्त होने लगा और दूसरी मनोनयन करते गये। मैं समझता हूं कि सरकार ने, जो भी सरकार थी, इस बारे में ईमानदारी नहीं बरती कि लोगों को ग्राम सभाओं के प्रधानों को मंडी समितियों को चुनने का अवसर दिया जाय क्योंकि यह एक्सक्यूज लेकर कि ग्राम सभाओं के सभापतियों को कई वर्ष बीत चुके हैं—और उनका चुनाव भी आप नहीं कराते कोई न कोई बहाना लेकर—और इसी बहाने की आड़ में सरकार यह अधिकार भी ले लेती है कि वह मंडी समतियों का मनोनयन करे। अगर यह सरकार इस बारे में दृढ़ थी कि वह मनोनयन नहीं करना चाहती और लोकतांत्रिक आधार पर चुने हुये लोगों को एक अवसर देना चाहती थी तो वह तत्काल चुनाव कराती। जब आज ग्राम सभाओं के प्रधान अपनी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं तो वह मंडी समितियों के चुनाव में मतदाता नहीं हो सकते। कोई आश्वासन सरकार इस बात का तो नहीं दे सकती कि दो या तीन मास में ग्राम सभाओं के चुनाव हो जायेंगे और बाद में घोषणा होती है ग्राम सभाओं के चुनाव की और 5—6 दिन के बाद कोई न कोई बहाना ले कर कि ग्राम सभाओं के चुनाव असम्भव हैं लिहाजा इनका चुनाव बढ़ाया जाता है। तो मैं मांग करूंगा कृषि मंत्री महोदय से कि ग्राम सभाओं के वर्तमान प्रधानों को मतदाता मानकर अविलम्ब चुनाव करायें। जितने मनोनयन आजतक मंडी समितियों में हुये हैं वह दलीय या राजनीतिक आधारों पर ही हुये हैं। कौन किसान के हितों की बात सोचता है और कौन किसान की समस्याओं का जानकार है ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखा गया।

मैं बड़े खेद के साथ स्वीकार करूंगा कि पिछली संविद सरकार ने भी आखिरी दिन जिस प्रकार से 15—16 मंडी समितियों का मनोनयन किया वह एक अच्छी परम्परा नहीं थी। कृषि मंत्री जो उस समय के थे उनको रात को त्याग-पत्र देना था और दोपहर को उन्होंने मंडी समितियों का मनोनयन कर दिया। खैर, मनोनयन हो गया और 4—6 दिन के बाद संविद की सरकार गिर गयी। वर्तमान सरकार बनी। पिछली सरकार के आदेश रुकवा दिये गये। प्रधानों के नाम बदल दिये गये और यह कहा गया कि एक महीना तक ये लोग काम करेंगे। और फिर दूसरी समितियों का मनोनयन कर दिया गया और आज आपको कार्यभार सभाले हुए इतने दिन हो गये, आप तत्काल चुनाव कराते। यह सारा काम करने का तरीका दलीय है, एक-पक्षीय है और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। किसानों की हमदर्दी तो एक बहाना है। ऐसी भी मंडी समितियां जिनके प्रधान व्यापारी चुने गये। इस प्रदेश में पिछली सरकारें जल्दी-जल्दी बनीं और बिगड़ी। एक सरकार ने एक काम किया और आने वाली सरकार ने इस में शायद बहादुरी समझी कि हल उस काम को जल्दी से पलट दें। आप जरा सोचें कि जिले के अधिकारी इस से क्या समझेंगे और क्या धारणा बनायेंगे, वह समझेगें कि हवा का रुख बदल रहा है, एक सरकार जो काम कर गई उस को दूसरी सरकार बैठते-बैठते बदलती है। इस तरह से आप सरकारी कर्मचारियों को और जिले के अधिकारियों को बतलाना चाहते है कि पक्ष विशेष या दल विशेष की एक सरकार है और सर्वोच्च स्थान पर जब मंत्री भी इस भावना से प्रेरित हो कर काम करते हैं तो जिलाधीश, एस० पी० और कृषि अधिकारी भी ऐसे ही काम करें कि अब शासकीय कांग्रेस का शासन आया है इसलिये उन के सदस्यों के साथ एक विशेष व्यवहार किया जाय। 16 मंडी समितियों को इस तरह से नामांकित करना पिछली सरकार का भी कोई अच्छा काम नहीं था लेकिन आपने भी कौन अच्छा काम किया कि वह सब एक मास तक ही रहे और फिर आप ने उन्हीं पिछली समितियों को नामांकित कर दिया। यह कोई लोकतन्त्र के लिये एक स्वस्थ परम्परा नहीं थी,

यह परम्परा जनता की जनतन्त्र में जो आस्था है उस को डिगाती है और यह सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में भी एक पक्षपात की भावना को जन्म देती है, यह उनको प्रेरित करती है कि जिस राजनैतिक दल और पक्ष की सरकार हो उसके कार्यकर्त्ताओं के साथ, उनके नेताओं के साथ वे एक विशेष व्यवहार करें। यदि सरकार इन मंडी समितियों मे लोकतन्त्र का ढांचा लाना चाहती है तो वह इन समितियों का फौरन चुनाव कराये। जब हम इसमें एक संशोधन ला रहे हैं तो इस बात की आवश्यकता है कि पिछले 4–5 वर्ष का जो अनुभव है मंडी समितियों के संचालन का उस का लाभ लेकर हम इस में आवश्यक और गम्भीर संशोधन लायें ताकि विनि–यमित मंडी समितियों से उस क्षेत्र के ग्रामों के रहने वाले लोगों को राहत महसूस हो।

कहा जाता है कि इसके द्वारा किसानों का व्यापारियों द्वारा होने वाला शोषण रुकेगा। पहले प्राइवेट तौर पर मंडियां चलाई जाती थीं अब सरकार ने उन को विनियमित करने का कानून बनाया है, आप चाहते हैं कि सरकारी मंडिया विनियमित होने के बाद किसानों का शोषण न हो और उनको राहत मिले और गल्ला सही दाम पर बेंचने की सुविधा मिले। लेकिन मैं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे कुछ मंडी समिति देखने का अवसर मिला कि विनियमित और अविनियमित मंडियों में कोई अन्तर नहीं है। मुझे मालूम है कि बुलन्दशहर में मंडी समिति द्वारा सालाना जलसे पर 12 हजार रुपया खर्च किया गया लेकिन वहीं की हालत यह है कि जो किसान मंडी में गाड़ी ले जाकर खड़ी करते हैं उन को उसके लिये दस पैसे प्रति गाड़ी देना होता है। वह मंडी जीप खरीद सकती है, 12 हजार रुपए सालाना जलसे पर खर्च कर सकती है लेकिन किसान जो गल्ला लाते हैं और अपनी बैलगाड़ी खड़ी करते हैं उन को जमीन नहीं दे सकती, अगर जमीन नहीं है तो वह किराये पर भी भूमि नहीं ले सकती, यह इन समितियों के काम करने का तरीका है। जो मंडी किसानों को गाड़ी खड़ी करने का स्थान नहीं दे सकती, जो आदमियों और बैलों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकतीं, जो किसानों के ठहरने का स्थान नहीं दे सकती। आप ने रुद्रपुर में आदर्श मंडी बनायी लेकिन उसके अलावा कहीं कोई ऐसी मंडी नहीं है। विनि–यमित हुए 4–5 साल हो गये लेकिन किसानों को उन के द्वारा कोई विशेष सुविधायें नहीं दी गई हैं। सब जगह नई मंडियां बनाने के और जमीन एक्वायर करने के झगड़े चल रहे हैं और मुक-दमे चल रहे हैं लेकिन जब तक यह न हो तब तक आप जो पुरानी मंडी हैं वहीं पर यह सब सुविधा क्यों नहीं देते, मंडी समिति कहती हैं कि दूसरे की भूमि पर हमें खर्च करने का अधिकार नहीं है, दूसरी जमीनों को लेने में तो बहुत समय लगेगा लेकिन जितनी विद्यमान मंडी समितियां हैं उनमें 3–4 साल बीतने के बाद आपने किसान को क्या सुविधा दी? कहा जाता है कि सरकुलर गया है कि ऐसी मंडी समितियों में कुछ खर्च किया जा सकता है लेकिन आप देखे कि अधिकांश मंडियों में जानवरों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, किसानों को पीने का पानी और ठहरने का स्थान तक नहीं मिलता। आप का कहना था कि पहले व्यापारी हावी थे लेकिन आप ने तो यह कानून किसानों की हमदर्दी से प्रेरित होकर बनाया था। मैं बदायूं का उदाहरण दे सकता हूं उस मंडी समिति में जहां मंडी है मंडी समितियों ने वहां पर किसानों की गाड़ियां खड़ी करने के लिए कोई जगह का प्रबन्ध नहीं किया है। जब किसानो से पैसा लिया जाता है तब उसे क्यों खर्च नहीं किया जाता है। अगर ऐसा प्राविधान नहीं किया गया है तो दूसरी नगरपालिका या किसी प्राइवेट भूमि में जब तक दूसरी मंडी नहीं बनती तब तक किसानों को ये सुविधा दें। तब तो यह मालूम हो कि मंडी समिति विधेयक हो गया है। आज होता क्या है कि मंडी समितियों में भी ऐसे आदमी आ जाते हैं जिनका किसानों के हित से कोई मतलब नहीं होता है। वे राजनीतिक स्तर के लोग होते हैं जो जलसे वगैरह करते रहते हैं।

इस विधेयक का मूल भूत उद्देश्य है कि इससे किसानों का शोषण न हो, वह अपनी उत्पादित वस्तु को मुनासिब दामों पर बेच सके और अगर उस दिन वह आनाज नहीं बिकता है तो उस दिन उसको रोक कर दूसरे दिन बेंच सकें। मैं चाहता हूं कि वहां पर इन सुविधाओं के दिए जाने के बारे में गम्भीरता से विचार हो। जब तक कृषि मंडी

[श्री कृष्ण स्वरूप वंशय]

समितियों की अपनी जमीन नहीं होती है, तब तक हमें विचार करना चाहिए कि हम किसानों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करा सकते हैं। मैंने अभी बुलन्दशहर का उदाहरण दिया। हो सकता है कि और स्थानों पर भी ऐसी ही दशा हो कि वहां पर कोई सुविधायें न हों, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय जो इन अनुभवों से लाभ उठाकर इस विधेयक में संशोधन कर सके और अगर माननीय मंत्री जी इस बारे में किसी प्रकार के संशोधन करना नहीं चाहते हैं तो अविलम्ब चुनाव करायें क्योंकि यह विश्वासपूर्ण नहीं कहा जा सकता है कि 1972 में वे ग्राम सभाओं के चुनाव करा पायेंगे। आप चुनी हुयी समितियों के सदस्यों को पावर न देकर जिलाधिकारियों को देने जा रहे हैं। देश को आजाद हुए इतने दिन हो गये हैं लेकिन इन संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं हो सके हैं और इस विधेयक में चुने हुए सदस्यों के अधिकारों को लेकर आप जिलाधिकारियों को दे रहे हैं। जिला परिषदों को आपने उनको दीं और अब इन मंडी समितियों को दे रहे हैं। जिले में बैठे हुए अधिकारियों और ब्यूरोक्रेसी का जो ढंग है, वह आज भी बदला नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप यह बहाना न लें कि ग्राम सभाओं के चुनाव नहीं हुए हैं बल्कि तत्काल चुनाव करायें।

*श्री रामपाल सिंह (जिला बिजनौर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो मंडी अधिनियम है, इसमें तो कोई शुबहा नहीं है कि इसका जो मूल उद्देश्य है कि व्यापारी लोग किसानों का शोषण न करें, वह तो ठीक था लेकिन जहां तक उस उद्देश्य की प्राप्ति का सवाल है वह ये प्राप्त नहीं कर पाये। जो हमारा लक्ष्य था उस तक वह नहीं पहुंच पाये हैं। जैसा कि आप जानते हैं माननीय मंत्री जी 100 रुपये पर 50 नये पैसे इस पर शुल्क लग जाता है और जो आढ़ती 2-2 या 3-3 रुपया लेते थे वह बन्द हो जाय लेकिन मैं यह समझता हूं और तजुर्बे से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है उसकी भी बात मैंने सुनी है कि 100 पर 50 नये पैसे देना तो मुश्किल बात नहीं है लेकिन जो माल मंडियों में किसानों का आता है और उसको रजिस्टर के अन्दर दिखावें तो हमारे ऊपर पूरा सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स वाजिब हो जाय। इसलिये जितना माल मंडी में आता है उसके लिये इस ऐक्ट का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। 100 रु० पर 50 पैसे लिया जाय लेकिन इससे उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना भी व्यापारी वर्ग है वह इनकम टैक्स की वजह से, सेल्स टैक्स के डर की वजह से अपने पास नम्बर 1 और 2 रजिस्टर रखता है। लिहाजा यह मुमकिन नहीं है कि आप किसी अच्छे चेयरमैन को भी बिठा दें, माननीय कृषि मंत्री स्वयं ही बैठ जायं या स्टेट मिनिस्टर साहब बैठ जायं वह पूरा नहीं होगा। और जितना भी माल वहां मंडी में आता है किसानों का वह उसको पूरा का पूरा नहीं दिखायेगा। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि जो हमारा सेल्स टैक्स विभाग है और जो हमारे दूसरे विभाग हैं जिनके डर की वजह से ऐसा करते हैं जब तक वह जाकर अपनी ड्यूटी को सही रूप में अंजाम नहीं देंगे कि सेल्स टैक्स उनसे पूरा लिया जाय तो इसमें सफलता मिलनी कठिन है। जो माल रेलवे से बिल्टी के जरिये से बाहर जाता है उसको तो वह रजिस्टर में दिखाते हैं। उसको किसी तरह से भी छिपाया नहीं जा सकता है लेकिन जो माल बाहर ट्रक के जरिये से जाता है उसको छिपाया जाता है। अगर बाहर 10 ट्रक माल भेजा जाता है तो केवल 1 ट्रक ही माल दिखाया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में मंत्री जी सोचें कि कोई उपाय ऐसा हो सकता है या नहीं जिससे इसको चेक किया जा सके और यह जो इंकमटैक्स और सेल्स टैक्स पुछल्ला लगा हुआ है इसके विषय में भी विचार करें कि क्या हो सकता है जिससे यह कठिनाई दूर हो।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब से हमारा देश यह आजाद हुआ है ग्रामीण जनता छिन्न भिन्न हो गई है। देहात में शत्रुता और रंजिश पैदा हो गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाइत्तफाकी बहुत बढ़ गई है। हमारे संसद् और विधान सभाओं के जो चुनाव होते हैं और जिला परिषद्, कोआपरेटिव सोसाइटी, ब्लाक ये जितने भी हैं इनकी तरह से ही यह मंडी समिति भी हो जायगी। इससे लोगों में नई बातें पैदा होंगी और नई प्रेरणा पैदा होगी कि यह एक और नया पद क्रियेट हो गया है और चुनाव का तरीका वहां पर भी हो गया है तो उसको भी किसी तरह से लिया जाय। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले जो जिला परिषद्, म्युनिसिपिल बोर्ड, कोआपरेटिव फेडरेशन, कोआपरेटिव बैंक जो पहले से छाये हुय हैं वही लोग इधर आ जायेंगे और ग्रामीण समाज में अच्छे लोगों को यह पद नहीं मिल पायेगा। इस तरह से इस विधेयक के जरिये से अच्छे आदमी नहीं मिल पायेंगे। अगर कोई आदमी इस पद को पाने के लिये 2 हजार रुपया खर्च करेगा तो वह 10 हजार इससे पैदा भी करेगा। इस तरह से ग्रामीण समाज के अन्दर जो सहयोग की भावना से आप यह चीज करना चाहते हैं वह उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि अगर आप इस कृषि उत्पादन मंडी विधेयक में एक्स आफिशियो को बिठाने के लिये कर दें तो इससे लाभ हो सकता है। चाहे वह गन्ना समिति का अध्यक्ष हो, उसको रख दें या कोआपरेटिव बैंक का चयरमैन हो उसको आप एक्स आफिशिओ करके रख दें तो इससे लाभ हो सकता है, जिला परिषद् का भी चेयरमैन आप रख सकते हैं। बाद को यही रोटेशन से चलते रहें। इसलिये चुनाव का तरीका मंडी कमेटी के लिये रखना उचित नहीं होगा। जो लोग चेयरमैन पद के लिये अपनी दिलचस्पी लेंगे वह लखनऊ आकर भी 2, 2 या 3, 3 हजार रुपया खर्च करेंगे कि किसी तरह से चेयरमैन बन जायं। अगर वे खर्च करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वह पैसा बाद को पैदा करने का प्रयास करेंगे।

हमारे मित्र महीलाल जी ने बताया कि एक चैयरमैन थे जो 3 हजार रुपया माहवार पैदा करते थे। उनके कहने का मतलब यही था कि अधिकांश में ऐसा करते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि पार्टी की भावना से यह काम करते रहेंगे तो यह विरोधाभास की बात वह कहते हैं। जो इस तरह से काम करते रहे हैं उनको बदलना चाहिये था और उन अधिकारियों को रखना उचित नहीं हैं अधिकारियों को उनका इन्तजाम करना चाहिये था। यह भी कहते हैं कि उसकी भावना से काम कर दिया। असल चीज यह है कि ऐसे भी चैयरमैन रहे ह। मुझे तजुर्बा है कि जिन्होंने केवल साल भर में साठ ही रुपये भत्ता बनाया है मैं उनका नाम नहीं दे सकता हूं। मैं इन शब्दों को कहते हुए यह चाहूंगा और अपने माननीय मंत्री से आपके द्वारा माननीय अधिष्ठाता महोदय यह सुझाव देना पसन्द करूंगा कि यह तो अल्पकालिक व्यवस्था है। चैयरमैन भाग दौड़ कर रहे थे अधिकांश लोग इस प्रकार के थ। बदला जिलाधिकारियों को दिया और शासन को दिया। इसका मैं अनुमोदन करता हूं। इस बिल को तो पास किया ही जाय लेकिन नये सिरे से आमूलचूल परिवर्तन की बात इसमें देखें कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंडी समिति (संशोधन) विधेयक के संबंध में जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव आया है महीलाल जी ने जो प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और मेरे समथन करने का उद्देश्य यह है कि इसमें दो राय नहीं है और मंडी समिति का जो निर्माण हुआ था और जिसके लिये विधेयक लाया गया था वह वास्तव में उन किसानों के लिये हितकर था जो मंडियों में अपना अनाज लाते रहे और बेंचते रहे और मैं समझता हूं, मैं शायद भूल नहीं रहा हूं कि यह एक ऐसे मंत्री के जरिये उपस्थित किया गया था जो वास्तव में किसान ह और शायद उस वक्त चौधरी चरणसिंह जी थे कृषि मंत्री, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं। जिन मंडियों में गल्ला आता है बिकने के लिये इसमें भी दो राय नहीं हैं कि व्यापारी जो खरीदते हैं उनकी उन्नति का यदि अध्ययन किया जाय तो आप देखेंगे कि अनाज लाने के लिये किसान की अच्छी तरह से हजामत बनाते हैं। मैं अपने अनुभव की बात बता सकता हूं। मेरे जिले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

बहराइच में मुझे तो एक शिकायत है कि मेरे यहां इस ऐक्ट का कोई प्रभाव ही नहीं हो पाया है । न कोई समिति ठिकाने से बनी है और कहीं बन गई होगी तो उनका कोई कार्य नहीं था । बहरहाल आज भी अनाज बेंचने के लिये किसान लाते हैं उनके साथ भावों में भिन्नता और उसके अनाज की लूट करने वाले तमाम तरह के लोग उसके अन्दर हैं । कहीं पल्लेदारी है, कहीं महाजनी है, कहीं धर्मादा है । कई चोजों में किसान का सब अनाज निकल जाता है और उसके बाद किलो और सवा किलो बोरे में कट जाता है । वह किसान जो बीस मन गल्ला अपनी गाड़ी में लेकर आता है उसको अट्ठारह और साढ़े अट्ठारह मन के ही दाम मिल पाते हैं । इन सब बातों की देखरेख और इन सब बातों को ही बचाने के लिये मंडी समिति विधेयक का उद्देश्य था और सरकार का भी यही उद्देश्य था और इसमें जो अब तक होता है समितियां बनी और सरकार द्वारा उसके सदस्यों का मनोनयन हुआ और वे काम करते रहे ।

अब माननीय मंत्री जी का उद्देश्य यह भी है उनके चुनाव हों और प्रजातंत्रात्मक प्रणाली के चुनाव बहुत सुन्दर तरीके से हों, मैं उसका स्वागत करता हूं कि चुनाव होने चाहिये । और चुनाव का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार की नीति में मुझे बड़ा सन्देह है । सन्देह इसलिये है कि अभी दो दिन पहले एक तरफ तो जहां प्रजातंत्र के लिये सहकारिता को एक आधार माना है, जहां सरकारी समितियों के अन्दर आजतक बराबर चुनाव होता रहा, वहां इतना बड़ा निरंकुश हथियार सरकार ने अपने हाथ में संशोधन लाकर ले लिया है कि दो तिहाई तक वह अपने मनोनीत सदस्य कर देगी, यहां तक कि इस समिति का सभापति भी मनोनीत कर देगी और जो सभापति है उसे हटा भी देगी । एक तरफ तो सरकार इतनी बड़ी पावर लेकर जो निर्वाचन नीति है उसका हनन कर रही है और अपनी अधिनायकवादी नीति का परिचय दे रही है और दूसरी तरफ यह जो चुनाव की प्रथा लागू करने जा रही है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि चुनाव होने चाहिये, लेकिन मंशा यह न हो कि आप चुनाव की स्थिति लाकर उसमें गड़बड़ आदमियों को घुसेड़ दें और फिर मनोनयन के द्वारा हटा दें । अगर यह हुआ तो उसका दुरुपयोग होगा और कोई लाभ नहीं होगा । श्री राजबहादुर जी को दिक्कत यह है कि वह कोआपरेटिव से बहुत संबंधित रहे हैं लेकिन अब वह लक्ष्मीशंकर जी के कुल्हाड़े के नीचे बैठे हैं और मैंने तो जो बात कही तो वे दुखी हो गये । मैं चुनाव में अपना संदेह व्यक्त कर रहा हूं लेकिन श्यामसूरत जी कह रहे हैं कि ठीक है । वे अब उधर चले गये । लेकिन वहां पर उनकी भावनायें ठीक रहें और मन न बदले । जब वे इधर थे तब भी मैं उनका आदर करता था और आज भी करता हूं ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

जब भी चुनाव की बात करते हैं तो इतनी आशंकायें पैदा हो जाती हैं । इससे क्या समझे। मंडी तक के चुनाव के बारे में आशंका पैदा हो रही है । तो क्या इस लोकतंत्र को बिल्कुल छोड़ दें ।

श्री बसन्तलाल शर्मा---

पांडेय जी की बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं क्योंकि मैं उनका बहुत आदर करता हूं । मुझे चुनाव की आशंका नहीं है । चुनाव से जितने भयभीत थे वह उधर चले गये हैं और वह इसलिये कि चुनाव न हों। अगर उधर ज्यादा हो जायेंगे तो इंदिरा जी मान जायेंगी इंदिरा जी ने कह भी दिया कि चुनाव नहीं होगा। इंदिरा जी ने जो कहा है, उनके शब्दों के बारे में ध्यान दें ।

श्री अधिष्ठाता---

आप विधेयक के संबंध में कहें ।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

मैं तो विधेयक पर ही बोल रहा था लेकिन अगर माननीय सदस्य कुछ कहते हैं तो उसका जवाब देना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता---

वे तो इस विधेयक से संबंधित चुनावों के बारे में ही कह रहे थे ।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

पांडेजी ने जो बात कही तो वह अपने दल को और अपनी सरकार को उस पर कायम रखें तो मुझे कोई विरोध नहीं है । मैं कह रहा था कि इस समिति को बनाने में, इस विधेयक को लाने में जो उद्देश्य रहा है उसका प्रतिपादन ठीक से नहीं हो रहा है । संपूर्ण उत्तर प्रदेश में यह पूरा कानून लागू नहीं हो पाया और करीब-करीब सात वर्ष हो रहे हैं । जहां भी व्यापारिक मंडियां हैं वहां सब जगह इसको लागू हो जाना चाहिये । अगर कहीं नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है । इस कमी को पूरा करने का कोई संकेत इस विधेयक में भी नहीं है । इस पर भी विचार होना चाहिये । अगर यह प्रवर समिति में जायेगा तो वहां पर पूरी तरह से विचार हो सकेगा और उसके बाद जब यह आयेगा तो इसका सही रूप बन सकेगा जिससे किसानों का हित होगा। प्रोरभी दूसरे साथियों ने बहुत से सुझाव दिये हैं। जहां समिति बन गयी है वहां भी दिक्कतें हैं । उनमें इस प्रकार के लोग आ गये हैं जिनको नहीं आना चाहिये था । इन सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति में भेजना आवश्यक है । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब इसको समाप्त किया जाय । श्री रामपाल सिंह यादव दो मिनट बोल लें ।

श्री शिवानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मान्यवर, दो मिनट मुझे भी दीजियेगा।

चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण मामले पर मुझे कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर अगर आप देखें तो इस वर्ष के दरमियान यह सरकार ऐसी चीजों की अवहेलना करती जा रही है जो चुनाव से संबंधित हैं । मान्यवर, इस सरकार ने पहले जिला परिषद को समाप्त करके कलेक्टर के अधिकार में दिया, इस तरह से जनतंत्र की पूरे तरीके से हत्या की । आज 11-12 वर्ष हो गये, ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं कराये और इस तरह से जनतंत्र की परम्पराओं को तोड़ा । उसी प्रकार आज इन मंडियों को मंडी समितियों के हाथ से लेकर कलेक्टर को देना चाहती हैं । आप देखें इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में जिसमें जनता के हाथ में यह सारे अधिकार निहित होने चाहिये, यह सरकार उन जनतांत्रिक परम्पराओं को और जनतांत्रिक भावनाओं को तोड़कर इस देश में नौकरशाही की स्थापना करना चाहती है । आज कलेक्टर हर जिले में मालगंजो का पिटारा समझा जाता है और हर कमेटी का अध्यक्ष है हर कमेटी कलेक्टर के अधिकार में है । जिला परिषद तो कलेक्टर के अधिकार में है ही, मंडी समितियां भी कलेक्टर के अधिकार में जा रही हैं, इससे मान्यवर प्रजातंत्र की पूरी तरह से हत्या हो रही है । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मंडी समितियों का चुनाव फौरन करायें-कुल 200-250 ही तो ये समितियां हैं, इनके चुनाव कराने में क्या कठिनाई है । मैं माननीय मंत्री से यह भी निवेदन करूंगा कि जितने बड़े बड़े बाजार हैं, जितनी बड़ी-बड़ी मंडियां हैं, उन सभी मंडियों में मंडी समितियां स्थापित करें क्योंकि इन 250 मंडियों में समितियां स्थापित करके आप सारे प्रदेश की 9 करोड़ जनता का

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

भला नहीं कर सकते । मान्यवर, अगर आप देखें कि जहां जहां पर सरकार ने मंडी-समितियां गठित की हैं,, वहां भी छोटे-छोटे बाजारों में भी गरीबों का शोषण हो रहा है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस चीज को देखें और हर बाजार में, हर स्थान पर जहां पर खरीद-बिक्री होती है गल्ले की, वहां मंडी-समितियां स्थापित की जानी चाहिये और उन मंडी-समितियों में दो तिहाई प्रतिनिधि उन लोगों के होने चाहिये जो मंडियों में लाकर अपना सामान बेंचते हैं । खाली दूकानदारों की मंडी समिति स्थापित करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि इन दूकानदारों द्वारा जो समितियां संचालित की जाती हैं उनका ध्येय होता है कि गरीबों को किस प्रकार लूटा जा सके, इसलिये इन मंडी समितियों में किसानों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व होना चाहिये यह हमारा मंत्री जी से निवेदन है । हम यह भी चाहते हैं कि महीने दो महीने के अन्दर चुनाव करा लें जिससे चुने हुये प्रतिनिधि मंडियों का संचालन खुद ही कर सकें और कलेक्टर के हाथ से जल्द से जल्दी अधिकार ले लें इससे प्रजातंत्र की हत्या होती है यह सरकार नौकरशाही के जरिये अपना काम चलाना चाहती है । मान्यवर, हमारे कृषि मंत्री जी बहुत ही योग्य आदमी हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने हाथों से प्रजातंत्र की हत्या न करें और अपने मुहकमें में अपने कार्यकाल में ऐसा कार्य न करें जिससे प्रजातंत्र की हत्या हो और कलेक्टर के हाथों में सारी ताकत इकट्ठी हो जाय, इसलिये जो बिल वह लाये हैं उसे वापिस ले लें और आज ही एलान कर दें कि महीने भर के अन्दर सारे प्रदेश में मंडी समितियों का गठन करके उसमें किसानों के दो तिहाई प्रतिनिधि रखे जायं जिससे किसानों को उसमें पूरा प्रतिनिधित्व मिल सके । आज यह जो बिल है इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय और प्रवर समिति इस पर अपनी राय करके इसको महीने भर में सदन के अन्दर पेश कर दें ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि प्रजातंत्र की हत्या इस सरकार के द्वारा हो रही है और सारे अधिकार जो सरकार द्वारा कलेक्टर को दिये जा रहे है वह नही होना चाहिए ।

*श्री पन्ना लाल गुप्त (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, मंडी समिति का जो बिल हमारे सामने आया है, वह सरकार ने बहुत सोच समझ कर, राज्यपाल ने जो अध्यादेश पास किया है और इस ऐक्ट के रूप में आया वह ठीक आया है क्योंकि मैं एक ऐसी मंडी से आता हूं जो यू0 पी0 की दूसरी मंडी है । मैंने वहां देखा है कि मंडी समिति की उपयोगिता बिलकुल नहीं रह गई है क्योंकि पंजाब मे जो मंडी समिति है वह कार्य रूप में हमारे यहां परिणित नहीं हुआ । उनके पास जगह नहीं है जहां किसान अपना माल ढेर कर ले और उसका नीलाम किया जाय और उसका उसे पैसा मिले । मंडी समिति आढ़त लेती है आठ आना सैकड़ा लेकिन हमारे यहां किसान का माल कौड़ियों में जात है । यह देखना चाहिये कि जितना पैसा मंडी समिति को किसान देता है उसका किसानों को लाभ जाता है या नहीं । व्यापारी सैकड़ों होंगे लेकिन उनके पास पैसा नहीं है । वह किसान को पैसा नहीं देते । दूकानदार उन्हें पर्ची लिख देते हैं । 15 दिन के बाद वह परची भी किसानों के पास नहीं रहता है । मैंने अपने यहां खागा में देखा है कि किसान को पैसा न मिलने के कारण वह चहकता रहता है । जब तक मंडी समिति का ढांचा तैयार न हो कि वह किसान के गल्ले का नीलाम कर सके और उससे जो फायदा किसान को पहुंचता है उसको दिलाने में वह मदद न दे सके तो मंडी की स्थापना करने से क्या फायदा होगा ।

श्री बसन्त लाल शर्मा—

मान्यवर, इस समय सदन में कोरम नहीं है केवल दस आदमी बैठकर चला रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री पन्ना लाल से) अभी आप बैठ जाइये ।

एक सदस्य—

मान्यवर कुछ समय के लिये सदन को स्थगित कर दीजिये।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी)

श्री पन्नालाल गुप्त—

अधिष्ठाता महोदय, यह बिल इतना छोटा और साधारण है कि इसको सेलेक्ट कमेटी के समक्ष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । हमारे कृषि मंत्री जी उस समाज से हैं जो किसानों का समाज है और वे मंडी समितियों क जरिये किसानों को कुछ राहत देना चाहते हैं । लेकिन मैं जानता हूं कि मंडी समितियों में जो सेक्रेटरीज हैं उनको जो पावर्स दी गई हैं वह इतनी ज्यादा हैं कि वे मंडी समितियों के सदस्यों और प्रेसीडेंट को भी कुछ नहीं समझते हैं । पहले से ही ऐक्ट बना है । मंत्री जी जब तक इसकी व्यवस्था न कर दें कि किसानों का माल आये और मंडी समितियों के स्थानों पर ढेर होकर नीलाम किया जाय तथा काश्तकारों को उनका रुपया मिल सके । उनको इस बारे में सोच विचार करके इसका पूरी तरह से इन्तजाम करवाने की तरफ चेष्टा करनी चाहिये । इस मंडी समिति को बनाने से हमारा एक ही फायदा है कि हमारी सरकार का सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का फायदा हो जायगा । वह काफी मात्रा में प्राप्त होगा जैसा कि रामपाल भाई ने कहा 1 नम्बर और 2 नम्बर खाते तो रहते ही हैं साथ ही साथ एक ऐसा खाता भी रहता है जो केवल कागज में ही रहता है और वह सामने आता ही नहीं है । जो बिजनेसमैन हैं वे माल लेते हैं और उसकी इंट्री होती ही नहीं है। ठीक ढंग से जगह हो ताकि माल का नीलाम करवाया जा सके । इससे हमारा सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स भी वसूल हो सकेगा । इससे हमारी केंद्रीय सरकार तथा प्रदेशीय सरकार दोनों का ही लाभ होगा। हमारा काफी नुक्सान जो हो रहा है वह बच जायगा । मुझे आशा है कि हमारे मंत्री जी इस पर गौर करेंगे और मंडी समितियों में अपना स्थान बनाने की बात और सुचारु रूप से काम करने का प्रबन्ध करवा सकेंगे । यह जो मंडी समितियों के बारे में काम किया गया है वह बहुत ही उपयुक्त काम है । जैसा कि आपने कहा कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में जो हुआ है वह भी बहुत उपयुक्त हुआ है । वहां भी धांधली थी और यहां भी है सरकार ने बहुत सोच समझ कर ही यह कदम उठाया है और इसके होने से काश्तकारों का बहुत हित होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय....

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, अभी शेख मुजीबुर्रहमान साहब का भाषण होने जा रहा है और सभी लोग सुनना चाहते हैं, इसलिये आधा घंटे के लिये स्थगित कर दें....

*श्री नित्यानन्द स्वामी—

मुझे माननीय कृषि मंत्री जी से एक-दो बातें कहनी हैं । आपने जिलाधीशों को रख दिया और समितियों को हटा दिया, इससे बहुत ज्यादा अन्तर शायद इसलिये नहीं पड़ता कि समितियों में भी चेयरमैन आदि ऐसे थे जिनके खिलाफ शिकायतें थीं । जिलाधीश कोई सुधार कर पायेंगे बहुत ज्यादा आशा तो नहीं है । लेकिन मुझे यह निवेदन करना है कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके इसके लिये यह ऐक्ट आपने बनाया था । जब किसान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

अपनी पैदावार को लेकर बाजार में आता है उस समय जो उसका आदान प्रदान होता है उस स्थान पर तो आपका यह ऐक्ट लागू रहे, यानी जो पहला खरीदार है उसके ऊपर तो लागू रहना चाहिये और किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिये लेकिन कुछ और जगह जो लागू किया है देहरादून के बारे में मैंने लिखकर भी दिया है कि जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, जो तीसरे, चौथे हाथ पर खरीदते हैं, एक सेर आलू, एक सेर प्याज आदि रखकर बैठते हैं, उनके ऊपर जो यह ऐक्ट लागू कर देते हैं वह नहीं होना चाहिये । इतनी चीजों के लिये रजिस्टर आदि रखे, 200 रु0 का तुनीत रखे, इतनी तो उसकी कुल आमदनी ही होती है । तो वह इसको नहीं कर सकता है । मंडी ऐक्ट का जो उद्देश्य है वह तो केवल यही है कि किसानों को उचित मूल्य मिले और पहले खरीदार से मिले । लेकिन जो दूसरे और तीसरे खरीदार हैं या मामूली दुकानदार हैं, उन पर यह लागू नहीं होना चाहिये । मैंने यह लिखकर भी आपको दिया और बातचीत भी की । आपने विभाग से पूछा और आपको बताया गया कि इसके लिये मंडी ऐक्ट में संशोधन करना पड़ेगा । विभाग के लोग राजी हैं कि गलत लग गया है लेकिन उनकी राय है कि इसके लिये संशोधन करना पड़ेगा । आप हजार बातें आर्डीनेंस से करते हैं, फिर अब तो विधान सभा चल रही है, आप नया संशोधन ले आयें, कम से कम उन छोटे-छोटे दुकानदारों को जो मामूली काम करते हैं, दो सौ, चार सौ की जिनकी मासिक आमदनी है, उनको इस मंडी ऐक्ट की परिधि के बाहर कर दें, जो पहले क्रेता भी नहीं हैं । मैं आशा करता हूं मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

श्रीमन्, मैं आभारी हूं...

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, कितना समय रखा है इसके लिये ?

श्री अधिष्ठाता--

इसके बाद दूसरा विधेयक भी है । तीन बजे तक इसको पारित होना है ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

माननीय महीलाल जी ने जो बात कही कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है यह जनतंत्र विरोधी है और विरोधी लोगों का दमन करने के लिए लाया गया, मैं नहीं समझता कि महीलाल जी ने यह बात कैसे कही । जो मंडी समितियां बनी थीं उनमें जो सदस्य थे वह नामीनेटेड थे । कहीं भी चुनाव नहीं हुआ था । जिला परिषद् की जो बात कही गयी मैं उसकी तफसील में इस वक्त नहीं जाना चाहता । लेकिन जहां तक मंडी समितियों का सवाल है, जो भंग की गयी हैं इनमें नामीनेटेड सदस्य थे । इसमें कहां लोकतंत्र की हत्या हुई है, मेरी समझ में महीलाल जी की बात नहीं आयी । यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है यह वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लाया गया है । हम चाहते तो अपने लोगों को मंडी समिति में फिर से मनोनीत कर सकते थे, कार्यकाल बढ़ा सकते थे, सारे अधिकार अपने हाथ में रख सकते थे । लेकिन यह जो बिल लाया गया है इससे सारे अधिकार और कर्त्तव्य एक निष्पक्ष आदमी के हाथ में दिये गये हैं, जिलाधिकारी के हाथ में ।

मान्यवर, हमने अपने पहले भाषण में कहा है कि सरकार का कतई इरादा नहीं है कि चुनाव न कराया जाय । चुनाव कराने का तत्काल इरादा है और हमने यह भी कहा है कि ज्यों ही गांव सभाओं का चुनाव हो जाता है त्योंही इनके चुनाव करा दिये जायेंगे । इस विधेयक से लोकतंत्र को मजबूत करने की बात हुई है और इसका हम समझते हैं माननीय सदस्यों को स्वागत करना चाहिये । जहां तक कुछ मंडी समितियों में शिकायतें की गई हैं कि उनमें काम

ठीक नहीं होता है या माननीय सदस्यों ने कुछ और बातें कही हैं उस संबंध में सदन को यह बताना चाहूंगा कि मंडी समितियों के संबंध में जो मूल अधिनियम है उसमें संशोधन करने का सरकार का इरादा है और जो खामियां या कमियां हैं उनको दूर करने के लिये हम उसमें संशोधन करेंगे । हम विचार करेंगे कि मूल अधिनियम में क्या संशोधन करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये ।

माननीय महीलाल जी ने कहा कि केवल 2 हरिजनों का नामिनेशन किया जायेगा। जहां बड़ी मंडियां हैं, उनका क्षेत्र बड़ा है और जहा पर हरिजनों का बाहुल्य है वहां पर कोई मनाही नहीं है कि हरिजन चुनकर ज्यादा न आयें । अगर 35 प्रतिशत हरिजन हैं तो ज्यादा तादाद में चुनाव लड़ कर आ सकते हैं । सरकार की ओर से 2 अनुसूचित जातियों के सदस्यों को मनोनीति किया जायेगा । तो इसमें अनुसूचित जाति या अन्य किसी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं है बल्कि इससे तो हर मंडी समिति में 2 अल्पसूचित जाति के लोग जायेंगे और अधिक से अधिक चुनाव जीतकर आ सकते है ऐक्ट इसमें कोई बाधा नहीं डालता है ।

अन्त में मैं मंडी समितियों के विनियमन के सिलसिले में एक बात कहना चाहूंगा । पहली दिसम्बर, 1971 से करीब 35 मंडी समितियों का विनियमन किया जा चुका है और जिन मंडी समितियों का, हम समझते हैं विनियमित होना आवश्यक है, उनको विनियमित करने जा रहे हैं । हमें उम्मीद है कि करीब 250 मंडियां विनियमित कर दी जायंगी ।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है यह अल्पकालिक व्यवस्था विधेयक है और इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रश्न नहीं उठता है । जब मूल अधिनियम में संशोधन आयेगा तब उस पर विचार कर लिया जायेगा । इसको आप पास कर दें, यह मेरा निवेदन है।

श्री अधिष्ठाता--

अब महीलाल जी का जो संशोधन है उसको प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक 1971, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और समिति अपनी रिपोर्ट 1 माह के भीतर प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1971 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

मंडी समितियों के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

2--(1) दिनांक 30 अक्तूबर, 1971 से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध, दो वर्ष की अवधि के लिये अथवा जब तक उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मंडी समिति स्थापित न हो, इसमें जो भी पहले हो, प्रत्येक मंडी क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उक्त दिनांक को विद्यमान था अथवा उक्त अवधि में घोषित किया जाय निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्--

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम समिति, यदि कोई हो, के सभापति, उप सभापति तथा सदस्य अपने अपने पद पर न रह जायेंगे,

(ख) मंडी क्षेत्र की समिति, उसके सभापति तथा उप सभापति के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होंगे जिसमें प्रधान मंडी स्थल स्थित हो और उक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उनका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जाएगा, और उक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि में समिति या उसका सभापति अथवा उप-सभापति समझा जाएगा,

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट पिछले अन्तिम खण्ड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है ।

(घ) राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषांगिक उपबन्ध जिन के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुकूलन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन की पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निलंबित करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती अथवा सम्बद्ध किसी भी प्रयोजनों के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब भी उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खी जाएगी, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बन्धित अधिसूचना के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं खंड 2 के (1) (ख) में दूसरी पंक्ति में "जिला मजिस्ट्रेट" के स्थान पर "अध्यक्ष नगरपालिका अथवा टाउन एरिया" रख दिया जाय ।

जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है कि किसान एक असंगठित वर्ग है और किसान के क्रय-विक्रय का यही एकमात्र साधन है। हमारा व्यापारी वर्ग जो है वह बड़ा ही संगठित वर्ग है । उनका चेम्बर आफ कामर्स है और ऐसे कई संगठन हैं । उत्तर प्रदेश में शासन की ओर से किसान के लिये जो संगठन बना है वह यही है जहां पर कि वह फायदा उठा सकता है और उसके माल की खरीदारी फरोख्त हो सकती है । जब आप प्रजातांत्रिक आधार को स्वीकार करते हैं, आप यह भी कहते हैं कि किसानों का हित हो, तो जिला मजिस्ट्रेटों को आप जो यह अधिकार देने जा रहे हैं यह उचित प्रतीत नहीं होता । इसका तो मतलब यह है कि आपको अपने कर्मचारियों

से अधिक भरोसा है बनिस्बत जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के । अपने कर्मचारियों को अधिकार देकर तो आप एक तरह से प्रजातंत्र के सिद्धांतों की ही हत्या कर रहे हैं । पता नहीं क्या सोच कर आप जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे रहे हैं । इससे तो ऐसा पता चलता है कि जरूर इसके पीछे कोई पोलिटिकल बात निहित है । इसीलिये मैंने अपना यह संशोधन रखा है कि उसमें जनता के चुने हुये लोग ही रखे जायं जो नगरपालिका, टाउन एरिया आदि के सभापति हैं । मुझे आशा है सरकार मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी । (व्यवधान) आज व्यापारी इतना होशियार हो गया है कि वह मंडी समितियों के रहते हुये भी गड़बड़ी कर सकता है। फिर किसानों का हित इसी में है कि उनके प्रतिनिधि ही उसमें रहें । इसी दृष्टि से मैंने अपना संशोधन रखा है।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय त्रिपाठी जी यह भूल गये कि बहुत सी ऐसी मंडियां भी होंगी जहां नगरपालिका या टाउन एरिया के अध्यक्ष लोग ही नहीं हैं । वहां अगर आपका संशोधन मान लेते हैं, क्या होगा ? ऐसा लगता है कि माननीय त्रिपाठी जी संभवतः भूल से यह संशोधन दे गये हैं । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन कृपया वापस ले लें।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

श्रीमन्, माननीय उपाध्याय जी की अपील के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ).

खण्ड 3, 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1971

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 में संशोधन करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक सं क्षप्त नाम व्यवस्था) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

3—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 3, 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 1
1971 क
निरसन

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1971, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1971, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971†

*कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह जो विधेयक है, बहुत छोटा एक विधेयक है, संशोधन विधेयक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है । कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के नाम को इसमें परिवर्तित किया गया है और उसका नाम अब स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। इसमें मैं समझता हूं कि किसी सदस्य को कोई एतराज नहीं होगा और इसको वे स्वीकार करेंगे ।

दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन है, वह यह है कि किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये आवश्यक है कि कोई योग्य व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व करे। आप जानते हैं पंतनगर में जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसने अपने प्रदेश में हरित-क्रांति लाने में बड़ा योगदान किया है। वहां पर जो वाइस-चांसलर रहा है, उसने अपनी योग्यता से इसमें बड़ा भारी योगदान दिया है। उससे हम अपने प्रदेश की समस्या को सुधारने में काफी हद तक आगे बढ़ गये हैं। हमारा जो पहले का विधेयक था, उसके अनुसार कोई भी वाइसचांसलर दो टर्म्स तक रह सकता है। 3-3 वर्ष के लिये यह जरूरी है कि किसी योग्य आदमी की योग्यता का अधिक अवधि तक हम फायदा उठायें, इसलिये किया यह गया है कि इस अवधि को और बढ़ा दिया जाये । इसलिये यह किया गया है कि कोई भी वाइस-चांसलर 3 टर्म्स तक के लिये रह सकता है और 3—3 वर्ष के लिये उसका कार्य काल होगा ।

इसके अतिरिक्त इसमें जो दो अन्य संशोधन हैं वे बहुत ही टेक्निकल हैं । जैसे पहला "कृषि प्रयोग केंद्र का एक संचालक होगा जो उपकुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और उसके प्रति उत्तरदायी होगा ।" पहले यह डीन के प्रति उत्तरदायी होता था । किन्तु चूंकि उनकी यूनिवर्सिटी वाइड रिस्पांसबिलिटी है, इसलिये उचित यह समझा गया कि उनको वाइस चांसलर के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये । इसी तरह से दूसरा है, कि एक प्रसार संचालक होगा जो उपकुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा । तो यह बहुत छोटा सा (संशोधन) विधेयक है, इसको आप पारित करें, यह मेरा आपसे निवेदन है ।

*श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, विधेयक तो उचित है लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री से कहूंगा कि जो आपने अमेरिकन पैटर्न पर कहा है (college land grants) उस पर मेरी आपत्ति

---

†6 जनवरी, 1972 की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है। कृषि विश्वविद्यालय जिसका नामकरण माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त के नाम पर कर रहे हैं, नामकरण बड़ा सुन्दर है, लोग इसे इस नाम से कहते भी थे, यह संशोधन उत्तम है। लेकिन साथ-साथ में और परिवर्तन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और भी बहुत से विश्वविद्यालय हैं, कृषि विद्यालय में जो और विश्वविद्यालयों की परम्परायें हैं, जो तौर तरीके हैं, उसमें भिन्नता क्या रख रहे हैं? आपने लैंड ग्रांट्स कालेज की बात कही। उसका आधार क्या है? 2 जुलाई, 1862 में अमेरिकन कांग्रेस में एक कानून बना था जिसमें स्टेट्स को अधिकार दिया गया था 20 या 30 हजार तक जमीन दी जाय और एक स्टेट में 1, 2, 3 कालेज हों। 1866 में परिवर्तन आया कि एक राज्य में एक या एक से अधिक कालेजों को भूमि दी जायगी। भूमि में सारे अनुसंधान केन्द्र बनाये जायेंगे। इस पैटर्न में ऐसा नहीं है जो हमारे यहां व्यवस्था है। आप एक नयी व्यवस्था करना चाहते हैं कि वायस चांसलर नौ वर्ष तक रखा जाय। उसके कार्य क्षेत्र का उपयोग करना चाहते हैं, जैसा राज्य मंत्री जी ने कहा, एक योग्य व्यक्ति मिल जाय, मैं आपके द्वारा, कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि वायस चांसलर का पद प्राशासनिक है जहां और विश्वविद्यालयों में 4–5 साल है वहां 9 वर्ष क्यों दे रहे हैं? एक योग्य व्यक्ति होने से सारी मान्यताओं में परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह तो पक्षपात की नीति है। रिसर्च के अलग–अलग सेक्शंस हैं ही, उनके अलग-अलग प्राध्यापक होगें। लेकिन वायस चांसलर की एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसके लिए 9 वर्ष का कार्यकाल बहुत होता है। इससे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा? आप उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का तीन साल में स्थान बदल देते हैं क्योंकि एक जगह अधिक रहने से वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। 9 वर्ष तक रखने का कोई औचित्य नहीं दिखायी देता है। उत्तर प्रदेश सरकार 39-40 लाख इसको ग्रान्ट देती है। इतनी बड़ी रेकरिंग ग्रांट है और 15 हजार एकड़ जमीन उसके पास है। इतनी बड़ी भूमि में इतनी बड़ी रेकरिंग ग्रांट के साथ तीन-चार विश्वविद्यालय चल सकते हैं कृषि के 1 लैन्ड ग्रांट्स कालेज का 1862 में जो कानून पास हुआ उसके उद्देश्य में लिखा है––

"Where leading subjects shall be, without excluding other scientific and classical studies and including military tactics to teach each branch of learning as are related to agricultural and mechanical Arts, in such manner as the Legislature of the State may prescribe, in order to promote the material and practical education of the industrial classes in the several purusits and professions in life."

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि इंडस्ट्रियल पर सूट्स आफ लाइफ जैसी कोई चीज पंत नगर में नहीं चलाई गयी लेकिन आप वहां इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, तो मुझे यह अजीब चीज लग रही है। एक व्यक्ति को विशेष सुविधा देने के लिए यह किया जा रहा है, ऐसा किया गया तो आगे के लिए वह यूनिवर्सिटी राजनीति का अखाड़ा बन जायगी और फिर प्रशासन को बड़ी कठिनाई पड़ेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह धारा वापस ले ली जाय।

(इस समय, 3 बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)––

मुझे यह निवेदन करना है कि यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है और जो अध्यादेश निकाला गया है वह केवल एक व्यक्ति के लिए किया गया है जो वहां उपाध्यक्ष हैं। उनका टर्म खत्म होने जा रहा है, किस तरह से उनको वहां रखा जाय इसके लिये सरकार को आर्डिनेन्स लाने की जरूरत पड़ी। क्या इस देश तथा प्रदेश के अन्दर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता जो उपकुलपति बनाया जा सके। अगर आप यह परम्परा डालेगें तो फिर जो और हमारी यूनिव-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह नेगी]

सिटीज हैं उनमें क्यों रोक लगा रखी है ? मेरा निवेदन है कि आप इस तरह से इस प्रदेश की जनता के साथ और इस सदन के साथ मजाक न करें क्योंकि आप एक व्यक्ति का टर्म तीन साल तक और बढ़ाना चाहते हैं और आपने उसके लिए आर्डिनेंस तक जारी कर दिया बावजूद इसके कि आपको मालूम था कि यह सदन बैठने जा रहा है। आपको इस देश व प्रदेश में कोई दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति इसके लिये नहीं मिल सका। आटोमिक कमीशन के चेयरमैन श्री साराभाई साहब का स्वर्गवास हो गया लेकिन इसका यह मतलब नहीं है भारतवर्ष इतना छोटा देश है कि कोई दूसरा व्यक्ति आटोमिक कमीशन का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकेगा। अगर मिस्टर सिंह रिटायर हो जाते हैं तो हमारे देश के अन्दर अन्य बुद्धिजीवी तथा योग्य व्यक्ति मौजूद हैं जिनको वाइस चांसलर इस विश्वविद्यालय का बनाया जा सकता है। 9 साल तक आप एक विश्व-विद्यालय का वाइस चांसलर रखने जा रहे हैं इसका क्या औचित्य सरकार के पास है ?

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में तीन चीजों पर प्रकाश डाला गया है। पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखने की जो बात है यह सचमुच गौरव की बात है। हम सब लोग एक स्वर से इसका आदर करेंगे।

दूसरी बात वाइस चांसलर के टर्म को बढ़ाने की बात है उस पर मेरी आपत्ति है। एक व्यक्ति को बिठाने के लिये तीन साल का टर्म बढ़ाया जा रहा है और अगर इस निमित्त यह संशोधन विधेयक लाया गया है तो इसका जरूर कंडमनेशन होना चाहिये। इस सदन में बैठकर अगर हम किसी एक व्यक्ति की नौकरी को कायम रखने के लिये विधेयक लायें तो यह अनुचित बात है। अगर एक अच्छा उपकुलपति कोई है और उसको काम करने का अवसर मिले तो इसके लिये आप 3 साल का टर्म रखने के बजाय 5 साल के दो टर्म रख दें ताकि 10 साल तक वह काम कर सके। एक योग्य व्यक्ति को वहां बिठा दिया गया तो तीन साल में होता क्या है। एक साल में तो वह जानकारी प्राप्त करता है कैसी व्यवस्था है ? दूसरे साल वह काम करता है और तीसरे साल जाने की तैयारी करने लगता है। अगर तीन साल की अवधि आप करेंगे तो जो अच्छा काम करने वाला कर्मचारी होगा वह सोचेगा कि तीन साल के बाद उसे वहां से जाना है। उसमें अगर कोई अच्छा आदमी है जो कि विश्वविद्यालय का सुधार करेगा तो उसे 5—5साल के दो टर्म दिये जायं। हमारे यहां पंच वर्षीय योजनाओं के आधार पर काम होता है। कृषि विश्वविद्यालय तो इस प्रदेश के लिये एक बहुत बड़ा बरदान है। इस पंतनगर यूनिवर्सिटी के कमाल को देखते हुये हमको इस बात की मांग करनी चाहिये कि अगर वहां पर एक योग्य उपकुलपति हैं तो उसको वहां पर सेवा करने के लिये 10—20 साल का मौका दिया जाय। आने वाली भावी पीढ़ियां भी आपकी इस बात का स्वागत करेंगी। किन्तु इस विधेयक को लाकर, जैसा कि माननीय नेगी जी ने कहा है, केवल एक आदमी को बिठाने की बात है। हमारे देश में अच्छे आदमियों की कमी नहीं है। यहां पर बहुत अच्छे-अच्छे लोग पैदा हुआ करते हैं। यह भूमि तो बसुन्धरा है। इसने कई अच्छे-अच्छे लोगों को पैदा किया है। इसलिये यह कहना कि इस भारत भूमि में योग्य व्यक्ति नहीं हैं, उचित नहीं है। यहां पर कई योग्य व्यक्ति हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस टर्म को और बढ़ा दें। हमने देखा कि स्टुडेन्ट आन्दोलन करते हैं, तो क्या उसका असर इस विश्वविद्यालय पर नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अवश्य पड़ेगा। आज नहीं, तो कल अवश्य ही इस विश्वविद्यालय पर इन मूवमेन्ट्स का प्रभाव पड़ेगा जिसका यह परिणाम होगा कि वहां से हर उप-कुलपति भागने की कोशिश करेगा, यह कृषि विश्वविद्यालय हमारे देश की तरक्की का एक बहुत बड़ा जरिया है और देश में कृषि उत्थान का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। यदि वहां के उपकुलपति के सामने एक समस्या खड़ी रहेगी कि हम कब हटेंगे तो यह विश्वविद्यालय उतनी प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस टर्म को 9 साल के बजाय 10 साल कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा है कि वह उप कुलपति अपनी जिम्मेदारी इससे निभा पायेंगे। यह ठीक नहीं है। विश्वविद्यालय के अन्दर बहुत से अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं तथा डीन भी होते हैं। यदि आप डीन को किसी उप कुलपति के अधीन करेंगे तो डीन की अवहेलना हो जायगी। ऐसी तो बहुत सी संस्थायें चलती हैं। उसके प्रति वह जिम्मेदार है यह आप कह सकते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसको आप निकालिये और जो एक श्रेणी है उसके नीचे और उसके ऊपर, उस बीच वाली कड़ी को आपको निकालना होगा। उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिये वह आपने निकाल दी है। यह दोषपूर्ण है। डीन के प्रति ही उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिये और तभी वह अनुशासन में रख सकेगा। इसलिये आप सोच समझकर जो दो बातें मैंने कहीं हैं उनको मद्देनजर रखते हुये उसको मानन का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जहां तक इस यूनिवर्सिटी के नामकरण का सवाल है, उसम तो दो रायें नहीं हो सकतीं कि इसका नाम गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि यूनिवर्सिटी रखा जाय और उनके नाम को इस यूनिवर्सिटी के नाम में जोड़ दिया जाय। इसमें एक जो टेक्निकल अमेन्डमेन्ट जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा है, उसके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा और वह यह है कि डीन आफ एग्रीकल्चर की जगह पर वह चाहते हैं कि जो कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं उनके प्रति अपनी निष्ठा या वफादारी, जैसा कि होता है, वह होना चाहिये। इसका मतलब यह है कि यह जो कृषि विश्व-विद्यालय है वह एक इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूशन इस माने में हो गया जब से कि कृषि इन्डस्ट्री के रूप में आ गई। उसको और विश्वविद्यालयों की जितनी ऐकैडेमिक शिक्षा इस बात की दी जाती उसकी तुलना नहीं कर सकते। केवल एक जगह जहां एकेडैमिक क्वालिफिकेशंस का सवाल है, जहां शिक्षा प्रणाली में कुछ काम करने का या शिक्षा देने का सवाल है उसे और कृषि विश्वविद्यालय से जिसे आप एक इंडस्ट्री के रूप में चलाने की बात कर रहे हैं तो एक योग्य आदमी जिसने पंतनगर विश्वविद्यालय को उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि उसके आने से पहले ही बिल्कुल घाटे पर चल रही थी और जिसके संबंध में यहां विधान सभा में लोगों के कमेंट्स हुए, आज उस आदमी ने यह करके दिखाया और उसकी कार्यप्रणाली और क्षमता और ईमानदारी की वजह से यह विश्वविद्यालय इस ऊंचाई तक गया—उसका कार्य काल अगर 2 के बजाय तीन टर्मस का हो तो किसी सदस्य ने कहा कि क्या योग्य आदमी की कमी है? योग्य आदमी कम नहीं होते, लेकिन जिस जगह एक आदमी ने इतनी प्रगति करके दिखाई है अगर उसको एक टर्म और बढ़ा कर दे सकते हैं तो वह चीज अच्छी ही कही जायगी। अगर हम एक अनजाने आदमी को रख दें तो फिर से उस सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन से लेकर उसको सारी बारीकियों में जाने का अवसर मिलेगा तो उससे विश्वविद्यालय के लक्ष्य की पूर्ति में बाधा पड़ेगी। जब एक आदमी की योग्यता प्रमाणित हो गयी तो उसके प्रति यदि अपनी निष्ठा स्वरूप और एक टर्म अगर देते हैं तो उस ऊंचाई तक ले जाने में वह सहायक होगा और जिससे सरकार उम्मीद करती है उसके प्रति अगर निष्ठा देते हैं तो काम की एफिशियसी बढ़ेगी इसलिये उनको हटाना मुनासिब बात नहीं होगी। इसलिये डीन आफ एग्रीकल्चर की जगह पर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का रखा जाना बहुत आवश्यक है।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जैसा कि पांडेय जी ने कहा कि किसी योग्य आदमी को अधिक समय तक रखने के लिये आवश्यक है कि एक टर्म बढ़ाना चाहिये। तीन टर्म इस संशोधन से कर दिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी ऐसे आदमी को जिसको हम नियुक्त करते हैं तीन टर्म तक कंटीन्यू रखें। अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामसूरत उपाध्याय]

किसी ऐसे व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाया जाता है जो मेरीटोरियस नहीं है तो एक टर्म में हटा सकते हैं। अगर किसी को चाहें तो दो टर्म तक रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को बैठा दें एक बार तो वह तीन टर्म तक चलता रहे। जैसा कि मौजूदा वाइस चांसलर के संबंध में कहा गया, यह सर्वविदित है कि ये बहुत ही योग्य और मेरीटोरियस हैं। इनको कंटीन्यू कराना प्रदेश के हित में था और ऐसा किया गया है तो कोई अनुचित नहीं हुआ है। जहां तक प्रसार संचालक और केन्द्र के सचालक का वाइस चांसलर के प्रति उत्तरदायी होने का सवाल है, मुझे यह निवेदन करना है कि यह दोनों डाइरेक्टर का केवल एक डीन आफ दि कालेज आफ ऐग्रिकल्चर से ही संबंध नहीं है बल्कि जितनी भी फकल्टी हैं उनसे संबंध है। इसलिये किसी एक डीन से संबंधित करना, उनके प्रति उत्तरदायी बनाना, उचित नहीं था। इसके अलावा जो दोनों डाइरेक्टर्स हैं इनकी रैंक डीन के बराबर की जा रही है। तो बराबर रैंक के होने के नाते यह ठीक नहीं था कि एक बराबर की रैंक का अफसर दूसरे बराबर की रैंक के अफसर क प्रति उत्तरदायी हो। इसलिय जहां तक यह संशोधन है अपनी जगह पर सही है, उचित है और मेरा निवेदन है कि सदन इसे स्वीकार करने की कृपा करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971, जैसाकि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 45, 1958 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3

रा 10 संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्--

"(ट) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि, और"।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरा संशोधन यह है कि खण्ड 3 में मूल अधिनियम की धारा 10 (1) के प्रस्तावित खण्ड (ट) क बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ट) (क) जोड़ दिया जाय :

"(ट) (क)--कानपुर एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट का एक प्रतिनिधि अथवा उसका संचालक ।"

मैं इसलिये यह संशोधन रख रहा हूं कि 1958 में जब यह ऐक्ट बना उस समय यह चीज नहीं थी । यहां पर भी बहुत काम हो रहा है । जब पंत नगर विश्वविद्यालय में गवनमेंट इतना पैसा दे रही है तो यहां पर भी रिसर्च हो रहा है इसलिये यहां का एक प्रतिनिधि वहां होना चाहिये। उसका डाइरक्टर हो या कोई प्रतिनिधि हो जिससे दोनों संस्थायें एक दूसरे से लाभान्वित हो सकें । इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

मान्यवर, यह संशोधन इसलिये स्वीकार नहीं है कि मूल अधिनियम की धारा 10 (2) के अनुसार इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर, प्रतिनिधित्व करती थी । लेकिन अब यह संस्था रह नहीं गई है । अब इसके बजाय इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है । उसका प्रतिनिधि आयेगा किसी नई संस्था का प्राविधान नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 के मूल अधिनियम की धारा 10 (1) के प्रस्तावित खण्ड (ट) के बाद निम्नलिखित नया खंड (ट) (क) जोड़ा जाय---

"(ट) (क)--कानपुर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट का एक प्रतिनिधि अथवा उसका संचालक ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष ---

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 4, 5, 6, 7, 1, प्रस्तावना और शीर्षक

4---मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) में प्रयुक्त शब्दों 'दो पदावधियों' के स्थान पर शब्द 'तीन पदावधियों' रख दिय जायं । — धारा 11 क संशोधन

5---मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्--- — धारा 18 क संशोधन

"(2) कृषि प्रयोग केन्द्र का एक संचालक होगा जो उपकुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा ।"

6---मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात--- — धारा 19 क संशोधन

"(2) एक प्रसार संचालक होगा जो उपलकुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा ।"

7---उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1971, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । — उत्तर प्रदे अध्यादेश संख 17, 1971 क निरसन

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में निम्नलिखित प्रयोजनों के हेतु आग संशोधन करन के लिये — उत्तर प्रदेश अधि नियम संख्या 4 1958

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनयम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 4 निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नांकित रखा जाय—

"(4) मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) में प्रयुक्त शब्दों 'दो पदावधियों' के स्थान पर '5 वर्ष' रख दिये जायं ।"

श्री उपाध्यक्ष—

आपका जो संशोधन है वह आउट आफ आर्डर है । यह बिल में संशोधन नहीं है । मूल अधिनियम में आप संशोधन ला रहे हैं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह आउट आफ आर्डर नहीं है । खण्ड 4 को निकाल कर यह रख रहा हूं कि इसको रख दिया जाय । दो पदावधियों के स्थान पर "5 वर्ष" रख दिये जाय । इसलिय यह आउट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह संशोधन विधेयक में कर रहे हैं या ऐक्ट में कर रहे हैं ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

बिल में प्रस्तावित धारा 4 है उसमें जो संशोधन रखा गया है, उसी में संशोधन कर रहा हूं । 9 वर्ष के बजाय 5 वर्ष कर दिया जाय, यह रखा जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें लिखा है 2 पदावधियों के बजाय 3 पदावधियां रख दिया जाय, आप कहते हैं 5 वर्ष रख दिया जाय । इसमें से 'पदावधियों' शब्द कहां चला गया । आप कह सकते थे कि "1 एक पदावधि" "2 पदावधि" लेकिन पदावधि को हटा कर आप वर्ष कैसे रख सकते हैं ? इसलिये यह आउट आफ आर्डर है ।

प्रश्न यह है कि खंड 4, 5, 6, 7, 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक श्री सुरेन्द्र विक्रम जी की, मुरादाबाद नगर व जनपद में पाक कदियों क होने के संदेह से जनता में व्याप्त डर के संबंध में है। इस पर प्रश्न के रूप में काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिये इसको अस्वीकार किया गया है ।

दूसरी सूचना श्री मलिखान सिंह, श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी, डा० भगवतदयाल के, शिकोहाबाद जिला मैनपुरी में भूमि संबंधी झगड़े का साम्प्रदायिक रूप धारण करने से जनता में असन्तोष के बारे में है। उस पर यहां चर्चा करन से स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसलिये इसको भी अस्वीकार किया गया है ।

तीसरी सूचना श्री त्रिवेणी सहाय की है, गोंडा जिले में कत्ल एवं डकैतियों में वृद्धि के बारे में है। इसको भी अस्वीकार किया गया है ।

चौथी सूचना माननीय डूंगर सिंह विष्ट द्वारा अल्मोड़ा जिले के मेगनासाइट कारखाने में जमशदपुर (उड़ीसा) के लोगों की भर्ती से जनता में असंतोष के बारे में दी गयी है। इसको स्वीकार नहीं किया गया है ।

काशी विश्वविद्यालय में अशान्ति की स्थिति के संबंध में चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब अन्त में काशी विश्वविद्यालय में अशान्ति की स्थिति के संबंध में सर्व श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, शंकर प्रसाद जायसवाल, नित्यानन्द स्वामी, जगन्नाथ खन्ना, मोहनलाल कपूर व त्रिवेणी सहाय तथा श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा होगी। श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी शुभारंभ करेंगे ।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, काशी विश्वविद्यालय की इस चिन्ताजनक स्थिति पर विचार करने के लिये हम खड़ हुये हैं। यद्यपि यह विषय केन्द्र से संबंधित है फिर भी ऐसी स्थिति इसमें उत्पन्न हो गयी है कि वह इस प्रदेश क मुख्य मंत्री और इस सरकार द्वारा ही संभल सकती है। इसीलिये हम विचार करने के लिये यहां खड़े हुये हैं। इसकी स्थिति बड़ी शोचनीय है पर विचार करना है कि इसका मूल कारण क्या है और इसके लिये कौन दोषी है। मेरे विचार से जो म आग तर्क प्रस्तुत करूंगा उसके आधार पर वहां का प्रशासन और वहां के उपकुलपति इस सारे नाटक के दोषी ह, विद्यार्थी उसके दोषी नहीं है। विद्यार्थियों के प्रति उन्होंने प्रतिशोध की भावना से सारी कायवाही की और अपनी अयोग्यता, अकर्मण्यता, असफलता को छिपाने के लिये. ..

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मुख्य मंत्री या गृह मंत्री को तो बुलवा लें, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कृषि मंत्री बैठे हैं, वह भी आ जायेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

उन्होंने सारी कार्यवाही की। प्रारम्भ यों होता है कि विद्यार्थियों ने कुछ अपनी मांगें रखी थीं जो बिल्कुल शिक्षण से संबंधित थीं। उनकी मांगों को वाइस चांसलर ने मान लिया। जब उनका कार्यान्वियन करना हुआ तो उस विश्वविद्यालय म जो उनक सहयोगी थे वे उनसे सहमत नहीं थे कि उनका कार्यान्वियन हो। जब उन्होंने उनके मस्तिष्क की यह स्थिति देखी तो वाइस चांसलर ने उन्हीं के अनुरूप करने की ठानी और विद्यार्थियों से बदला लेने के विचार से कार्यवाई आरम्भ की। उन्होंने 13 सितम्बर को अनिश्चित काल के लिये विश्वविद्यालय बन्द कर दिया। विस्तारपूर्वक विवरण हमारे जायसवाल जी आपके सामने रखेंगे, मैं तो मूल बातों पर शीघ्र ही आ जाता हूं। और 24 घंटे में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय छोड़ने के आदेश दिये। होस्टल्स से विद्यार्थी जाने लगे। प्रमुख छात्रों को उन्होने बन्दी बना लिया बिना कोई कारण बताये हुये। छात्रों ने उस वक्त यह मांग की कि विश्वविद्यालय अकारण क्यों बंद कर दिया गया, हमारी शिक्षा को नुकसान पहुंचेगा, इसके बारे में जांच की जाय। तो वाइस चांसलर ने एक दूसरी चाल चली। बजाय इसके कि विश्वविद्यालय बन्दी के विषय में जांच कराने के लिये किसी अधिकारी को नियुक्त करत उन्होंन छात्रों पर दोषारोपण करक उसक बार में छानबीन करने के लिये एक व्यक्ति को नियुक्त किया। और किस को नियुक्त किया? मिस्टर देसाई चीफ जस्टिस को। उन्होंने उस कार्य को करने से इन्कार कर दिया कि केवल छात्रों के बारे में जांच करने के लिये मैं नहीं आया बल्कि तमाम तथ्यों की जांच करने के लिये आया हूं। लेकिन चूंकि वह उनके मित्र थे इसलिये किसी प्रकार उन्होंने उनको मना लिया। उस जांच के आधार पर 29 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से निकाल दिया और उस सारे संदर्भ में जो विद्यार्थियों की पिटाई हुई, उनको जेल भेजा गया, झूठे आरोप लगा कर उनके ऊपर मुकदमे कायम किये गये। वाइस चांसलर ने यह सब काम इसलिये किया कि जो मुख्य प्रश्न है कि विश्वविद्यालय बन्द क्यों किया गया वह शैक्षणिक कारणों से नहीं बल्कि विद्यार्थियों द्वारा अव्यवस्था उत्पन्न करने के कारण। हमारा कहना है कि छात्रों न अव्यवस्था उत्पन्न नहीं की बल्कि यह अव्यवस्था इसलिये उत्पन्न हुई कि वाइस चांसलर ने स्वीकार की हुई मांगों का कार्यान्वियन नहीं किया और शक्षणिक वातावरण को समाप्त कर दिया और बदले की भावना से काम करना प्रारम्भ किया। जितने अध्यापक थे उन्होंने एक मीटिंग की और एक प्रस्ताव पास किया। इसको मैं पढ़ दूं तो मुझे अधिक कहने की आवश्यकता न होगी। यह अंग्रेजी में है मैं उसे वैसे ही पढ़े दे रहा हूं :

"The Teacher's Association of the B. H. U. is constrained to express its profound grief and deep resentment at the fast deteriorating conditions in the academic life of the University. It has been a very painful experience of the teachers that for some time past there has been an all-out sale of the academic values on the part of the University administration..... (which) has shown no qualms regarding expeditious sacrifice of rules, regulations, ordinances and whatever academic principle and conventions which has come in the way..... ....The University administration has been for long fooling the academic community and the public in general by empty words and platitudes..... The teachers are disillusioned and utterly disgusted as the entire academic life of the B. H. U. have been politicised and polluted. They have no effective voice in the administration, are compelled to remain merely silent spectators of the funeral procession of the academic standards and values without which the University would be sapped of its vitality"

मैंने इस रिजोल्यूशन को इसलिये पढ़ा क्योंकि यह अखबारों में भी नहीं छपा है। हमारे वाइस चांसलर ने बड़ी चालाकी से पत्रकारों को गलत सूचना देकर उनको किसी प्रकार से भ्रमित करके छपने नहीं दिया और जो सच्ची वहां की स्थिति थी उस को समाचार पत्रों में नहीं आने दिया और उन्होंने सरकार के सामने यह तस्वीर रखी कि विद्यार्थियों का दोष है। अब विद्यार्थी दोषी थे या वाइस चांसलर दोषी थे इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

जो शिक्षकगण की मांगे थीं उनको वाइस चांसलर ने आजतक पब्लिक के सामने नहीं रखा कि आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति यह है कि 29 नवम्बर को, विश्वविद्यालय खुल गया, किस परिस्थिति में खुला ? वहां पी० ए० सी० घूम रही है एक तरह से वहां पी०ए०सी० का कैम्प सा लगा हुआ है और जो वाइस चांसलर वहां के हैं वह वहां वाइसचांलर कम मैजिस्ट्रेट बने हुये हैं और यह उन्हीं के आदेशों का नतीजा है कि वहां पर पी०ए०सी० काम कर रही है। ऐसा भी कभी कहीं हुआ है कि विद्यार्थी पुलिस के द्वारा बूटों से मारे जायं और जब वह शांतिपूर्वक रेस्ट्रां में बैठे हों तो वे वहां भी मारे जांय। ऐसी स्थिति उसी हालत में पैदा होती है जब विश्वविद्यालय का सब से बड़ा अधिकारी दुर्लक्ष्य करे और उसी की रजामन्दी और कनाइवेन्स से यह सब वहां हुआ है। जो कुछ हुआ है वहां उससे हमें बहुत दुख है। वहां के विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद हम ने अन्दाजा लगाया कि वह बहुत ही शांतिप्रिय विद्यार्थी हैं और वे केवल यह चाहते हैं कि उनकी जो एकेडेमिक समस्यायें हैं वे सुलझ जायं। मुझे वाइस चांसलर महोदय से कोई द्वेश नहीं है और न कोई उनके खिलाफ काम करने की भावना ही है लेकिन हमेशा यह बाद में कह दिया जाता है कि विद्यार्थी उग्र हो जाते हैं जैसे तुलसी दास जी ने कहा है कि:—

"अतिशय रगड़ करे जो कोई। अनल प्रगट चन्दन से होई।"

यह समस्या एक जटिल समस्या बन जाने का डर है और हमें और सरकार को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। आर्डिनेन्स के पास होने के बाद ऐसा लगता था कि हम यहां की शांति व्यवस्था को काबू में न कर सकेंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी ने उस सिचुएशन को काबू में किया उन्होंने विद्यार्थियों के खिलाफ जो केसेज थे उन को वापस लिया और निष्कासित छात्रों का फिर से रिएडमिशन कराया, यह श्रेय माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिया लेकिन जो विद्यार्थियों की मागें थी और उनको लेकर जो उन से थोड़ी सी उद्दंडता हो गई थी वह सारी स्थिति वहां के वाइस चांसलर की ही पैदा की हुई है। अगर मुख्य मंत्री जी हस्तक्षेप न करते तो स्थिति और बिगड़ती लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम हस्तक्षेप करेंगे और विद्यार्थियों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की समस्याओं को सुलझायेंगे।

आजतक उन्होंने सुलझाया नहीं। मेरी स्वयं की सूचना यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की ढ़िलाई से वाइस चान्सलर बदले नहीं जा सकते हैं। वे केन्द्र से सीधे संबन्धित हैं। वे समझते हैं कि मैजिस्ट्रेट उनका गुलाम है और पी० ए० सी० के बल पर वे विश्वविद्यालय का शासन चला सकते हैं। मैं एक ही प्रार्थना वाइस चान्सलर से करता हूं कि उनके भी लड़के हैं, वे चाहते क्या हैं। विद्यार्थी चाहते हैं कि मामला सुलझ जाय और अगर उनकी उचित मांगे हैं तो उनका कार्यान्वयन कराया जाय। आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस स्थिति में हैं कि मामला सुलझ जाय। दुःख की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बनारस के रहने वाले हैं और इतने दिनों से वहां पर पी० ए० सी० लगा रखी है। अगर मुख्य मंत्री जी वहां पर जाते तो यह दशा कभी की समाप्त हो गयी होती। यह उन पर लांछन है कि उनके नगर में यह सब हो रहा है। सारी स्थिति को ध्यान करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जब तक ये वाइस चान्सलर वहां रहेगें तब तक विद्यार्थी, जो हमारे बच्चे हैं और जिनके 4 कसूर भी माफ करके ठीक रास्ते पर उनको लाया जा सकता है लेकिन प्रतिशोध करने वाले वाइस चान्सलर इसको कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। यह निन्दा की बात है कि जो वाइस चान्सलर हैं वे विद्यार्थियों को झूठे-झूठे मामलों में फंसाकर या तो उनको क्लास से निकाल देते हैं या उनपर मुकदमें चला देते हैं। मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कह रहा हूं कि वाइस चान्सलर स्थिति को नहीं समझ सकते हैं। मेरा विचार यह है कि उस वाइस चान्सलर के इशारे पर इस सरकार को कार्य नहीं करना चाहिए। अगर यह वाइस चान्सलर पी० ए० सी० के आधार पर प्रशासन करना चाहते हैं तो इस पर प्रान्तीय सरकार को राजी नहीं होना चाहिए। और न उनको कुर्सी की गद्दी पर बनाये रखन के लिये पी० ए० सी० को बनाये रखने के लिए इजाजत देनी चाहिए।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिये इसके बीच में उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरी यह भी प्रार्थना है कि वे स्वयं वहां जाकर इस मामले को अपने हाथ में लें और उसे सुलझायें। एक बार आश्वासन देकर अब वे क्यों पीछे हट रहे हैं। वाइस चान्सलर माननीय मुख्य मंत्री की बात की भी अवहेलना कर रहा है और अगर आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकार को इस विश्वविद्यालय की सारी स्थिति का ज्ञान करायें। मुझे दुःख है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस मसले को सुलझाने का उनका इरादा है और उन्होंने यह भी कहा था कि वे इससे स्वयं चिन्तित हैं और वे कोशिश करेंगे कि यह मामला निपट जाय।

दूसरी बात मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय सरकार को तुरन्त लिखें इस वाइस चान्सलर की अकर्मण्यता और असफलता और इनकी गलत नीति और गलत प्रशासनिक रवैये पर प्रकाश डालें और यह स्पष्ट बतायें कि यह सारा दुर्व्यवहार इनके कारण हुआ है।

अभी माननीय जायसवाल जी ने एक एडजर्नमेंट मोशन आपके सामने रखा था। उसमें उन्होंने रखा था कि विद्यार्थियों को पकड़-पकड़ कर उनके सीनें पर जूतों से प्रहार किया गया। पी०ए०सी० की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि जब वाइस चान्सलर का इशारा न हो वे यह करने की हिम्मत करें। वहां पर हमारे जिलाधीश क्यों इन वाइस चान्सलर साहब के शिकार हो रहे हैं। वे एक अच्छे आदमी हैं, विचारवान व्यक्ति हैं फिर भी वे ऐसा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको गलत चीजें बतायी जाती होंगी। मैं पुनः दुहराता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें। विद्यार्थियों को अपने बच्चे समझकर उनकी कठिनाइयों को सुनें और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करें कि ये वाइस चान्सलर को यहां से हटाना चाहिये। जब तक ये वाइस चान्सलर इस विश्वविद्यालय में रहेंगे, तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। पी०ए०सी० के जरिए कदापि शांति स्थापित नहीं रख सकेंगे।

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले कि अपने विचार प्रकट करूं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री नहीं हैं बल्कि वे वाराणसी के नागरिक भी हैं। उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मामले में, इस असन्तोष के मामले में भी थोड़ा बीच-बचाव करने के लिये प्रयत्न किया था। जिस दिन हमने यह कामरोको प्रस्ताव आपके सामने रखा और चर्चा हुई उन्होंने आज दिन के लिये चर्चा के लिये कहा। अच्छा होता आज वह सदन में उपस्थित रहकर हमारे विचारों को और अपनी भावनाओं को सदन के समक्ष रखते। यह मेरा आग्रहमात्र है।

अब मैं मूल समस्या की ओर आना चाहता हूं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ढाई महीने की बन्दी के बाद 29 नवम्बर को खुला। हमको यह विचार करना होगा कि हमारे जो उपकुलपति श्रीमाली है वह जब से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आये हैं यह तीसरी बार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बन्द हुआ है। यदि देखा जाय तो हर 6 महीने में एक बार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को बन्द करने की उनकी घोषणा होती रहती है। ढाई महीने के लिये 23 दिसम्बर से पुनः बन्द हुआ और वर्तमान समय में जब विश्वविद्यालय खुला है देखने में चाहे विश्वविद्यालय में शान्ति दिखाई देती हो कि विश्वविद्यालय सुचारुरूप से चल रहा है लेकिन वाराणसी के अन्दर रहने वाले नागरिकों को, वहां के रहनेवाले छात्रों और शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्धित लोगों को इस बात की पूरी जानकारी है कि उस विश्वविद्यालय में दिनों-दिन असन्तोष बढ़ता चला जा रहा है यह विश्वविद्यालय जब से खुला है जब से आज तक विश्वविद्यालय के अन्दर धारा 144

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगी हुई है और वाराणसी के अन्दर भी धारा 144 लगी हुई है। यह हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासन से सम्बन्धित विषय है कि प्रदेश में वाराणसी के अन्दर या विश्वविद्यालय के अन्दर धारा 144 लगी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के अन्दर पी०ए० सी० की टुकड़ी भारी संख्या में विश्वविद्यालय के खुलने से आज तक पड़ी हुई है। वहां पर पुलिस के डंडे के बल पर शान्ति स्थापना करना चाहते हैं। यह कहना होगा कि यह शान्ति श्मशान की शान्ति है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई ? दो पक्ष हैं। एक उपकुलपति का और दूसरा विश्वविद्यालय का।

माननीय उपकुलपति श्रीमाली एक बड़े भारी उंचे दर्जे के राजनीतिज्ञ हैं। उनका पूर्वजीवन सब लोग जानते हैं। सब को इस बात का पता है कि वह देश के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। प्रोपेगैंडे को किस नीति के आधार पर प्रचार देना चाहिये और किस प्रकार से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है यह उनके लिये बहुत आसान बात है। बायें हाथ का खेल है और इस नाते से कभी-कभी विद्यार्थियों का व्यावहारिक मामला नागरिकों के स्तर जैसा ही आया। अभी आया ही नहीं है, आरोप लगाकर विद्यार्थी समाज को, सारे छात्र समुदाय को दोषी ठहराने का प्रयत्न करते रहे लेकिन सत्य सत्य है। उपाध्यक्ष महोदय, सत्य झूठ नहीं हो सकता। माननीय उपकुलपति महोदय श्रीमाली जी ने जो विश्वविद्यालय अन्तिम बार जो अढ़ाई महीने तक बन्द रखा है, बन्दी का आदेश जारी किया उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देते हुए जितनी बार उन्होंने और वक्तव्य दिया, प्रेस कान्फ्रेंस की हर प्रेस कान्फ्रेंस और वक्तृता में उनके सारे बयानों में महान् अन्तर उपस्थित हुआ है कि मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलाऊंगा और इस प्रकार से जो चीजें वे पहली बार कहते थे वे दोबारा छोड़ दिया करते थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के पीछे यदि हम विचार करें तो कारण क्या है कि विश्वविद्यालय के अन्दर यह सब परिस्थितियां उत्पन्न हुईं। निर्दोष छात्रों को दोषी बनाकर उनका निष्कासन ही नहीं किया गया बल्कि पूरे छात्र आन्दोलन को गलत रूप से, निराधार रूप से, कल्पित रूप से और उनके ऊपर गलत आरोप लगाये गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों का पक्ष बिल्कुल सही और तर्क संगत है। उनकी मांगें उचित थीं और उन मांगों को उपकुलपति महोदय ने भी स्वीकार किया है। फिर उन मांगों को स्वीकार करने के पश्चात् माननीय उपाध्यक्ष जी कार्यान्वित न करना, यही बन्धन का कारण बना।

25 अगस्त को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्रीमाली जी ने छात्र एसोसिएशन की मांग को पूरे रूप से स्वीकार किया लेकिन उन मांगों में से आज तक कभी किसी मांग को कार्यान्वित नहीं किया। उसके बाद वे विदेश चले गये। श्रीमानजी जबवे विदेश से लौटे तो उनके जो सहयोगी थे उन लोगों ने उन स्वीकृत मांगों को कार्यान्वित नहीं किया था और न करने की स्थिति में थे क्योंकि वे विदेश से लौटे थे और छात्रों का दबाव उनके ऊपर था और दूसरी ओर उनके सहयोगियों का दबाव भी उनके ऊपर था। वे अन्तर्द्वन्द में फंस गये। कभी छात्रों के दबाव को देखकर उनके कार्यान्वित करने की बात सोचते थे और कभी सहयोगियों के दबाव को देखकर न करने की बात सोचते थे। इस पशोपेश में वे आ फंसे और उनको विश्वविद्यालय बन्द करने के अतिरिक्त और कोई बात सुझाई नहीं दी। यद्यपि यह रास्ता ठीक नहीं था। विश्वविद्यालय में जितना व्यय होता है प्रति छात्र उसमें पांच हजार रुपये व्यय हो रहे हैं। उस विश्वविद्यालय के अन्दर जहां तेरह हजार विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हों केवल इस कारण कि आपके द्वारा स्वीकृत मांगों को अपने सहयोगियों के विरोध के कारण कार्यान्वित न करा सकें और विश्वविद्यालय को बन्द कर और निरपराध छात्रों को निष्कासित कर छात्रों के ऊपर गलत रूप से आरोप लगायें कि उनकी मांगें इस प्रकार की थीं, उनकी कार्यवाहियां इस प्रकार की थीं वह निराधार और गलत होगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उन तथ्यों की ओर जाता हूं जिन तथ्यों को देखने से यह प्रकट होगा कि वहां की परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुईं और क्यों उत्पन्न हुई। उसके पीछे तथ्य क्या थे ? बन्दी के उपरान्त डा० श्रीमाली ने अनावश्यक बन्दी के लिये कुछ कारण बताये छात्रों के विश्वविद्यालय को बन्द कर देने के लिये उच्च स्तरीय, समिति भी गठित की। वह

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

समिति श्री देसाई जी की गठित की। श्रीमान् जी, आप ध्यान देंगे कि श्री देसाई जी उस समिति का कार्य करने के लिये भी राजी नहीं थे। क्योंकि जब वह काम कर रहे थे उनके ऊपर भारी दबाव डाला जा रहा था लेकिन उनकी सारी सीमाओं को समेट दिया गया।

विश्वविद्यालय क्यों बन्द हुआ, उसके कारण क्या हैं, छात्रों की मांगें क्या थीं और वे मांगें मान ली गयीं तो फिर उनका कार्यान्वयन क्यों नहीं हुआ, किन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय बन्द हुआ इन बातों की जहां जांच होनी चाहिये वहां केवल मात्र इस बात की जांच करायी गयी कि कौन से छात्र दोषी हैं और उनके ऊपर क्या कार्यवाही की जाय। छात्रों ने इस प्रकार की देसाई जांच समिति को अस्वीकार किया और एक पक्षीय जांच जो प्रस्तुत हुई उसके आधार पर उन्होंने 29 छात्रों को निष्कासित किया। माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो 29 छात्रों को निष्काषित किया इसक बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। ये वे छात्र हैं जो छात्र संघ से चुने हुए प्रतिनिधि थे। उनके जो अध्यक्ष थे उन्हें निकाला गया, उसके जो महामंत्री थे उन्हें निकाला गया। इतना ही नहीं श्रीमान जी, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब मैं कुछ बन्धुओं से चर्चा करता हूं तो वे और दूसरे विश्वविद्यालयों की लीडरशिप क समान ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की लीडरशिप को समझते हैं। मैं समझता हूं कि यहां वे गलती करते हैं। यहां देखना पड़ेगा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय संघ के जो नेता हैं वे किस स्तर के नेता है। जब हम यह देखेंगे तो पता चलेगा कि अच्छे नम्बर से प्रथम श्रेणी में पास करन वाल विद्यार्थी छात्र नेता हैं। लेकिन किसी भी छात्र को माननीय उप-कुलपति जी ने नहीं छोड़ा। मैं उदाहरण के लिये दो-तीन छात्रों का नाम देता हूं। श्री ओम-प्रकाश शर्मा, बी० ए० विज्ञान में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किये और स्वर्ण पदक प्राप्त करने के भी अधिकारी हुए। लेकिन उन 29 छात्रों में उन्हें भी निष्कासित किया गया। श्री महेश शर्मा जो एम० एस-सी० इन्जीनियरिंग क छात्र हैं, ने हाई स्कूल से लेकर बी०एस-सी० तक प्रत्येक परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाये। इस प्रकार वहां जितनी भी लीडरशिप रही उसमें अधि-कांश इस प्रकार के विद्यार्थी निर्वाचित हैं छात्र संघ के पदाधिकारी के रूप में, सदस्य के रूप में, जो वहां के सर्वोत्तम विद्यार्थी रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे उपकुलपति महोदय श्रीमाली जी इस बात को कहते हैं तो उनके पास कौन सा तर्क रहता है कि ऐसे उज्ज्वल शैक्षणिक जीवन व्यतीत करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय से निकाल दें तो विश्वविद्यालय में किस प्रकार के छात्र वे चाहते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। यह बात क्यों उत्पन्न हुई। श्रीमाली जी ने जो बयानात दिये उनमें कहां-कहां गलतियां सिद्ध कर दीं और जो आरोप छात्रों पर लगाये वे निराधार थे। श्रीमाली जी ने प्रथम प्रेस कांफ्रेंस में यह कहा कि बिश्वविद्यालय बंदी के दो कारण थे। एक कारण तो यह है कि विद्यार्थियों ने वहां पर हिंसात्मक कार्यों की रचना कर ली है और हमको एक विद्यार्थी ने आत्मदाह की सूचना दी है। विद्यार्थियों ने न केवल आत्मदाह की सूचना दी है बल्कि उन्होंने विश्वविद्यालय के एक विभाग की चाबी भी गायब कर दी है। यह उनका बयान है। माननीय उपाध्यक्ष जी वे इस बयान से मुकर गये।

एक बार उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में यह बयान दिया, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है और अगर माननीय मुख्यमंत्रीजी चाहेंगे तो उन सारे बयानों की प्रतिलिपियां उनके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, जब उनसे यह पूछा गया कि वह कौन सा छात्र है जिसने आत्मदाह की धमकी दी है। श्रीमान जी, उन्होंने उस छात्र का नाम बताया, लेकिन जिस छात्र का नाम जो उन्होंने प्रेस वालों को बताया, उसने समाचार-पत्रों में लिखित रूप से यह बयान दिया कि उसने इस प्रकार की कोई आत्मदाह की धमकी नहीं दी है और न ही उसने इस बात का निश्चय किया है। श्रीमान जी, उपकुलपति वहां से मुकर गये और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के एक विभाग की चाबी छात्रों ने गायब कर ली है। पिछली बार भी जब यह प्रश्न इस सदन में उठाया गया था तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी यही दलील दी थी। वह शायद यह समझते हैं कि जो सूचना उनके पास आती है, वह सही होगी। यह बात ठीक है कि विश्वविद्यालय के एक छोटे विभाग के किसी अंश की चाबी विद्यार्थियों के पास थी, लेकिन 11 सितम्बर की रात में वहां के छात्र नेताओं ने उस चाबी को लौटा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह तरीका होगा यह कहने के लिये कि वे हिंसात्मक आन्दोलन

करना चाहते थे ? क्या इससे यह मंशा नहीं प्रकट होती कि वे विश्वविद्यालय बन्दी के विरोधी थे और शान्तिपूर्ण प्रयासों के लिये प्रयास कर रहे थे। श्रीमान जी, यह 11 तरीख को उन्हें लौटाया गया है।

मैं एक दूसरी बात वहीं के टीचर्स एसोसियेशन द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसके विषय में कहना चाहता हूं। वहां के टीचर्स एसोसियेशन ने एक दिन पहले एक प्रस्ताव, जिसको माधो बाबू ने पढ़कर इस सदन में सुनाया है, सर्व सम्मति से पारित किया। अपने सर्वसम्मति संकल्प में टीचर्स एसोसियेशन ने कहा कि विश्वविद्यालय में जो प्रशासनिक दुर्व्यवस्था है और जो अराजक तत्वों को प्रशासन द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है, यह स्थिति विश्वविद्यालय के लिये बड़ी गम्भीर है। पूरे के पूरे अध्यापकवर्ग ने सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित करके यह साबित किया है, हमारे इस बात की पुष्टि की है कि विश्वविद्यालय के अन्दर यदि विश्वविद्यालय के छात्रों का असन्तोष इतनी सीमा तक न चला गया होता तो हिंसात्मक कार्यवाहियों की बात ही न होती और छात्रों का पक्ष यदि कमजोर होता तो यह टीचर्स एसोसियेशन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित न करती। लेकिन श्रीमानजी इन सब बातों में स्पष्ट है कि अप्रजातांत्रिक तरीके से इस बात को दबाने का प्रयास हुआ....

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में कहें। आप कितना समय लेंगे और भी माननीय सदस्य हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

थोड़ी देर। माननीय उपाध्यक्ष जी, सन् 1971 मे श्री श्रीमाली जी ने यह घोषणा की कि जिसमें कहा गया कि हिन्दू विश्वविद्याशय में पत्राचार्य के माध्यम से पढ़ाई होगी जिससे 50 हजार छात्र लाभान्वित होंगे। विद्यार्थियों में बड़ा ही उत्साह आया, छात्रों को लगा कि शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। समाचार पत्रों ने बड़े-बड़े हेडिंग में श्री श्रीमाली जी के इस विचारों को प्रकाशित किया, लेकिन आज तक उनकी यह घोषणा केवल प्रचार मात्र ही रही कार्यान्वित नहीं हुयी। अतः स्वाभाविक था कि विद्यार्थियों में असन्तोष बढ़ता। श्रीमान जी, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालय के अन्दर पत्रकारिता का डिप्लोमा दिया जायगा। कुछ विद्यार्थियों को इससे सन्तोष हुआ था कि जब वह अपन व्यावहारिक जीवन में जायेंग और यह डिप्लोमा ल कर निकलेंग तो वह अपन को कहीं लगा पायेंग। लकिन श्रीमान जी, आज तक वह पत्रकारिता की बात कागज पर ही रह गई, उसे कार्यान्वित नहीं किया गया और छात्रों में असन्तोष बढ़ा।

लोगों की व्यवस्था के बारे में उन्होंने घोषणा की कि छात्रावासों में स्थान न मिलने पर जो विद्यार्थी समीप के गांवों में रहते हैं और एक-एक कमरे में 10-10 और 12-12 और 15-15 छात्र रहते हैं, उनके लैट्रीन्स और बाथ की समस्या में वह कुछ सुधार करेंगे, पूरे विश्वविद्यालय के छात्रावासों को एक इकाई मान कर जिन छात्रावासों में जगह खाली है, वह सबको एक इकाई मान कर वह ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उन छात्रों को जगह मिल जाय लेकिन आज तक वह कार्यान्वित नहीं हुआ।

हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिये प्रोत्साहन देने की बात उन्होंने स्वीकार की थी लेकिन वह नहीं की। छात्रावासों के भोजनालयों में बड़ी दुर्व्यवस्था है। काशी विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भोजन की व्यवस्था ठेकेदार करता है। आप जानते हैं कि जो ठेकेदार ठेका लेता है वह सम्पूर्ण सत्र में एक अच्छी कमाई करन की नियत से भोजन खराब दता है, कम दता है। वहां के विद्यार्थी फेडरेशन न, वहां के छात्र संघ ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि विद्यार्थियों को भोजन ठीक समय पर और अच्छा मिलना चाहिय और इसक लिय वहां पर विश्वविद्यालय की

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

ओर से प्रबन्ध कर दिया जाय। माननीय उपकुलपति जी ने उसमें सुधार करने की मांग को स्वीकार कर लिया था लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। मान्यवर, मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि परीक्षा के दिनों में यह ठेकेदार अपने भोजनालय को बन्द कर देता है क्योंकि परीक्षा निश्चित समय पर नहीं होती,वह कभी सुबह,कभी शाम को और कभी दोपहर को अपना भोजनालय बन्द कर देता है कि उसकी रसद बच और उस घाटा न हो। परीक्षा काल में उन विद्यार्थियों को भोजन क लिय एक-एक और तीन-तीन मील तक जाना पड़ता है और समस्या का हल उप-कुलपति जी नहीं कर सक।

बंगला देश के बारे में वहां छात्र फेडरेशन ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें उन्होंने यह कहा कि हमार यहां छात्रों का जो काशन मनी जमा है उसमें से 5 रु० प्रति छात्र लकर बंगला देश की सहायता क लिये भेज दिया जाय। लकिन उपकुलपति जी ने बंगला देश क सम्बन्ध में पारित संकल्प और छात्रों के अनुरोध के बाबजूद भी वह कटौती नहीं की और न उक्त सहायता ही भेजी।

अब म एक दूसरी ओर आपका ध्यान मान्यवर दिलाऊंगा क्योंकि लम्बी बात हो जायगी और आप चाहते हैं कि मैं थोड़े में ही अपने विचारों को समाप्त करूं। इस नाते मैं अब केवल कुछ मदों की बात आपके सामने रख कर समाप्त करने जा रहा हूं। विश्वविद्यालय में दुर्व्यवस्था क और भी कारण हैं जिनको लेकर छात्रों में असन्तोष उत्पन्न हुआ है। अब यह देखें कि छात्रों के प्रवेश के लिये किस प्रकार से मनमाने ढंग से छात्रों को प्रवेश मिला है और किस प्रकार मनमाने ढंग से छात्रों को प्रवश नहीं दिया गया है। मैं एक ही उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। गत वष कलासंकाय हिन्दी, इतिहास आदि में कुछ प्रतिभाशाली छात्रों का प्रवेश नहीं हो सका और उसका कारण यह था कि उप कुलपति महोदय यह चाहते थे कि कुछ विद्यार्थियों का वहां पर प्रवश हो जाय। कक्षा में विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या 60 से बढ़ाकर 145 कर दी और फिर भी उन प्रतिभाशाली छात्रों का प्रवेश नहीं हो पाया। उसका कारण था मान्यवर, जिन लड़कों के अंक बहुत कम थे उनको लेने के लिये उप कुलपति ने एक रास्ता ढूंढा। एक दिन वह कुछ विभागों में पहुंच गये। जो छात्र वहां पर उपस्थित थे उन सभी स कह दिया कि इन सभी छात्रों का ऐडमीशन कर लिया जाय। छात्र संगठन ने इसका विरोध किया और कहा कि नियम के अन्तर्गत प्रवेश होना चाहिये। उसने कहा कि विश्वविद्यालय ने एक परम्परा निकाली है कि छात्रों का प्रवेश अंकों के आधार पर होता है। इस कारण पहले ही जो छात्र ऐडमीशन फार्म भर चुके हैं और जिनके अंक अधिक हैं उन छात्रों को सूचित किया जाना चाहिये और उनका पहल एडमीशन होना चाहिये। कम स कम आप उनको एक सप्ताह की तो नोटिस दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया छोटी-छोटी बातों को न बतायें बल्कि जिन कारणों से वहां पर अशान्ति की स्थिति पैदा हुई उसको बताय। विश्वविद्यालय में स्वायत्त शासन है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

मान्यवर, इन्हीं छोटी छोटी बातों के कारण ही असन्तोष पैदा हुआ और आज वह असन्तोष केवल विश्वविद्यालय तक ही सीमित न होकर काशी नगरी में व्याप्त हो गया है। असन्तोष क कारण हो वहां पर आन्दोलन पैदा हो गया। इसके बारे में दोषी वह है जो उचित मांगों को मानकर भी नहीं मानता, उसको कार्यान्वित नहीं करता और जिस क कारण असन्तोष म वृद्धि होती चली गई। इसी के कारण असन्तोष में बढ़ोत्तरी होती गई और उसको बल मिला। मान्यवर, असन्तोष का सृजनकर्ता कौन है? वह जो समस्याओं का समाधान नहीं करता है या उसको हल करने का कोई प्रयास ही नहीं करता है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इन समस्याओं की ओर गम्भीरता पूवक विचार किया जाय और जो असन्तोष को पनपाने वाला है उसको दोषी माना जाय। उचित और

न्यायोचित मांगों को मान कर भी उपकुलपति महोदय ने उसको कार्यान्वित करने की कोई भी चेष्टा नहीं की ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उप कुलपति पर तो कोई अभियोग नहीं लगा रहे हैं ? बल्कि वहां पर अशान्ति की जो स्थिति है उसकी वस्तुस्थिति पर आप प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

वहां की वस्तु स्थिति यह है कि छात्रों म असन्तोष पैदा हो गया और उसका मूल कारण जो है उसको म बता रहा था । वहां पर विश्वविद्यालय म धारा 144 लगाई गई है और काशी नगरी में भी यह लगा दी गई है । पी०ए०सी० की टुकड़ियां वहां पर तैनात कर दी गई हैं । मुख्य मंत्री जी ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि छात्रों तथा उप कुलपति से वह बातें करेंगे । छात्र नेता आकर उनसे मिले और उनसे अनुरोध भी किया कि इसको निपटाया जाय । उन्होंने कहा भी कि जो आप फैसला करेंगे वह उनको मान्य होगा । पता नहीं मुख्य मंत्री जी को उप कुलपति महोदय की तरफ स क्या सूचना मिली । यह बसा ही पड़ा है । यह मामला कवल काशी विश्वविद्यालय से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि यह काशी नगरी और सारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है । क्योंकि वर्तमान उपकुलपति महोदय के कार्यकाल में बराबर विश्वविद्यालय बन्द होता रहा है और पी० ए० सी० की टुकड़ियों पर आज भी विश्वविद्यालय खड़ा है । इस नाते हमारे मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय सरकार के ऊपर यह दबाव डालें कि विश्वविद्यालय की तमाम बातों पर जांच के लिये कोई एक आयोग केन्द्रीय सरकार बैठाये, राष्ट्रपति जी बठायें और वह जांच करे कि विश्वविद्यालय के अन्दर जो असन्तोष और अशान्ति की स्थिति है वह क्यों उत्पन्न हुई और उसका हल क्या है । लाजिमी होगा यदि किसी उपकुलपति के कारण किसी विश्वद्यालय के चलने में कठिनाई हो रही हो तो उनको भी बदला जाय । यदि आप उचित समझें कि वहां के वातावरण में उपकुलपति जी को बदलने से और ऐसे व्यक्ति को ला देने से जिसके मन का मेल विश्वविद्यालय से बैठता हो और जो उसकी पीड़ा को समझता हो, सुधार हो सकता है और समस्या का समाधान हो सकता है तो उनको वहां से हटाना उचित होगा । इसके लिये भी मुख्य मंत्री जी को केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिये । इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वहां शान्तिपूर्वक शिक्षण कार्य चल सके और व्यवस्था रह सक और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की और शिक्षण संस्थाओं पर न पड़े, मैं मुख्य मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि वह केन्द्रीय सरकार से एक जांच आयोग की स्थापना के लिये और वतमान उपकुलपति जी को हटाने से यदि सुधार हो सकता है तो उसकी भी मांग करें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें छात्रों की ओर स कोई भी ऐसी बात नहीं है कि गलती हुई हो । कवल एक पक्षीय बातों को लकर प्रशासन कोई निर्णय लेता है तो वह न केवल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय क ऊपर बल्कि पूर छात्र समुदाय के ऊपर गलत आरोपों का सृजन करता है और इस प्रकार की कार्यवाही बिल्कुल निन्दनीय है और होगी ।

*श्री लालबहादुर सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो सौभाग्य है कि वाराणसी की तीनों यूनीवर्सिटीज मेरी कांस्टीटुएन्सी में हैं और वाराणसी हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिये तो जब मैं घर से निकलता हूं तो दक्षिण वाल छोर से हलता हूं और उत्तर वाल छोर स निकलता हूं और घर लौटता हूं तो उत्तर वाले छोर से हलता हूं और दक्षिण वाले से निकलता हूं । लेकिन कभी-कभी दुर्भाग्य हो जाता है जब यूनीवर्सिटीज में इस तरह की धींगामश्ती होन लगती है । आपस क्या कहूं ? यह आज का मसला नहीं है । बड़ा पुराना मसला है । जब माननीय गोविन्द मालवीय जी वहां के वाइस चांसलर हुए स्वतंत्रता के बाद, तो एक क्लिक टीचर्स और प्रोफसर्स का वहां था जो चाहता था कि वह वाइस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लालबहादुर सिंह]

चांसलर न हों बस वहीं से झगड़ का शुरूआत हुई। श्रीमन्, इन विश्वविद्यालयों का हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में बड़ा भारी हाथ रहा। चाहे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय हो और चाहे काशी विद्यापीठ हो। मान्यवर, आचार्य नरेन्द्र देव जी जसे आदमी वहां रह। आप तो वहां जात भी थ। उनक खिलाफ भी लोगों न लड़कों को उभाड़ना शुरू कर दिया और अन्त म यह नतीजा निकला कि जब बी० एन० झा साहब वाइस चांसलर होकर गए तो सबस बड़ा विस्फोट हुआ। हमारे मुख्य मंत्री जी उस समय यहां क गृह मंत्री थ। उन पर लांछन लगाया जाता था कि लड़कों को पिटवाते नहीं हैं। उन्होंन पुलिस को भेजने से इंकार कर दिया था कि यह लोग आपस में तय कर लें। बी० एन० झा से भी बात की, लड़कों को बठा कर भी बात की, लकिन मामला नहीं सुलझा। अन्त में हालत यहां तक हो गई कि कुछ लड़कों और कुछ बाहरी आदमियों ने यूनिवर्सिटी गेट का ताला बन्द करके ताली अपने हाथ में ले लिये थे।

समझ में नहीं आया कि क्या हो। वी० सी० का जो मकान था उसे दफ्तर किया गया। पटांजलि शास्त्री हमार देश के एजूकशनिस्ट लोगों में से एक थ। न एक्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बरों की और न किसी और की समझ में यह आया कि आखिर लड़कों ने यूनिवर्सिटी पर कब्जा क्यों कर लिया है। अन्त में वे एक दिन आये और कहा कि वहां मीटिंग होगी लड़कों ने रोका। उसके बाद यह हुआ कि मुख्य मंत्री जी बयान देंग। यह कहा गया कि पुलिस नहीं भजेंग। फिर बड़ा प्रशर पड़ा और पुलिस वहां गई। तत्पश्चात् जो कांड हुआ वह तो विदित ही है, वह आप भी जानते हैं। इस तरह से मामला शुरू हुआ। बी० एन० झा चले गये। फिर रोज हड़ताल, मारपीट इत्यादि। हमारे यहां तो बड़ी बुरी दशा हो जाती है। फाटक बन्द रहता है। क ी-कभी वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ता है और हमें 5 मील घूम कर जाना पड़ता है। चूंकि कोई सवारी नहीं मिलती है इसलिये पैदल ही जाना पड़ता है। इस दुर्दशा के लिय हम किसको दोष दें-लड़कों को, वी०सी० को या प्रोफेसरों को? जब हम लड़कों से कहत हैं तो वे कहत हैं कि हम क्या करें, वी० सी० नहीं मानते हैं और जब वी०सी० से कहते हैं तो वे कहते हैं कि लड़के नहीं मानते हैं। ऐसी समस्या है कि किसको दोष दिया जाय। वे कहते हैं कि लड़कों को खाना नहीं मिलता है। बाज-बाज दिन तो ऐसी हालत हो जाती है कि 3 घंटे के अन्दर लड़कों को निकाला गया। उन्हें सवारी नहीं मिलती है, बसें नहीं मिलती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रूप में भी कभी आप गये? इस समय यूनिवर्सिटी में 3 पार्टियां हैं—एक प्रोफसरों की, दूसरी लड़कों की और तीसरी सरकारी अधिकारियों की। सरकारी अधिकारी कहत हैं कि पता नहीं वी०सी० कब उन्हें टलीफोन कर दें। पी० ए० सी० का कम्प तो यूनिवर्सिटी कैम्पस में परमानट हो गया है। पता नहीं किस समय झगड़ा हो जाये, किसी की समझ में नहीं आता है।

यही नहीं, लड़कों में भी पार्टियां हैं। जैसे मान लीजिये, नाम तो नहीं लेंगे, एक पार्टी ने सोचा कि हड़ताल कर दी जाये और हड़ताल कर दी तो दूसरी पार्टी कहती है कि हम भी क्यों न हड़ताल कर द। वहां पर आर० एस० एस० का एक छोटा सा घर था और उसमें डंड, लकड़ी सब रख गय थ। शाम को परेड करत थे।

एक सदस्य—

मालवीय जी ने दिये होंगे डंडे।

श्री लालबहादुर सिंह—

वहां पर सोशलिस्ट्स थे, कम्युनिस्ट्स थे। कहा परेड कैसे होगी? अब वहां पर झगड़ा शुरू हो गया। मेरी कांस्टीटुयंसी है, मैं झगड़ म नहीं पड़ता हूं। निकलन का हुक्म हुआ। सारे देश क आर०एस०एस० क लड़क इकट्ठ हो गय और कहा कि वह मकान नहीं

गिरेगा। अब हालत यह है कि सोशलिस्ट्स, कम्युनिस्ट्स और आर०एस० एस० का झगड़ा रहता है । खाली यही समस्या नहीं है कि किसी वी० सी० को हटा दिया जाय । झा चल गय और उसक बाद भगवती साहब आय । भगवती साहब सुप्रीम कोट क जस्टिस थे । ब आय, झगड़ा हुआ । उस समय श्रीमती सुचता कृपालानी मुख्य मंत्री थीं । हम लोग भी यहीं बैठ थे । इधर क बहुत से लोग उस समय मम्बर नहीं होंगे । स्वर्गीय ठाकुर हुकुम सिंह जी को जांच के लिय भजा गया । व सरकिट हाउस म ठहरे थे । गवनमेंट अधिकारी भी वहां आय । पढ़-लिख लोगों में इतना टेंशन था जैसा कि हमन कभी नहीं देखा । हमन तो जिन्दगी भर यही किया कि अगर कोई नाराज हो गया तो चुप हो गय, ताकि समय बच जाय । उसक बाद पंडित जी गय । उन्होंन लड़कों से अलग-अलग बात की और वी०सी० स भी बात की, लेकिन किसी भी तरह से मसला सुलझा नहीं । उसक बाद जोशी जी आये । व बड़े ही योग्य व्यक्ति माने जात हैं, परन्तु उनको आर०एस० एस० का सगथक कहा जाता है । झा साहब को कांग्रस का समथक कहा जाता था । किसी न किसी को किसी पार्टी से सम्बद्ध किया जाता रहा है । हर एक पर ही कुछ न कुछ चार्ज लगया जाता रहा है । अब जब झगड़ा होता है तो ला ऐंड आडर को मेंटेन करने के लिये अथारिटीज को पी०ए०सी० को बुलाना पड़ता है । कभी-कभी तो एसा मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर तो लड़कों का राज्य है और बाहर पी० ए० सी० का राज्य है, यह दृश्य उपस्थित हो जाता है । अब इसके लिये यदि हम किसी पक्ष को दोष दें तो मेरी समझ से समस्या का समाधान नहीं होगा । (व्यवधान) मामूली सी बात को लकर वहां झगड़ा हो जाता है । एक प्रोफार्मा बनाया गया उसी को भरवाने के लिये लड़कों को मजबूर किया गया किसी लड़के ने रेसिस्ट किया उसे नहीं भरा, इसी पर झगड़ा हो गया । कहने का मतलब यह है कि आखिर हमें कोई ऐसा हल ढूंढना पड़गा इस सब समस्या क हल के लिय । आज की स्थिति में तो यह पता ही नहीं चलता कब और किस समय झगड़ा हो जाय । इम्तिहान तक समय स नहीं हो पाते । जनवरी और अक्टूबर में इम्तिहान होते हैं । आप सोचिय यह कब तक चलेगा । तो इसके हल के लिये मेरी एक राय यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी एक ऐसी कमेटी बनायें जिसमें प्रांतीय सरकार के भी लोग हों और केंद्रीय सरकार के भी लोग हों जो इन सारी समस्याओं पर विचार कर इनका कोई हल निकाले । एक राय मेरी यह भी है कि आप लड़कों और मास्टरों से अलग-अलग बुलाकर बात कीजिये और कोई हल निकालिये इसका । अगर आप खाली कानून बना कर इसे हल करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से हल नहीं कर पायेंग, उससे रीसेन्टमेंट और बढ़गा ।

एक बात और कहना चाहता हूं । मान लीजिये कुछ लड़कों ने बदमाशी की है । मगर उनके ऊपर मुकदमें नहीं चलन चाहिये । उनको एक बार फिर मौका देना चाहिये और उनसे कहना चाहिये कि तुम्हारा नाम नोट हो गया है, तुमको एक बार हम मौका दे रहे हैं, अगर आइंदा तुमन फिर एसी हरकत की तो तुम्हारा रेस्टीकशन भारत की सारी यूनिवर्सीटीज से कर दिया जायगा । यह कह कर उनको एक बार मौका दिया जाय । आखिर टक्सपयर का लाखों रुपया उस पर खर्च होता है । यूनिवर्सिटी के नाम पर हम लोगों की न जाने कितनी जमीन ली गयी है । इसलिये बैठकर शांति से इसे सुलझाइय वरना इसे बन्द कर दीजिये और हमारी जमीनें वापस कर दीजिय । इसे जल्द सुलझाइय । क्योंकि अब समय बहुत कम है । य परीक्षायें जनवरी-फरवरी में शुरू हो जाती हैं और मई तक खत्म हो जाती हैं, किन्तु वहां ये परीक्षाय अक्टूबर-नवम्बर में होती हैं । होता यह है कि एक तरफ खुली है यूनिवर्सिटी और दूसरी तरफ बन्द है । मैं इस राय का हूं कि वास्तविकता से परे कोई चीज दुनियां में होती नहीं है । म विश्वास करता हूं कि कोई चीज दुनियां म एसी नहीं है जिसको हल न किया जा सके । तो इस समस्या को हल किया जाय और उत्तजना का जो वातावरण है, वह समाप्त होना चाहिये ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझ को काशी विश्वविद्यालय का जो विवाद है उसका ब्योरा अधिक नहीं मालूम है, सिवाय इसके जो कभी-कभी अखबारों में पढ़ता रहा । आज सवेरे दो छात्र, जो वहां की छात्र परिषद् के सदस्य थे और जो पदाधिकारी मालूम देते थे मुझ से मिले थे और उन्होंने मुझको कुछ बातें बतलाई थीं । उपाध्यक्ष महोदय, यों तो सारे देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में छात्र लोग जो कर रहे हैं वह न उनके हित की बात है और न देश के हित की बात है । काशी विश्वविद्यालय का यह हाल है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हाल भी ऐसा ही है, मुझ मालूम नहीं वह अभी खुली है या नहीं । मुरादाबाद, कानपुर और गाजियाबाद में भी विद्यालयों में छात्रों का यही हाल है । कल्याणी, जोधपुर और बंगलौर में भी यही हालात हैं । आज हमारे छात्र और शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है । किसी देश की तमाम दूसरी खराबियां जो वहां व्याप्त हों सुधार सकती हैं, लेकिन जिस देश की शिक्षा बिगड़ जाये और नवयुवक अच्छी प्रकार से शिक्षित न हो सकें तो वह देश बड़ा बदकिस्मत देश है । हमारे देश की हजारों समस्यायें आसानी से हल हो जाएंगी, लेकिन जो शिक्षा का स्तर बिगड़ता चला जा रहा है, यह बहुत चिन्ता का विषय है, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए । मने उन लड़कों से भी कहा कि मैंने जो कुछ सुना है, उसके अनुसार आप लोगो की गलती मालूम पड़ती है । टीचिंग स्टाफ के लोगों को पीटा गया है और वे इस्तीफा देने पर मजबूर हुए हैं । उन्होंने कहा हमारे भी कुछ अधिकार हैं । इस पर मैंने कहा हां, है, लेकिन कुछ ही हैं । मैंने कहा बतलाओ आन्दोलन कैसे शुरू हुआ ? उन्होंने कहा 13 हजार छात्र पिछली बार भरती हुये थे, इस बार उतने भी नहीं हुए, तो हम इस बात का हक रखते हैं कि ऐसी हालत में हम उस प्रशासन से कहें कि इतने कम लड़के क्यों भर्ती किये गये । मैंने उनसे कहा यह तुम्हारा नहीं है, उनकी कोई मजबूरी होगी स्टाफ की या इक्विपमेंट वगैरह की । मैंने उनसे कहा यह देखना तुम्हारा कतई हक नहीं है कि भर्ती कितनी हो, यह देख सकते हो कि जो दाखिले हुए हैं उनकी पढ़ाई अच्छी है या नहीं, उनके खाने-पीने का क्या और कैसा प्रबन्ध है, उनके ठहरने और शौचालय आदि की क्या व्यवस्था है, इसमें तुम बेशक कह सकते हो । प्रशासन मान ले तो अच्छा है, न माने तो मैनेजमेंट से कहो, लेकिन तुम्हारी जो उचित बात है उसे न माने, तो भी स्ट्राइक करने या असभ्यता से पेश आने का तुम्हें हक नहीं है । वे अपना दृष्टिकोण रखते रहे ।

बराबर एक नौजवान के मुंह से यह निकलता रहा कि डाक्टर श्रीमाली जब यूरोपियन देशों के टूर पर गये थे तो उससे पहले वह कुछ बातें मान गये थे । बाद में जो अधिकारी वर्ग था, उन्होंने उस बात को नहीं माना और अपने स्वार्थों के वजह से नहीं माना । मैंने कहा कि तुम एक विद्यार्थी होते हुए अपने अध्यापकों का स्वार्थ है यह कह रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हक है कहने का । मालूम होता है कि तुम्हारा भी कुछ स्वार्थ है । उन्होंने कहा कि किस तरह से झगड़ा हो गया, उन्होंने माना कि बेशक अध्यापक-गण मैन हैंडिल हुए यानी पीटे गये । मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह कहना चाहता हूं मेरा अपना दृष्टिकोण है, मैंने उन लड़कों को भी समझाया कि मालूम होता है तुम किसी पोलिटिकल पार्टी के सदस्य हो । बाहर पोलिटिकल पार्टीज हैं, सब स्टूडेंट्स के जरिये चाहती हैं कि उनकी आयडियालोजी का प्रचार हो । वह ठीक है । लेकिन फिर भी उनको जीवन के संघर्ष के लिये तैयारी करनी है । विवाद करो, बहस करो, पार्टी के मेम्बर होकर भी अध्ययन करो । दूसरे पार्टी वालों से बहस करो । लेकिन विद्यार्थी अगर यह समझता है कि उसको हक है कि मुल्क के अन्दर सोशल चेंज लायें तो यह काम तुम्हारा नहीं है । आगे बड़े हो कर इस बात को करना उसमें हम सब गिल्टी हैं, सारी पोलिटिकल पार्टीज । मैंने कहा कि जाओ त्रिपाठी जी के पास । मुझे मालूम हो गया कि जनसंघ का यूनिट है । उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी मामला उठाये हुये हैं । आप उसमें हमारा दृष्टिकोण भी रखने की कृपा करें । मैंने कहा कि मुझे मौका मिला तो जरूर अज करूंगा । मैंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलो, तुम्हारे शहर के भी हैं, वह जानते ही होंगे । उन्होंने कहा कि वह कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद कुछ मजबूरी

है । मैं माननीय त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि कुछ मजबूरी होगी, क्योंकि सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड वह यूनिवर्सिटी है । यह जरूरी नहीं है कि आपका दृष्टिकोण और उनका दृष्टिकोण और हो । मुझ मालूम हुआ कि यही चीज रास्ते में बाधक आ रही है । लेकिन त्रिपाठी जी को एक सहूलियत ह । इत्तिफाक से सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश की गवर्नमेंट एक ही पार्टी की है । तो मैं आपके जरिय उनसे आग्रह करूंगा कि लड़कों की गलती है, इसमें मेरी अपनी राय में जरा भी लरजिश नहीं है, मैंने उनसे कह दिया कि तुम को हक नहीं था कि तुम वायलेंस करो । अगर नहीं संतुष्ट हो तो अगले साल छोड़ दो । लेकिन तुम मजबूर नहीं कर सकत । प्रतिवदन करो । लेकिन यह नहीं कर सकते । तो उनकी गलती मेरी राय म थी । किसी भी सूरत में वायलेंस करन का अधिकार नहीं है बच्चों को । कुछ लड़कों ने वायलेंस किया होगा लेकिन अब सबकी जिन्दगी क्यों खराब हो । जिन पर जिम्मेदारी है सत्ता की उनका फर्ज है कि इस मामले को सुलझान की कोशिश करें । ठीक है, शिक्षा मंत्री जी इसमें कुछ दिलचस्पी ल रहे होंगे । लेकिन ऐसी बात हो गयी है जिसमें माननीय मंत्री मुख्य मंत्री जी जब तक स्वयं हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मामला हल नहीं होगा । काशी विश्वविद्यालय सारे हिन्दुस्तान में अपना स्थान रखता है । सेंट्रल गवनमेंट अंग्रेजों क जमान स उसका संचालन कर रही है लेकिन हमारी स्टेट की जिम्मेदारी है । इसलिये कि हमारे यहां मौजूद है । फिर महामना मदन मोहन मालवीय जी का नाम भी उससे जुड़ा हुआ है । मैं फिर त्रिपाठी जी से दरख्वास्त करूंगा कि उसमें विशेष दिलचस्पी लें वरना हजारों लड़कों की जिन्दगी खराब हो रही है ।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से मेरा बनारस शहर में रहने के कारण पुराना संबंध है । मालवीय जी जिन कठिनाइयों से चारों तरफ सारे भारतवर्ष में भीख मांग-मांग कर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय खड़ा किये थे, आज हमारे मुल्क ने कहां उसको पहुंचा दिया है । मेरे भाई लाल बहादुर जी ने ठीक कहा कि उनका घर विश्वविद्यालय के बगल में है । पिछल 10,11 सालों में उन्होंने कितनी मारपीट देखी है । इसमें मैं समझता हूं कि बहुतों का हाथ है और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी केंद्रीय सरकार की भी है जो आज विश्वविद्यालय इस स्थिति को पहुंच गया है और इससे वह मुंह नहीं मोड़ सकती ।

अब यह जो एडजर्नमेंट मोशन आया है उसके सिलसिले में मैं यह खबर बतलाना चाहता हूं बनारस के बुद्धिजीवी वर्ग और प्रबुद्ध जनता में से काशी विश्वविद्यालय की एक रक्षा समिति बनाई गई जिसमें सब किस्म के लोग थे । उस समय देसाई समिति की नियुक्ति भी नहीं हुई थी 10,15 दिन के अन्दर इस रक्षा समिति की जब तीन-चार सभायें हुयीं तो उसकी बैठक भी हुई और एक डेपुटेशन बनाया गया जिसमें पं० सीताराम चतुर्वेदी, एक्स मेयर श्याम मनोहर अग्रवाल और कई अन्य बुद्धिजीवी थे और उस डेपुटेशन में मुझे भी चुना गया । बड़ी मुश्किल से श्रीमाली जी से टाइम मुकर्रर किया गया । पहले 11 बजे का वक्त दिया था लेकिन उन्होंने टेलीफोन पर कहा कि वह 10 बजे मिल सकेंगे । हम लोग 10 बजे पहुंच गये और 1 बजे तक उनसे बातचीत हुई । कोई शिक्षाविद् के ढंग से नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिज्ञ के नाते उन्होंन बातचीत की मानो कोई घाघ पोलिटीशन हैं । हमने उनसे कहा कि शहर के नागरिक होने के नाते हम आपसे सहयोग करना चाहते हैं और जिन 49 विद्यार्थियों ने गड़बड़ी की है उनके नाम बतलाइये । हम उनके गार्जियन्स से मिलेंगे, शहर में मीटिंग करेंगे और घर-घर जायेंगे । 10 दिन का हमको समय दिया जाय । उनसे मिलकर उन्हें लेकर आपके पास आयेंगे । वह राजी हो गये और कहा कि कल तैयार करके लिस्ट सीताराम चतुर्वेदी जी का पता वह जानते हैं उनके घर भिजवा देंगे । काफी देर तक उनसे बातचीत होती रही । लेकिन महीनों गुजर गये उनके पास से कोई लिस्ट नहीं आई जबकि हम तो उनसे कोआपरेट करने गये थे । उन्होंने चाय का भी बन्दोबस्त किया था और चलते वक्त मैंने उनसे पूछा

[श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी]

कि कुछ दिन पहले डा० त्रिगुण सेन यहां वाइस चांसलर हो कर आये थे उन्होंने कैसा काम किया था । इससे पहले बहुत गोली चली, ईंट-पत्थर चले और उस परिस्थिति म भारतवर्ष का कोई शिक्षाविद् काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर होने को तैयार नहीं था और भारत सरकार न तब त्रिगुण सेन को यहां भेजा था । उन्होंने उत्तर दिया कि डा० त्रिगुण सेन ने ही तो यह सब चौपट किया है । उन्होंने स्टूडेंट्स रिपब्लिक बनाई जिससे बड़ी गड़बड़ पैदा हुई । दो-ढाई घंटे की बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बतलाया कि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी से उनकी फोन पर यह बातचीत हुई है और वह उनके खास आदमी हैं इस ओर उन्होंने इशारा किया जैसे वह हट कर जा नहीं सकते । तो मुझे मालूम हुआ कि यह एक अजीब पोलिटिशियन हैं । यह उनके रंग ढंग देखे कि ऐसे व्यक्ति हैं । एक बात यह है कि कुछ दिन हुए हमने अखबार में पढा है कि वहां की लोकल पुलिस और पी०ए०सी० ने विद्यार्थियों को पकड़ करके और उनको अपने कब्जे में लेने के बाद बजाय इसके कि उनको जेल में भेजते, उनको खूब पीटा गया । यह एक अजीब बात है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में रहता है । उसको हथकड़ी पहना करके उसकी पिटाई हो । यह सब मुझे ज्ञात हुआ है । चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं । इसलिये मुझे इस वाकया की जानकारी है । मैं बनारस में जहां कहीं भी रहता हूं मुझे वहां की सारी बातों का पता चल जाता है । आज विश्वविद्यालय पर एक अजीब सा हाल है । मैं समझता हूं कि हमारे जो वहां के वाइस चांसलर है, ही इज टेकिंग ये क्यू फ्राम याहिया खां । उन्हीं की तरह से वे वहां पर व्यवहार कर रहे हैं । उन्होंने अच्छे लड़कों को भी ब्रिलियन्ट छात्रों को भी निकाल दिया है और यहां तक कि फर्स्ट डिवीजनर्स विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी वहां से निकाल दिया है जोकि विश्वविद्यालय में एक अच्छा एसेट है जो स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं । इस प्रकार श्रीमाली ने इन्टेलेक्चुअल्स को भी लिक्विडेट कर दिया है । जिस यूनिवर्सिटी को बनाने में मालवीय जी और अन्य लोगों को इतनी कोशिश करनी पड़ी हैं । कहां-कहां से क्या-क्या उन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिये किया है, उसके आज यह हाल हो रहे हैं ।

मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि वहां से त्रिगुण सेन कैसे हटाये गये । मैं आपको सन् 1967 के इलेक्शन के जमाने की बात बताता हूं । बलरामपुर कांस्टीटुयेंसी में श्री अटल बिहारी बाजपेयी, जो कि इस समय जनसंघ के प्रेसीडेंट हैं, को 1962 में कम वोट मिला था। सुभद्रा जोशी ने 1962 में उन्हें हरा दिया था । (व्यवधान) आप लोग सुनिये यह एक दिलचस्प कहानी है। मैं गोंडा जिले में उनकी कांस्टीटुयेंसी में 1967 में गया और उस गांव पर गया जहां 1962 में उन्हें बहुत काम वोट मिले थे मैंने देखा कि चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं मकान पर कांग्रेस का झंडा भी लगा हुआ है । सभी कुछ चीजें हैं एक आलीशान बंगला है । प्रताप जी ने मुझसे कहा कि इस पोलिंग में बहुत कम वोट मिला है । घर के मालिक ठाकुर साहब ने अच्छा स्वागत किया। उस समय प्रताप नारायण तिवारी जो कि सन् 1967 में यहां जनसंघ पार्टी के चीफ ह्विप थे मेरे साथ थे उन्होंने परिचय में कहा कि ये दादा हैं काकोरी केस के । मैंने ठाकुर साहब से कहा कि हम आपकी कनवैसिंग करने आये हैं और मैंने कहा कि 1967 में इस बार आपके यहां से अटलजी को आधा से ऊपर वोट मिलना चाहिये। ठाकुर साहब ने उत्तर दिया "क्यों प्रताप जी हम जनम से कांग्रेसी हन क्या आज जनसंघी हो जाब" । तब मैंने कहा "यहां वक्त बरबाद करने से कोई फायदा नहीं। चलिये प्रतापजी हम यहां से चले" और उठ खड़े हुये । जैसे ही खड़े हो गये तो उन्होंने कहा कि बिना चाय पीकर आप नहीं जा सकते । मेरे घर पर पहली बार आये हैं चाय पीने के समय मैंने उनसे बातें की । बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा कि हमको कोई ऐतराज नहीं है कोई प्रेसीडेंट मुसलमान हो किन्तु शिक्षा मंत्री मुसलमान हो यह हरएक को पसन्द नहीं उन्हें भी नहीं मैंने उन्हें बताया कि आजादी पाने के बाद 1947 से अब तक हमारे शिक्षा मंत्री सब मुसलमान ही हुये हैं ।

पहले मौलाना आजाद फिर डाक्टर हुमाऊं, कबीर, छागला साहब और 1967 तक आज का भारत का शिक्षा मंत्री मुसलमान होता चला आ रहा है इसके खिलाफ जिले-जिले में प्रचार तथा आन्दोलन करना चाहिये । उन्होंने कहा कि यू०पी० के हर जिले में और बिहार के हर जिले में हम जायेंगे और रुपया मेरा लगेगा और यह प्रस्ताव हर मीटिंग म पास करेंगे । उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान मुसलमान शिक्षा मंत्री को और आगे बरदाश्त नहीं करेगा । जब चलने लगे तो चलते वक्त उनके पास एक रिवाल्वर लगी हुई थी, मैंने कहा कि इसको भी दे देंगे ।

उन्होंने जानना चाहा कि रिवाल्वर से मैं क्या करूंगा । तब मैंने समझाया कि किसी नौजवान को ट्रेनिंग देकर भेज दूंगा शिक्षा मंत्री को ठिकाने लगाने के लिये । जब इस काम के लिये रिवाल्वर देने को कहा तो बोले कि यह नहीं दूंगा, दूसरा दूंगा । ये वह ठाकुर साहब थे जो जन्म से कांग्रेसी थे और वह अटल जी को वोट देने के लिये तैयार हो गये । मैंने प्रेसीडेंट राधाकृष्णन की सीक्रेट एवम् कन्फीडेनशियल करके चिट्ठी लिखी कि यहां वायलेंस इज इन दी एयर--खून हो सकता । इंडिया-पाकिस्तान के बनने के बाद यहां मुस्लिम शिक्षा मंत्री कोई अब बरदाश्त नहीं करेगा । उसका जवाब राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने लिखा कि "वी आर कंसीडरिंग योर लेटर।" "साप्ताहिक पांचजन्य" में इसकी समरी (सारांश) छपी और जब सब बातें हो गयीं ओपेन करके तो हमने प्रेसीडेंट राधाकृष्णन को यह लिखकर भेज दिया कि "वायलेंस इज इन दी एयर" मुस्लिम शिक्षा मंत्री गोली से मारा जा सकता है और जन्म से कांग्रेसी ठाकुर अपना रिवाल्वर देने के लिये तैयार हो गया है । तो उनका जवाब भी आया और आकस्मात् एक इंजीनियरों की कानफरेंस में गये हुए डा० त्रिगुण सेन को राष्ट्रपति ने शिक्षा मंत्री बना दिया और 20-22 दिन बाद हमने उनको शिक्षा मंत्री देखा । तो त्रिगुण सेन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से चले गये । इन डा० त्रिगुण सेन का जिक्र जब मैंने किया तो श्रीमाली ने कहा कि वह रिपब्लिक बना गये थे स्टूडेंट्स की और वहीं विद्यार्थी आन्दोलन की जड़-बुनियाद कर गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि ये वह त्रिगुण सेन थे जिन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय में क्रांतिकारियों का जो रिवाल्वर-पिस्तौल का गढ़ था वहां पुलिस को कभी घुसने नहीं दिया । उसने कहा कि कुछ नहीं कर सकती पुलिस और आज वाईस चांसलर श्रीमाली पुलिस प०ए०सी० से पिटवाते हैं और उसमें भी खुश नहीं ह । कहते हैं कि पी० ए० सी० हमारे आर्डर फालो नहीं करती, सेंट्रल रिजर्व पुलिस भेज दो, क्योंकि यू० पी० पुलिस उनके कत्ल करने, गोली मारने, इंटेलेक्चुअल्स को लिक्वीडेट करने के लिये तैयार नहीं होती । यह हालत हो गयी है ।

तो हिन्दू यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है उसके लिये हमारी भारत सरकार की एजूकेशन पालिसी भी सबसे बड़ी जिम्मेदार है । अब मैं पंडित कमलापति जी, मुख्य मंत्री जी से कहूंगा, वह बनारस के रहने वाले हैं आपके सामने लालबहादुर जी ने कहा, माधव बाबू ने कहा, चौ० चरण सिंह भी कह चुके हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीच में पड़ें सीरियसली और बेटी इंदिरा को राजी करें कि बी० एच० यू० के मसले को तय किया जाय । किस लिये तय करें ? इसलिये कि जिस हालत को अब पहुंच गयी है, उसके आगे बरदाश्त नहीं किया जा सकता । बहुत हो चुका है बहुत कुछ हो चुका है । मुझे आशा है कि हमारे मुख्य मंत्री जी इसका जल्दी कुछ फैसला निकालेंगे और भारत सरकार को राजी कराकर इस परिस्थिति को सुधारेंगे ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 25 अगस्त से इस समय तक काशी विश्वविद्यालय का जो घटनाक्रम है अगर उस पर निष्पक्षता से विचार किया जाय तो कोई भी इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि जहांतक विद्यार्थियों का संबंध है, उनके आन्दोलन का संबंध है वह सार रूप में जनतंत्रीय भी रहा और अहिंसात्मक भी रहा । लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

पुलिस के बर्ताव को देखें तो जो हमारे यहां छात्र और अध्यापक का वात्सल्य के आधार पर परम्परागत रिश्ता बना हुआ है उसको उन्होंने तोड़ा है, उसको बदनाम किया है, बदले की भावना से काम लिया और इस हद तक आगे गये हैं कि 29-29 छात्रों क एक पूरे समूह को निकाल दिया गया है। खाली यही नहीं, बल्कि शिवदेव नारायण शर्मा नाम के एक एम० ए० के छात्र हैं उनकी छाती पर मय बूट के भरी कचहरी में एक पुलिस अफसर सवार हो गया। उनको दबोचा गया, मारा-पीटा गया। ये सारी घटनायें हुईं। म संक्षेप से तमाम तत्व और परिस्थितियां रखना चाहता हूं।

जिनके कारण यह आन्दोलन हुआ। अगस्त के महीने में छात्रों की तरफ से, कोई व्यक्तिगत छात्र नहीं था बल्कि छात्र महासमिति के द्वारा पारित मांगें जो न्यायोचित तथा उचित थीं उनको लेकर विद्यार्थियों ने आन्दोलन शुरू किया। वहां की छात्र अध्यापक सलाहकार समिति की बैठक पहले से थी। 25 तारीख को वाइस चांसलर के आग्रह पर एक दिन के लिये और बढ़ाई गई। छात्रों की मांगों पर विचार हुआ उनकी मांगें न्यायोचित पाई गईं और उनको स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुख्य मंत्री जी सुधार देंगे जब वे बोलने लगेंगे। इस सलाहकार समिति में न्यायोचित मांगों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया और जो हड़ताल छात्रों की थी, रात को 10--11 बज के आसपास अनशन तुड़वाया गया और 26 तारीख को वाइस चांसलर विदेश यात्रा पर चले गये।

उनकी गैरहाजरी में बजाय इसके कि जो निर्णय लिया गया था उसको कार्यान्वित किया जाता, जो अधिकारी डीन वगैरा तथा आई०टी० के डाइरेक्टर थे उन लोगों ने मांगों को मानने से इंकार कर दिया। कला संकाय के डीन तो इस हद तक गये कि वाइस चांसलर ने मांगें मानी हैं, वे आयेंगे तो पूरी करेंगे, हम से इनका कोई संबंध नहीं है। इस तरह से आई०टी० के डाइरेक्टर ने कहा तो यह वायदा किया था कि 30 अगस्त तक मांगें पूरी कर दी जायेंगी, वे लोग किसी निर्णय पर 7 सितम्बर तक नहीं पहुंच सके। तब मजबूर होकर विद्यार्थियों को आन्दोलन का सहारा लेना पड़ा और आई०टी० के छात्रों ने हड़ताल कर दी। 10 सितम्बर के आस पास लोग अनशन पर भी बैठ गये और फिर आगे चल कर कला संकाय के छात्रों ने भी इस हड़ताल में अपना योगदान दिया। यह स्थिति चल रही थी कि वाइस चांसलर की वापसी हुई। उनसे छात्रों ने बताया कि आपने जो निर्णय लिया था उसको अधिकारी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि हम सलाहकार समिति की बैठक बुलायेंगे और देखा जायेगा कि गल्ती किस की है और फिर इसके बाद कार्यवाही की जायेगी। लेकिन होता क्या है। बजाय इसके कि अधिकारी या जिम्मेदार लोगों की गल्ती पकड़ी जाती किया यह गया कि उल्टे छात्रों पर दमन चालू हो गया। १२ तारीख को छात्रों का अनशन शुरू हुआ और छात्रों ने कहा कि चूंकि हमारी मांगें नहीं मानी जा रही हैं इसलिये 13 तारीख को यह विश्व-विद्यालय बन्द रहेगा। 12--13 तारीख की दरमियानी रात में पुलिस का प्रवेश हो जाता है और जो छात्र अनशन पर बैठे थे उनमें से कुछ को पकड़ा जाता है, मालवीय भवन से लोग पकड़े जाते हैं और पकड़ कर उनको जेल भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि हिरासत में लेने के बाद उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार किया गया। जब कि पुलिस की हिरासत में लिये जाने के बाद कानूनन यह मना है कि कोई भी आदमी पुलिस की हिरासत में लिया जाय या उसके साथ किसी प्रकार की बदसलूकी की जाय। जेल में जो चोटों का रिकार्ड होगा, माननीय मंत्री जी उसको देख सकते हैं। उससे यह साबित हो जायेगा कि पुलिस की हिरासत म कैसा पीटा गया। यह 13 तारीख को होता है और उसी को यह आदेश भी हो जाते हैं कि 24 घंटे के अन्दर विश्वविद्यालय खाली कर दिया जाय। इसमें कोई भी आदमी यह कह सकता है कि शुरू से लेकर 13 सितम्बर तक की घटनाओं में छात्रों का कोई दोष नहीं था। छात्रों ने शांति से अपनी मांगों के लिये आन्दोलन किया था। उन मांगों को वाइस चांसलर

ने मुनासिब और उचित माना । कुछ लोगों ने उसको कार्यान्वित नहीं किया और जब उसकी शिकायत की गयी तो उन शिकायतों को दूर करना तो अलग रहा, दमन का व्यवहार किया गया । उन लोगों को अनशन से उठाकर जेल म डाल दिया गया । इस प्रकार से आग में घी डालने का काम कर दिया गया । 24 घंटे में विश्वविद्यालय खाली करा लिया जाता है और फिर उस कमेटी की रचना हुई जिसका जिक्र किया गया और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जब सितम्बर में कुछ दिनों के लिये हम मिले थे तो माननीय मख्य मंत्री जी ने इसके बारे में चिन्ता व्यक्त की और कहा था कि यहां से उठने के बाद हम कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे जिससे मामला तय हो जाय । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ तो इस प्रकार की घटनायें होती रहीं और दूसरी तरफ यह सरकार मूकदर्शक की भांति देखती रही । मुझे यह भी बताया गया कि मुख्य मंत्री जी ने वहां पर लोगों से यह कहा कि शायद हमारी बात को ये विद्यार्थी न मान, समाजवादी युवक सभा वाले न मानें, तो दोनों संस्थाओं के जो विद्यार्थियों के नेता थे, उन लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखित रूप से यह आश्वासन दिया कि हम आप पर विश्वास रखते हैं और आपकी मध्यस्थता स्वीकार करते हैं, आपका निणय जो भी होगा, वह हमें मान्य होगा । वहां माननीय मुख्य मंत्री जी 3 दिन तक पड़े भी रहे और रोज-रोज विद्यार्थी वहां जाते रहे कि कुछ फैसला कर दिया जाय लेकिन वाइस चांसलर वहां न आये । जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बनारस छोड़ा विन्ध्याचल के लिये तब शायद उनसे उनकी बातचीत हुई । जहां तक विद्यार्थियों के संबंध में समस्या के निस्तारण के लिये विद्यार्थियों की ओर से कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की गयी । मुख्य मंत्री जी में विश्वास प्रकट करने और उनकी मध्यस्थता को स्वीकार करने के बावजूद भी मामला तय नहीं हुआ ।

जब युद्ध शुरू हो गया तो विद्यार्थियों ने अपनी सारी मांगों और सारे आन्दोलन को खत्म करके यह कह दिया । हमारे पास एक चिट्ठी है, श्री आनन्द कुमार जन की जिसमें उन्होंने भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को जो कुछ लिखा था, उसमें से 1--- लाइन पढ़ देना चाहता हूं "किन्तु पाकिस्तान के गंदे इरादों और उसके हमले ने हमारा ध्यान देश की रक्षा की ओर पलट दिया है । आज देश की आजादी और जनतंत्र को खतरा पैदा हो गया है अतः अपने संघर्ष को स्थगित कर काशी विश्वविद्यालय के 13 हजार छात्र-छात्रायें नागरिक सुरक्षा के प्रयत्नों में लगना चाहते हैं ।" तो कहीं पर उद्दंडता का कोई परिचय नहीं मिलता और जब देश पर खतरा आया तो उसका भी एहसास । ऐसा नहीं कि वह बाजिद हों कि पहले उनका मामला तय हो जाय बाद में रक्षा के काम में लगेंगे बल्कि उन्होंने पूरी सेवायें राष्ट्र की रक्षा के लिये अर्पित कीं और सभी ने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया । उसके बाद 20 दिसम्बर तक समस्या जिस स्टेज पर छोड़ी गयी थी उसी स्टेज पर थी । मजबूर हो कर छात्रों ने 20 दिसम्बर को यूनिवर्सिटी के कला संकाय के प्रांगण में अपनी एक आम सभा की और उनका जुलूस भी निकला । फिर दूसरे दिन विज्ञान और कला संकाय के बीच में जो स्थान है वहां पर उनकी सभा होती है और शांतिपूर्वक छात्रावास लेन से गुजरते हुये मुख्य द्वारा तक जा रहे थे कि जब रुइया होस्टल तक पहुंचते हैं तो उन पर पुलिस अश्रु गैस छोड़ती है, लाठी चार्ज किया जाता है तथा लोगों को बुरी तरह से घायल किया जाता है और उनको पुलिस की गाड़ियों में ठूंसा जाता है और उसके बाद उन पर लाठी से हमला किया जाता है । उसके बाद उन लोगों को जेल भेजा जाता है । पहले ही दौर में जहां तक मेरी जानकारी है 19 छात्र गिरफ्तार हुये और अनेकानेक जख्मी हुये । खाली इसी से सब्र नहीं हुआ । आप जानते हैं कि कुर्की किसकी होती है, जिसकी अपनी जायदाद होती है । लेकिन कुर्की विद्यार्थियों की की गई जिनकी अपनी कोई जायदाद नहीं । उनके घरों की तलाशी ले कर, जहां उनका अपना कुछ नहीं रहा होगा, उनके बाप का रहा होगा या उनके अभिभावकों का रहा होगा, लेकिन उनके सामान की भी कुर्की की गई । आप देखें कि कायदे कानून की कोई परवाह नहीं की जाती है । बच्चों तक का सामान कुर्क किया जाता है । 31 दिसम्बर की घटना

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

मैंने बतायी । उस दिन शिवदेव नारायण और उनके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके एक अदालत में हाजिर किया । अदालत में उनकी प्रार्थना पर मुचलकों पर उनकी रिहाई मंजूर हुई । साधारण कानून है और आचार्य जी और राज मंगल जी जानते होंगे कि जब आदमी को रिहा किया जाता है तो पब्लिक प्रासीक्यूटर के यहां से रिपोर्ट आती है कि अगर उस पर कोई और जुर्म होता है तो उसकी रिहाई तब तक नहीं होती जबतक उसकी उस जुर्म में भी जमानत नहीं होती । लेकिन जैसे ही ये लोग अदालत से बाहर आते हैं वैसे ही पुलिस उनको दबोचती है और मारती पीटती है और मारने पीटने के बाद शिवदेव नारायण की छाती पर मय बूट के पुलिस वाला सवार होता है । तो अगर उनके खिलाफ पहले से कोई और जुर्म होता तब तो साधारण प्रक्रिया है कि पब्लिक प्रासीक्यूटर के दफ्तर से रिपोर्ट ली जाती है और अगर कोई और जुर्म रहा होता तो उनकी रिहाई नहीं होती । लेकिन जब उनकी रिहाई हो गई और अगर उनको गिरफ्तार ही करना था तो रिहाई के पहले अदालत को रिपोर्ट दे देते । यह भी नहीं किया । लेकिन जब वे बाहर आ जाते हैं तो पुलिस इतनी अनियंत्रित हो गई कि जैसे मालूम होता है कि कायदा और कानून उनके लिये कुछ रह नहीं गया है ।

सब की सब स्थिति हो रही है । चोरी हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, जुर्म बढ़ रहे हैं और यहां तक कि गैलरी में बैठे-बठे लोगों की जेबें कट जाती है, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं लेकिन जो हमारे छात्रगण हैं उनको जूतों से पीटा जाता है । जब आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो आपके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती थी, क्या वह आज जैसा होता था ? उस समय छोटी सी घटना को लेकर पूरी नौकरशाही और सरकार को नामालूम कितनी गालियां दी जाती थीं और कितने प्रस्ताव पास किए जाते थे लेकिन आज बनारस में यह घटना हो रही है, जहां के मुख्य मंत्री रहने वाले हैं । अगर आप थोड़ा सा सख्त हो जाते तो वहां की पुलिस की क्या इतनी हिम्मत हो सकती थी ? पुलिस की मजाल नहीं होती कि वे इस प्रकार कानून और कायदे की उल्लंघन करती, इस प्रकार का विद्यार्थियों के साथ जुल्म करती। उसका साफ मतलब यह है कि उसको छूट मिली हुयी है । वह यह समझती है कि हम जो कुछ भी करेंगे हमें कोई कुछ नहीं कहने वाला है । आपने भी कसम खा ली है कि हम जनतंत्र का नाश करके ही छोड़ेंगे । 29–29 विद्यार्थियों का समूह, इस घटना को छोड़ कर, कभी पहले भी एक साथ निकाला गया है इसलिए कि वे आपसे कुछ थोड़ा सा अलग विचार रखते हैं, थोड़े जागरूक होते हैं और उनके साथ बार-बार अमानुषिक व्यवहार होता है और जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता । उन्होंने आई० जी०, डी० आई० जी० और शायद आपको भी तार दिया है और वहां पर राजनीतिक नेताओं ने अखबारों के द्वारा शासन को जानकारी में लाने के कारण अपने बयानात भी निकालें लेकिन क्या वजह है कि कार्यवाही नहीं होती है । मैंने आरम्भ से आखिर तक कहा है कि किसी भी निष्पक्ष आदमी को और अगर यह सही है तो एक निष्पक्ष कमेटी बिठा कर पूरी घटना की जांच कराइये । विद्यार्थियों की ओर से भी आफर है और उस चिट्ठी में जिसका मैंने अभी हवाला दिया कि भारतीय सरकार को लिखा है, उसमें भी यह कहा गया है कि अगर निष्पक्ष समिति हमको दंडित करार द तो हम उस दंड को भुगतने के लिए तैयार हैं लेकिन यह सारी की सारी घटना हो जाय और यह कह कर टाल दें कि यह केन्द्रीय सरकार का मामला है, आपके यहां पर कायदे कानून का पालन न हो और इस प्रकार के अत्याचार जुल्म होते रहें । नतीजा क्या होगा कि सारे आदमी इत्मिनान से बैठेंगे कि कुछ हो ही नहीं रहा है । तो मेरा निवेदन है कि इस पूरे मामले को आप अच्छी तरह से देखें । लोगों की आपके ऊपर एतबार है लेकिन पता नहीं कि किस कमजोरी के कारण आप उस पर विचार नहीं कर रहे हैं । जहां पर पुलिस अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसा कि जंगली जानवरों द्वारा किया जाता है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में आप न चूकें ।

आपको याद होगा कि एक बार मैंड आंक सांग, ने बर्मा में जब इस प्रकार की चर्चा छेड़ी गयी तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे तो हमारे ही हैं। यहां पर वे बेचारे कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, स्टैन्डर्ड मेनेटेन करते हैं हिंसा की भी व्यवहार नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। आप दृढ़ अवश्य बनें, पर कठोर और कट्टर न बनें। आवश्यकता पर कट्टरता और कठोरता निन्दनीय है और वह नहीं होनी चाहिये। मेरा अनुरोध है कि आप इन छात्रों के सारे के सारे मामलों को वापस ले लें ?

लाल बहादुर जी अभी कह रहे थे। उनकी आवाज में मैं अपनी आवाज मिलाकर कहता हूं कि उन्हीं आदर्शों को अपन सामने रखा जाय। वे अपने बच्चे हैं। काशी विश्वविद्यालय म आखिर इस प्रकार की स्थिति क्यों है ? इसको सब जानते हैं और सारा सदन इस बात को जानता है कि हमारे पिछड़े और गरीब इलाके का वह विश्वविद्यालय है। वहां के लोग सदा जानदार रहे हैं। वहां पर अंग्रेज साम्राज्यशाही के खिलाफ विद्रोह का केन्द्र रहा है। वहां से विद्रोह की कार्यवाही होती रही है। एक शानदार परम्परा उस काशी विश्वविद्यालय की रही है। क्या आप चाहते ह कि वे निर्जीव हो जायें। जो वह अपनी उचित मांग करते हैं वह उनकी मांग बन्द हो जाय ? यह दलील कोई नहीं मान सकता है कि विद्यार्थी अपनी किसी भी उचित मांग के लिये कोई आन्दोलन नहीं करें या उनको किसी प्रकार से भी कोई आन्दोलन करने का अधिकार नहीं है। वह भी वही आदर्श सामने रखेंगे जिस चीज को वह देखेंगे। उसकी ही अपेक्षा उनसे की जा सकती है। होता क्या है ? आज अन्धकारमय भविष्य उनके सामने है। बी०ए० में उनको भर्ती नहीं मिलती है। इसमें विद्यार्थियों का दोष नहीं है। यह तो आपकी नीति का दोष है। आप यह तय कर लीजिये कि एम० ए० या बी०ए० में किसी को दाखिल नहीं किया जायगा। केवल हिसाब-किताब ही उनको बता दिया जायगा। केवल प्राविधिक शिक्षा उनको ही दी जायगी जो बहुत ही ऊंचे स्तर के विद्यार्थी होंगे। तो यह सारी परम्परा ही खत्म कर दीजिये। कुछ भी न करें लेकिन विद्यार्थी जो चाहते हैं वह कैसे हो इसपर विचार करना है। अगर कोई उनमें से बोलने के लिए खड़ा होता है तो कहा जाता है कि विद्यार्थी राजनीतिज्ञ हो रहे हैं। बड़े कसूरवार हैं। मगर उनके सामने आदर्श किसका आ रहा है। आज तो आदर्श ऐसे लोगों का ही रहा है जो अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से ऊपर आना नहीं चाहते हैं। अपनी मेरिट के सहारे ऊपर नहीं उठ रहे ह। झूठ और चापलूसी का सहारा लेकर आज लोग तरक्की कर रहे हैं। यही भविष्य उनके भी सामने है। बी०ए० में सब को प्रवेश आप दीजिये। यह कौन सी उनकी अनुचित मांग है ? अगर आपन उनकी बातों को मान लिया तो फिर उसको क्यों ठुकराया ? मान लेते तो यह आन्दोलन ही न होता। मैं बहुत नम्रता के साथ इस सदन से और आपसे और आपके माध्यम से मुख्यमन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि चाहे विश्वविद्यालय में कोई बात करना आपके बस में न हो लेकिन पुलिस में जो मामले दर्ज हो गये हैं उन को तो आप वापस ले लीजिये। साथ ही मेरी यह भी प्रार्थना है कि जो यह बच्चों के साथ ज्यादती हुई है उस ज्यादती करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा दी जाय।

तीसरी बात यह है कि अगर आपके बस की बात हो तो एक निष्पक्ष कमेटी बिठा दीजिये। उसके बाद यदि उनका दोष पाया जाय तो उनको सजा दी जाय वरना वायस चन्सलर सहित जो दोषी अधिकारी हों उनको हटाने की आप कार्यवाही करें। मैं नहीं समझता हूं कि आप की शक्ति क्या है। इतने बड़े विशाल प्रदेश के आप मुख्य मन्त्री हैं जिसमें 9 करोड़ जनता रहती है। आप इतने शक्तिशाली हैं कि समुन्दर को भी लांघ सकते हैं। उसी शक्ति की दुहाई देकर मैं नम्रता के साथ इस बात को आपसे कहता हूं कि मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि से जो सुझाव आपके समक्ष रखे हैं उनके ऊपर आप ध्यान द और उनको पूरा करने का प्रयास करें।

*मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, किसी शिक्षा संस्था में यदि किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो और विद्यार्थियों के बीच और अध्यापकों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष खड़ा हो तो वह किसी के लिये भी सुखद नहीं हो सकता। ऐसी शिक्षा संस्थाएं जिनका बड़ा प्रमुख स्थान है हमारे प्रदेश के बीच में ही नहीं राष्ट्र के बीच में यदि उनमें इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाय पढ़ाई लिखाई में बाधा पड़े अध्यापकों से और विद्यार्थियों से झगड़ा हो तो यह किसी को अच्छा नहीं लग सकता। मान्यवर, मैं तो इस विचार का रहा हूं कि छात्रों के भी अपने अधिकार हैं उनके कर्त्तव्य भी हैं। वे पढ़ते-लिखते हैं तो उनके भी कुछ अधिकार हैं। मैं तो यह भी कुछ मानता रहा हूं कि विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में भी कुछ थोड़ा बहुत छात्रों को सम्मिलित करने से वहां का वातावरण अच्छा बनाया जा सकता है। मेरी राय यह नहीं रही है कि कुछ बड़े शिक्षा विशेषज्ञों की भी राय रही है कि अब जमाना आ गया है कि विश्वविद्यालय के बारे में एक सीमा तक जितनी उचित सीमा हो छात्रों को भी सम्मिलित किया जाय। यही कारण था मान्यवर.

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, इनकी वक्तृता तो लायक है लेकिन कार्यान्वित कर दिया जाय..

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझे श्रीमन्, वचनान्वित तो होने दीजिये। कार्यान्विति बाद में होगी।

तो श्रीमन्, यही कारण था कि यही हमारा साधन है जिसमें विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के जो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय थे उनकी यूनियनों को समाप्त कर दिया था और मान्यवर, मैं उन लोगों में से था जिन्होंने इसका घोर विरोध वास्तव में ही किया। उस जमाने में यह चीज हुई थी जब कि चौधरी चरण सिंह साहब की सरकार थी उसमें.....

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं स्वयं ही कह रहा था कि उस जमाने में जब चौधरी चरण सिंह साहब हमारे मुख्य मन्त्री थे और कांग्रेस का दल उसमें शरीक था मैं दल का नेता था और मैंने दलके नेता के रूप में इस उठाये हुये कदम का चाहे हमारे दल के लोग शरीक रहे हों मैंने विरोध किया था और मुझे प्रसन्नता है कि उस विरोध पर हमारे जनसंघ के साथी हमारी संयुक्त समाजवादी दल के लोग हमारी कांग्रेस के लोग सब उसमें शरीक थे। जब उस चीज को हटाने की बात आई तो कांग्रेस दल बाहर हो चुका था। बाहर होने का जो कोई कारण था उनमें यह कारण भी था प्रत्यक्ष है उस समय भी घोषणा की गई थी और हमारे दूसरे साथी दूसरी सरकार के मौजूद थे जिन्होंने यह आवश्यक नहीं समझा कि वह जो अध्यादेश निकाला गया था वह समाप्त किया जाय....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैंने अपने बस भर भूल को परिष्कार करने की कोशिश की थी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं दल का नेता था और मैंने तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी से विद्यार्थियों की ओर से आग्रह किया था जिस पर यह जवाब मिला था कि बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और श्रीमन्, फिर हम ने अपने प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी में भी इस प्रस्ताव को स्वीकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया था। दूसरी सरकार बनी उसमें यह प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था विरोधी दल के नेता के रूप में और वह प्रस्ताव फिर यहां गिराया गया और उस अनर्थ में हमारे सभी मित्र सहायक हुए। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस अध्यादेश को वापस लिया और उस अध्यादेश के सिलसिले चलते हुए जितने मुकदमे विद्यार्थियों पर थे वे सारे के सारे मुकदम वापस किये गये और यूनियनें संगठित हुईं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में यूनियनों को तोड़ने का यहां का अध्यादेश लागू नहीं हो सका था क्योंकि वह केन्द्र से परिचालित विश्वविद्यालय था। वहां यूनियनें बनी हुई थीं। मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों के अधिकारों का, जिस उचित सीमा तक उनके अधिकार होने चाहिए, मैं समर्थक रहा हूं और आज भी हूं। विद्यार्थियों के प्रति किसी प्रकार की कठोरता बरती जाय वह ऐसा लगता है कि जैसे विद्यार्थी कोई दूसरे हैं और हम दूसरे हैं। हमारे सब के, प्रदेश के, प्रदेश के बाहर के, अपने ही देश के साथियों और भाइयों के वे बच्चे हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार की सख्ती हो या कोई ज्यादती हो यह किसी को भी पसन्द नहीं आ सकता और अगर कभी ऐसा कुछ किया जाता है तो जो सरकार उसे करती है वह सरकार लोकनिन्दा का पात्र बनती है। भले ही लड़कों के उपद्रव से नागरिक क्षुब्ध होते हों। और कहते हों कि सरकार देख रही है, हड़ताल कराई जा रही है, दुकान लूटी जा रही है लेकिन यदि सख्ती की कार्यवाही कर दिया जाय तो वे ही व्यक्ति उलाहना देते हैं कि लड़कों के ऊपर लाठी चार्ज करा दिया। इसलिए दोनों ओर से मरन शासन की होती है। इसका अनुभव आपको भी है, हमको भी है। फलतः विद्यार्थियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, युवकों के ऊपर जहां तक हो सके सख्ती न की जाय, बहुत हद तक ढील दी जाय, इस तरह की नीति बरतनी पड़ती है। मैं इस बात का हामी हूं। शंकर प्रसाद जायसवाल जी को मालूम होगा कि गदौलिया में गोली चल गयी थी। मैं समझता हूं उस समय त्रिभुवनसिंह जी की सरकार थी। यद्यपि विश्वविद्यालय में यूनियन थी लेकिन दूसरे छात्रों के समर्थन में जुलूस आया और गदौलिया में रुक गया। गोली चली। बारह चौदह छात्र मरे। हमें प्रसन्नता है कि उधर पांच छः महीनों में कोई छात्रों का आन्दोलन व्यापक रूप से प्रदेश में नहीं आरम्भ हुआ और छात्रों का बड़ा सहयोग हमें मिला है। विश्वद्यालयों को भी अपने प्रदेश में कुछ न कुछ इस सम्बन्ध में सलाह मशिवरा देकर, उनके साथ अनुरोध करके, विनती करके इस मामले को सम्भालता रहा हूं। जैसा कि संस्कृत विश्वविद्यालय का मामला, काशी विद्यापीठ का मामला या फिर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का मामला हमारे सामने आता रहा है और हम उसे सम्भालते रहे हैं।

हिन्दू विश्वविद्यालय के मामले में मैंने प्रयास किया मान्यवर। मैं किसी को दोष नहीं देता। वहां की स्थिति पर चिन्ता होना हमको और आप सबको अत्यन्त स्वाभाविक है। यह हमारे प्रदेश का ही नहीं देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और एशिया में अपना स्थान रखता है। हम सब का उससे जीवन का सम्बन्ध है। हमारे नगर को तो है ही, हम उसके छात्र भी रहे हैं और इसके अलावा थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी की थी। वहां से आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ है। वहां के विद्यार्थी हमारे साथी रहे हैं। आज संयुक्त समाजवादी दल के नेता लोग, किसी जमाने में छात्र थे और इनको राजनीति में ले जाने का कुछ थोड़ा श्रेय मुझे प्राप्त हुआ है, बावजूद इसके कि कभी-कभी कटु वार्ता सुनने को मिलती है, लेकिन जब भी मिलते हैं गुरु जी गुरु जी कहते हैं। आजकल के जमाने में चेला चीनी हो गये और गुरु गुड़ रह गये। 1942 के आन्दोलन में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोग जो अब हैं, मेरे आह्वाहन पर आये थे, मैं विश्वविद्यालय गया था और उन्होंने काम भी किया और उनके साथ इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने बड़ा काम किया। काशी विद्यापीठ तो इसका गढ़ ही था, उस पर पुलिस का 5 वर्ष लगातार कब्जा रहा। हम लोग तो एक दौर से गुजर हुये हैं। हमारी एक भावुक भावना इन संस्थानों के प्रति और इनके विद्यार्थियों के प्रति रही है। अगर यह भावना न होती तो इस प्रकार से चिन्ता न होती। जहां उपद्रव होते तो कठोरता बरती होती यदि हमारा उससे कोई सम्बन्ध न रह गया होता—जैसा मैंने कहा हमारा उससे जीवन से सम्बन्ध

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

है। पूज्यपाद मालवीय महाराज के जाने के बाद से हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् वहां वाइस चांसलर थे और जब तक वह थे, तब तक विश्वविद्यालय ठीक-ठीक चला। उनके हटने के बाद ही कुछ कुलपतियों के सम्बन्ध में झगड़ा शुरू हुआ और वहां कई उपकुलपति वहां हुये और किसी न किसी प्रकार का वहां संघर्ष न हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। अभी हाल में, श्रीमाली जी वहां गये। इन उपद्रवों के फलस्वरूप मान्यवर, उस विश्वविद्यालय के लिये केन्द्रीय सरकार ने अपना दूसरा विधान भी बनाया। उसका कांस्टीट्यूशन पूरा का पूरा बदला और वहां अब विश्वविद्यालय का चुनाव नहीं होता, एक्जीक्यूटिव कमेटी का भी चुनाव नहीं होता। नये विधान के मुताबिक विश्वविद्यालय और वहां की कार्यकारिणी दोनों ही नामांकित हैं। एक कारण यह भी कि इतने बड़े संस्थान के सिलसिले में उपकुलपति के चुनाव में जिस प्रकार की पार्टीबन्दी हो जाती थी और जैसे अध्यापक शरीक हो जाते थे और कभी-कभी विद्यार्थियों का उपयोग जिस प्रकार से कर लेते थे, और भी कुछ देख सुन कर कदाचित् यह आवश्यक समझा केन्द्रीय सरकार ने नया विधान बनावे और उसके अनुसार वहां जब विश्वविद्यालय नियुक्त होते हैं---नामांकित होते हैं और उनकी एक्जीक्यूटिव बनती है। यह बात सही है कि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में हमारी प्रदेश की सरकार का कोई हाथ नहीं है और न ही कोई विशेष जिम्मेदारी भी है उसके संचालित करने में। पर इतना होते हुए भी वह हमारे प्रदेश में अपने प्रदेश का एक बड़ा नगर है और वह सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है इस वास्ते छात्रों की जो कुछ गतिविधियां वहां चलती हैं उनसे मैं अछूता नहीं रह पाता हूं। अतः जिन घटनाओं को जिनका उल्लेख शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री अनन्त राम जायसवाल और माधव प्रसाद जी ने प्रस्तुत की है मैं उनके सम्बन्ध में यह नहीं कहता कि वह केन्द्र का विश्वविद्यालय है और वह हमारे हाथ में नहीं है या हम कुछ नहीं जानते। मैंने पिछली बार भी यह बात कही थी उसी भावना के फलस्वरूप जो हमारी इस विश्वविद्यालय के प्रति, शिक्षा और शिक्षा संस्थान के प्रति, वह आश्वासन हमने तब भी दिया था कि हम इसका प्रयास करेंगे। खेद है कि उसमें हमें सफलता अधिक नहीं मिली, बल्कि नहीं मिली यह मैं नहीं कह सकता लेकिन सफलता अधिक नहीं मिली यह मैं जानता हूं। वहां के वाइस चान्सलर साहब से कई बार मेरी बातचीत हुई थी। इस बार अभी हाल में जब मैं दिल्ली में था, प्लानिंग कमीशन के सामने अपने प्रदेश का केस लेकर गया था, तो वह दिल्ली आये थे। टेलीफोन पर उन्होंने मुझ से बनारस से बात की थी तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली में हूं, बनारस नहीं रह सकता तो वह दिल्ली आये। वहां वह उच्च अधिकारियों से सरकार के मिले, शिक्षा विभाग के मन्त्री से भी मिले और मुझ से भी मिले और मैंने अपनी बातचीत में जो मेरी इस सम्बन्ध में राय थी वह उन्हें बताई।

मान्यवर, एक दम से मैं यह नहीं कह सकता कि विद्यार्थी इस मामले में बिलकुल निर्दोष रहे हैं। जब वाइस चांसलर लौट कर आये, मैं यह मानता हूं कि जो मांगें स्वीकार की गई थीं और जिन्हें वह दूसरे लोगों के सुपुर्द करके वह गये थे कि वह आश्वासन को देखकर पूरा करें वह पूरी नहीं हुई थीं। छात्रों में रोष था क्योंकि जिन लोगों को वाइस चांसलर द्वारा वह काम दिया गया था, यह बात सही मालूम होती है, उन्होंने मांग के सम्बन्ध में यह कह दिया था कि भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता है और जब वाइस चांसलर लौट कर आयेंगे तभी वह स्वयं फैसला करेंगे। मैं यह समझता हूं कि कुछ मांगें ऐसी थीं जिन्हें वह मान सकते थे लेकिन कुछ मांगें ऐसी भी थीं जिन्हें वह छोड़ सकते थे कि जब वाइस चांसलर आयेंगे तो वही कुछ करेंगे लेकिन इस तरह से उन्होंने नहीं किया, छात्रों में असन्तोष बढ़ा। लेकिन उनकी कुछ मांगें हैं वह आप देखें वह मेरे सामने आयी हैं। उनकी एक मांग यह थी कि अनुशासनहीनता और हिंसात्मक कार्यों के लिये निष्कासित छात्रों का निष्कासन रद्द किया जाय। उनकी दूसरी मांग थी कि विश्वविद्यालय में खुली भर्ती की व्यवस्था की जाय। तीसरी मांग थी कि कुलपति के अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण किया जाय। चौथी मांग थी विधि संकल्प में दोहरा

पाठ्यक्रम की व्यवस्था पूरी की जाय और एल०एल०बी० के पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष से घटा कर दो वर्ष कर दी जाय। उनकी पांचवीं मांग थी कि अनुत्तीर्ण छात्रों को कक्षोन्नति दी जाय। उनकी बहुत सी मांगें हैं जिनमें से यह चार पांच मैंने आपको पढ़ कर सुनाई। उनकी यह मांग थी कि अनुत्तीर्ण छात्रों को कक्षोन्नति दी जाय——ऐसी ही कुछ अन्य मांगें थीं जो जिन अधिकारियों के सुपुर्द की गई थीं वह उनके अधिकार के बाहर की बात थी कि वह उनको मान कर कुछ कर सकते। इसलिये छात्रों में असन्तोष हुआ। मैं यह समझता हूं कि उनके असन्तोष का कोई कारण नहीं था। वह वाइस चान्सलर को आ जाने देते।

श्री अनन्तराम जायसवाल——

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं दो मिनट का समय चाहता हूं।

यह जो चिट्ठी हमने बताई और जो श्री आनन्द कुमार जैन ने शिक्षा मन्त्री जी को लिखी थी उसमें वह पृष्ठ 6 पर लिखते हैं कि अनुत्तीर्ण छात्रों को कक्षोन्नति देने की बात नहीं थी और न खुली भर्ती की मांग है। हमारी किसी मांग को कुलपति जी ने अस्वीकार किया था इसका हमें खेद नहीं था।

उपकुलपति ने कहा कि इन मांगों की अस्वीकार किया था। हम अस्वीकार से दुखी नहीं हुये हैं और हम वायदा खिलाफी का आश्वासन निश्चित ही गलत समझते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी——

आपके प्रश्न से मालूम होता कि अस्वीकार करने से उनको दुख नहीं हुआ और अस्वीकार से उनको क्षोभ हुआ।

श्री अनन्तराम जायसवाल——

यह मांगें उनकी थीं ही नहीं, वे तो तोड़ मरोड़ कर रखी जा रही है।

श्री कमलापति त्रिपाठी——

मांगें जो होंगी और जिनको तोड़ मरोड़ कर रखा है यह तो नहीं कहा जा सकता है। आपके पत्र से मालूम होता है कि मांगों के अस्वीकार होने से दुखी नहीं हुये। दुखी उससे हुये जो वायदा खिलाफी हुई। मांगें नहीं स्वीकार हुयीं। मांगों का जो अर्थ लगाया गया वह आपके सामने है। वे कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर अर्थ लगाया गया। उप कुलपति जिस दिन विदेश से सम्भवतः घाना से लौट कर आये वे जिस मोटर से घर जा रहे थ और जिसमें उनके परिवार के लोग भी बैठे थे, उनकी पत्नी और बेटी भी थीं जो उनको हवाई अड्डे से लेने गई थीं, जब वे जा रहे थे अपने कक्ष में तो यूनिवर्सिटी गेट के पास जहां पर मालवीय जी की प्रतिमा लगी है तो वहां पर छात्रों की एक भीड़ ने उनको रोक लिया। उनसे उन्होंने यह कहा कि आपका वायदा पूरा नहीं किया गया। पहले आप यह घोषणा कीजिये कि हमारी मांगे स्वीकार की गयीं तभी हम आपको भीतर घुसने देंगे। उप कुलपति मोटर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गये। उन्होंने कहा कि हम अभी चले आ रहे हैं और कुछ हफ्तों के बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ। हमको अवसर तो दो। वहां पर एक कुर्सी लगाई गई और उनसे कहा गया कि स्टैंड अपान दी बेंच। लड़कों ने उनको कुर्सी पर खड़ा किया और कहा कि बोलो। उन्होंने कहा कि मैं कुछ जानता नहीं और इस समय मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, मुझको अवसर दो। कुछ समय तक नारा लगाया। उनके परिवार के लोग भी इस समय तक बाहर आ गये थे। यहीं से वह आन्दोलन आरम्भ हुआ। मैंने सदन में कहा था कि इस विषय पर चर्चा करूंगा। जब मैं काशी गया तो उप कुलपति से भेंट हुई। उन्होंने यह सब कथा सुनाई। मैंने विद्यार्थियों से भी भेंट की और उनसे भी जो मुनासिब था उसको कहा। मैंने उनसे कहा कि वे तुम्हारे उप कुलपति थे और जब वे लौटकर वापस आ रहे थ

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

तो इस प्रकार का बर्ताव उनके साथ करना शोभनीय नहीं था। मैंने फिर कहा कि यह कोई अच्छी बात नहीं थी और आपके इस व्यवहार से उप कुलपति महोदय रुष्ट थे। इसी के बाद कुछ घटनायें घटीं। बहुत से छात्रों को उन्होंने निष्कासित किया और आन्दोलन चला। विश्वविद्यालय का प्रांगण, यह दुर्भाग्य की बात है और लज्जा की बात है, कि पिछले कुछ वर्षों में अपराधों का केन्द्र बन गया। सदन में भी इस पर चर्चा हुई है। प्रांगण के भीतर हत्याएं हुई हैं, विद्यार्थियों के द्वारा विद्यार्थियों की। दूसरे लोगों की हत्यायें भी हुई हैं। जो छात्र नहीं हैं ऐसे लोग जो अपराधों में संलग्न रहे, आकर होस्टल में छिपे रहे हैं। वहां से उन की गिरफ्तारियां हुई हैं। अवैध हथियार वहां पकड़े गए हैं। ये सब घटनाएं तारतम्य से पिछले कई सालों में लगातार होती रही हैं...

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन, मैं निवेदन करूंगा कि इस वर्तमान आन्दोलन से उन घटनाओं का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। दूसरी बात यह है कि हत्या की जिस घटना का मुख्य मन्त्री जी जिक्र कर रहे हैं, उसमें यह भी रहा है कि उस घटना के बारे में उस छात्र ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी कि यह होने जा रहा है। फिर भी हत्या हो गयी। तो उसमें तो हमें शिकायत है। श्रीमन, उसी चिट्ठी में से मैं फिर हवाला देना चाहता हूं। इसमें लिखा है--"सभी घटनाएं इसी प्रकार अतिरंजित हैं। उदाहरणार्थ कुलपति के तथाकथित घेराव का प्रश्न देखा जाय। पृष्ठ 4 पर उल्लेख है। देसाई जांच समिति के सम्मुख हुई गवाहियों में कुलपति द्वारा प्रस्तुत गवाहियों में भी घेराव की बात को असत्य कहा गया है। अपशब्दों के प्रयोग और गालियों की बौछार के बारे में देसाई जी की रपट में दिलचस्प टिप्पणी है। गवाहियों भी इस विवरण को अतिरंजित सिद्ध करती हैं।"

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, अभी जायसवाल जी ने कहा कि लड़के ने लिखकर दिया था कि हमारी हत्या होगी और उनकी शिकायत है कि पुलिस ने देखा नहीं और हत्या हो गई। श्रीमन्, हत्या यूनीवर्सिटी के प्रांगण में, एक होस्टल के कक्ष में, जबकि वह कम्पाउन्ड के बाहर भी नहीं निकला था, तब हुई। अब यूनिवर्सिटी में पुलिस पोस्ट हो तो शिकायत क्यों गयी और यूनीवर्सिटी के भीतर कोई अपराध होता हो और पुलिस न जाय तो कहा जाता है कि पुलिस नहीं गई इसलिए अपराध हुआ। तो देख लें श्रीमन्, यह शिकंजा गले में लगा हुआ है। खैर जोशी जी, वाइस चांसलर थे। एक-दो बार हमने रिफ्यूज भी किया था और गेट के बाहर लाठियां चली थीं तो मैंने इसी सदन में उसका विरोध भी किया था। इस बार वाइस चांसलर ने इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। पुलिस की मांग की। यह कड़े आदेश हैं मान्यवर, कि वाइस चान्सलर की मांग के बगैर पुलिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में न जाय। यह मैं जानता हूं कि जो यूनियन्स तोड़ी गयीं तो छः छः, आठ-आठ महीने तक पुलिस के कैम्प बन गए थे यूनीवर्सिटी के कैम्पस में तो वाइस चांसलर ने जब मांग की तो मैंने उनको इंकार सा किया और कहा कि आप स्थिति को स्वयं सम्हालिए और इस तरह से पुलिस को बुलाना मुनासिब नहीं है। कुछ इससे विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कष्ट भी पहुंचा, दुख भी हुआ, कुछ थोड़ी बहुत उलाहना भी दिया शिकायत और भी की कि उत्तर प्रदेश सरकार कदाचित् हमारी सुरक्षा के सम्बन्ध में सहयोग नहीं कर रही है। फिर उनके मांगने पर और यह कहने पर कि यदि यहां कोई अव्यवस्था होगी और तोड़फोड़ और आग-जनी का डर पैदा हो गया है, कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे, आपको बुलाया जाता है, पी० ए० सी० गयी। यूनीवर्सिटी बन्द की गयी। छात्र वहां से गए। छात्रों को निकालने के लिए होस्टल में हमारे पुलिस वाले नहीं गए। उनसे यह कहा गया था कि होस्टल में घुसकर किसी को मत निकालो यह काम विश्वविद्यालय के अधिकारियों का है कि छात्रों

को समझा-बुझा कर वापस करे। फिर, कुछ दिनों के बाद, संकटकालीन स्थिति जब पैदा हुई उसके कुछ दिनों पहले ही वहां शांति हुई तो हमने वहां से पुलिस विदड्रा की प्रांगण से पुलिस विदड्रा की। संकट की स्थिति भी आ गई थी। हमने उनसे कहा कि आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, पुलिस नहीं रहेगी। ज्यों ही एमरजेंसी का पीरियड खत्म हुआ त्यों ही यूनिव-र्सिटी में एक मीटिंग की गई यद्यपि यूनिवर्सिटी में दफा 144 लागू थी। मीटिंग की गई दफा 144 को तोड़ कर। मेरा मतलब यह था कि कदाचित् जब स्थिति असाधारण हो रही थी तो मैं कुछ साधारण कर सकता। जैसा मैंने पहले कहा मुझसे कहा गया कि देसाई कमेटी बिठा दी है वी० सी० की ओर से और उसकी रिपोर्ट आ जाने दो, तब आपसे बात करेंगे। रिपोर्ट आ जाने के बाद बात करने में क्या नतीजा निकले, बात पहले ही कर ली जाए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जब आ जायगी तो उसको हम आपको दिखा देंगे। रिपोर्ट देखने का मौका तो नहीं मिला। रिपोर्ट आ गई थी, इसकी सूचना मुझे मिल गई थी। इस बीच महीने-डेढ़ महीने शांति रही और हम भी दूसरे मामलों में व्यस्त हो गए। दफा 144 लगी हुई थी और मान्यवर, यह मीटिंग की गई आर्ट्स कालेज के प्रांगण में। उससे पहले लड़के मुझसे मिले थे और मैंने उनसे कहा कि मैं वी० सी० से बात करूंगा। पुनः मुझे अवकाश मिला और एक दिन टेलीफोन पर उनसे बात हुई भी। मैंने कहा कि मैं स्वयं ही आ जाऊंगा, मैं खुद ही आने वाला था, हमारे यहां भीड़ भड़क्का बहुत रहता है, शान्ति के साथ बात नहीं हो सकती है, शायद मैं ही आ जाऊंगा वहां। यह मीटिंग हुई। उन्होंने 29-30 विद्यार्थियों को निकाला था। उसी विषय में मैं उनसे बात करता। विद्यार्थी उत्सुक थे, मैं उनको दोष नहीं देता। 2 प्रोफेसर साहब विद्यार्थियों से यह कहने के लिये गए कि आप लोग यह मीटिंग न करें। मान्यवर, वे सीनियर प्रोफेसर्स थे। एक चीफ प्रोक्टर थे और दूसरे सोशल साइंसेन्ज के हेड आफ दि डिपार्टमेंट थे डा० श्रीवास्तव। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग न करो और इस पर विद्यार्थियों ने कहा कि तुम चले जाओ। कहते हैं इस पर कुछ वाद-विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि तुम मुझे तुम कहते हो। इस पर विद्यार्थियों ने कहा कि तुम को हम तुम कहते हैं, तुम चले जाओ। इस पर उन्होंने कह दिया कि अगर इस तरह से बर्ताव करोगे तो निकाल दिये जाओगे। इस पर विद्यार्थियों ने कहा कि इनको ठोको और दोनों बुरी तरह से पीटे गये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरी सूचना यह है कि जो प्रोक्टर थे उनका व्य-वहार भी कदाचित् उचित नहीं था। उनका व्यवहार अच्छा न होने के कारण कभी-कभी स्थिति गड़बड़ा जाती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान लें थोड़ी देर के लिए, मैं वहां मौजूद नहीं था। विद्यार्थियों ने पीटा, इससे विद्यार्थी इंकार नहीं करते। कुछ न कुछ कहा सुनी हुई होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह कोई शोभा की बात थी कि सीनियर प्रोफेसर, हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट जो कि काफी दिनों से विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, काफी उम्र के हैं और अध्यापक भी रहे हैं, को उन्होंने पीटा दिया और वे गिर गये। कहने को तो डा० श्रीवास्तव का यह कहना था कि उनके साथी, जिनका उन्होंने नाम भी लिया, अगर न निकाल लेते तो मैं इतना मारा जाता जितना शरीर भी नहीं था और हम जिन्दा भी न रहते। वे पीटे गये और फिर विद्यार्थियों का जुलूस चला वी० सी० के कक्ष को और इस बीच में उन्होंने पथराव भी किया। अब इन दोनों टीचर्स ने आकर इस्तीफे दे दिये कि हम क्लास लेने नहीं जायेंगे। टीचर्स एसोसियेशन की बैठक हुई जिसमें सारे अध्यापकों ने कहा कि अब हम क्लासेज नहीं लेंगे और क्लासेज लेना बन्द कर दिया। हमारे यहां कलेक्टर और एस० एस० पी० को भी टेलीफोन आया कि पुलिस का इन्तजाम कीजिये सुरक्षा की दृष्टि से। आखिर अधिकारी उनके पास गये। उन्होंने कहा कि स्थिति

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

को सम्भालो। उन्होंने लिख कर भी दिया। दूसरे दिन सुबह प्राक्टर के दफ्तर में आग भी लगी, कुछ फरनीचर भी जलाया गया, तथा गाड़ी भी जलाने की कोशिश की गयी। वाइस-चांसलर ने कहा कि रात को आपको खबर दी गयी थी, सुरक्षा का इन्तजाम करो। अन्ततः पुलिस का प्रबन्ध कर दिया गया। कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी लिखाई गयी। कुछ पुलिस वालों के और सिटी मैजिस्ट्रेट को शायद चोट भी आयी। कुछ के खिलाफ आगजनी की भी रिपोर्ट लिखायी गयी। अब यह लड़के कुछ होस्टलों में छिपे थे। बार-बार हमसे यह कहा गया कि होस्टल से, उनके अन्दर घुस कर उन्हें गिरफ्तार करो। हमने अपने अधिकारियों से कहा कि वाइस चांसलर से कह दो कि होस्टल के अन्दर घुस कर हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, बाहर जब वे मिलेंगे तभी गिरफ्तार करेंगे। होस्टल में गिरफ्तार करने का मतलब आप जानते हैं, वहां भी विद्यार्थियों का समूह रहता है, कुछ दुखद घटना हो सकती थी। तो होस्टल में जाने से हमने मना कर दिया।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल--

छात्र संघ के अध्यक्ष को घर में जाकर गिरफ्तार किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं अभी घर पर नहीं पहुंचा हूं, होस्टल की बात कर रहा हूं। तो इससे विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने यह समझा कि हम उनको उतना सहयोग नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिये। इसके बाद मान्यवर, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। सड़कों पर घूमते हुये भी गिरफ्तार किया गया और छात्र संघ के अध्यक्ष को घर पर जाकर गिरफ्तार किया गया। वे तो हमारे मित्र श्री विश्वनाथ जी के पौत्र हैं। इनसे हमारा संबंध 50 वर्षों से रहा है, 1920 से हमारा उनका साथ है। उनका सारा जीवन ही विद्यापीठ की सेवा में लगा है। राजनैतिक आन्दोलन में भी व हमारे साथी रहे हैं। उनके पोते तो हमारी गोद में खेले हैं। उनका सारा परिवार बड़ा योग्य और पढ़ा लिखा है। उन्हें आप लोगों से मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। उस जमाने की हम लोगों की मित्रता थी जब दाढ़ी मूंछे हम लोगों में से किसी के नहीं थीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आपसे जो बचता है वह प्रसाद के रूप में मिलता है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, कुछ घर में गिरफ्तार किये गये, बहुत से घरों में छिपे थे। दफा 87-88 की कार्यवाही पुलिस की ओर से की गई कि वारण्ट कुर्की निकाले जायं, तो उसे भी हमने रोका। यह हुआ कि जो गम्भीर आरोप हैं आगजनी के, तोड़ फोड़ के, हिंसा के तो उसमें यह होना ही चाहिए। मैंने उसको रोका यह नहीं हो सकता है कि बच्चे खुराफात करें हमारे घर के, बच्चे बदमाशी करे तो बाप को दण्ड देना शुरू करें। 1920-21 में जब हम जेल पकड़ कर गये थे और उस केस में हमें 300 रुपया जुर्माना और एक दो महिने की सजा हुई थी। उस सम्बन्ध में जुर्माना देने का सवाल नहीं उठता था, क्योंकि हम लोगों को ऐसे आदेश थे कि जुर्माना न अदा किया जाए। तो उसमें पुलिस की कुर्की गई थी हमारे घर पर, तो उन्होंने कहा--- यहां उसका है ही क्या जो तुम कुर्की करने आए हो। कुर्की हुई तो वह हाई कोर्ट तक लड़े 300 रुपये के लिये और केस लड़ कर वह छुड़ा कर ले आये। जो नोटिस वगैरह इस कुर्की के बारे में दी गई थी, उसको मैंने बन्द किया। कुछ लड़कों की गिफ्तारियां हुई, उनकी जमानतें अदालत में हुईं। लेकिन उनके खिलाफ अन्य केस भी थे जो दूसरी कोर्ट से सम्बन्धित थे, तो उन्हें कचहरी से निकलने पर वहां दूसरे केस के सम्बन्ध में पकड़ा गया। जायसवाल

जी अभी कह रहे थे--उनकी छाती पर चढ़ कर उनको कूटा गया। किन्तु मेरी रिपोर्ट वह है कि जब वह नहीं गये, तो ऐसे वक्तों मे जैसे ले जाया जाता है, वैसे उनको पकड़ कर ट्रकों में डाला गया और वहां से उनको ले गये। मुझे इसकी सूचना मिली और उसी वक्त आदेश दिया कि इसकी मिनिस्टीरियल इंक्वायरी बिठा दी जाए, जो बिठाई गई और शायद उसकी रिपोर्ट भी आती हो। जब वे जेल में गये तो बाहर यह खबर हुई कि शायद उन्हें चोट लगी हैं, इसलिए कलेक्टर ने उन्हें सुपर क्लास दिया और यह देखा कि उन्हे चोट वगैरह तो नहीं आई हैं और उनका परीक्षण कराया। फिर भी कुछ लोग, कुछ उनके साथी कलेक्टर के पास गये और कहा कि उनके चोटें लगी हैं और उन्होंने जेल जाकर अपने साथियों को देखने की इच्छा प्रकट की। उन्हें इजाजत मिली, वे लोग गये और उन्हें देखा भी। पुलिस की ओर से कोई ज्यादती न हो, उसकी मैं पूरी चेष्टा करूंगा और अगर कहीं कोई ज्यादती हो गई अकारण तो उसे होने नहीं दूंगा और जो उस ज्यादती के लिए जिम्मेदार होगा वह सरकार की दृष्टि में अपराधी माना जाएगा और इंक्वायरी की बात आप कहते हैं, मैं कमिश्नर से कह सकता हूं कि वह इंक्वायरी कर लें, कर भी लेंगे वह। काशी नगर का नागरिक मैं भी हूं, मैंने इस सम्बन्ध में अपनी व्यक्तिगत इंक्वायरी भी करा ली है। अब यह जरूर है कि जो स्थिति है, वह अच्छी नहीं है, उसको शान्त करने की चेष्टा की जाय हमारे अधिकारियों की यह राय है कि वहां पर 29-30 छात्र ऐसे हैं। यहां जायसवाल जी कह रहे हैं और हमारे माधव जी ने भी कहा, वहां विद्यार्थी परिषद जो है इसमें शरीक नहीं है। उन्होंने कि हम लोग पढ़ाई लिखाई चाहते हैं। युवक कांग्रेस भी इसमें शरीक नहीं है, युवजन सभा के लोग हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

माफ करें। यह अखिल भारतीय सत्ता युवक कांग्रेस (राष्ट्रीय छात्र-संगठन) का कुलपति के नाम खुला पत्र है। माननीय कुलपति जी....

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से हर चीज कैसे चलेगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उसमें यह है, मान्यवर--"और जिसके शिकार विश्वविद्यालय के 29 छात्र हुए हैं जिनके तरुण जीवन के साथ आपके द्वारा एवं उन स्वार्थभूतीय अधिकारियों के द्वारा लिखवाड़ किया गया है। यह एक प्रजातांत्रिक देश के इस महान विश्वविद्यालय के लिए कलंक की बात है।"

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल--

आज नहीं पहले भी वह पढ़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय न बन्द हो जहां तक संस्थाओं का सम्बन्ध है आपके राष्ट्रीय छात्र संघ के लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। कृपया स्पष्टीकरण को सुधार लें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। गिरफ्तार हुए होंगे। विद्यार्थी परिषद् ऐज सच और युवक कांग्रेस ऐज सच आन्दोलन में शरीक नहीं हैं। शायद अच्छा होगा कि उन विद्यार्थियों को जिनको निष्कासित किया गया है ले लें क्योंकि विद्यार्थियों के प्रति सद्भावना रहती ही है। मैं आपसे कहने जा रहा था इसमें कोई गिरफ्तार हो गया, या जिस विद्यार्थी का नाम लिया जा रहा है, कि आत्मदाह करने की धमकी दी थी, वह वहां के यूनिवर्सिटी में जो युवक कांग्रेस दल है, का वह रहा है, कौन पांडेय। रहने वाला मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बबुरी का है। वहां से कुछ विद्यार्थी मेरे पास आये। सौ-सौ की संख्या में, दो तीन बार करके आये। उन्होंने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बन्द हो। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हमारे पठनपाठन में व्याघात उत्पन्न हो। आन्दोलन और उपद्रव होते छः महीने हो गये। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई समाप्त है। इम्तहान का समय आ गया है। सारी यनिवर्सिटी बन्द हो जाती है। हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिले। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बात हो। सरकार इसे रोके। मैंने कहा कि अपने साथियों को समझाओ, इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करो जिसमें पढ़ाई लिखाई हो सके। हम चाहते है कि पढ़ाई लिखाई हो। लेकिन आप लोगों की ओर से यह सब हो जाता है, दिक्कत आपको पड़ती है। अधिकारियों से जो बात हुई तो उनका कहना है कि थोड़े से छात्र हैं जो इस बात पर तुले हुए हैं यहां पर पढ़ाई लिखाई न हो पाये। मुझे सूचना मिली है, और अगर ये घटनाएं बीच में न हो गयी होंती तो शायद कुछ प्रयास करना सम्भव होता और फल निकलता। कुलपति ने बताया कि उनसे कह दिया था कि तुम को इम्तहान में बैठने की इजाजत हम दे देंगे। इस समय भरती नहीं करें क्योंकि निष्कासित कर चुके हैं। इसको उन लोगों ने नहीं माना। कुछ लोगों को हमने भेजा था यह कहने के लिए कि एक टीचर को विद्यार्थियों ने पीट पाट दिया है, अगर वह कहें कि इस प्रकार घटना के लिए खेद है तो कुछ वायस चांसलर से बातचीत की जाय। उसमें शायद कुछ लोग गये बात करने उसमें सफलता नहीं मिली। मेरी प्रार्थना तो यह है, मैं जानता हूं भारत सरकार भी उस दिशा म चिन्तित है, मैं गया था तो मुझ से बातचीत की गयी कि किसी तरह से वहां के मामले को संभालने की आवश्यकता है। और इस प्रकार अशान्ति और अव्यवस्था न हो और दूसरी ओर विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्याघात न हो। केवल 29 छात्र ही नहीं हैं, 12 हजार छात्र हैं और न जाने कितनी फेकल्टीज हैं जिनमें छात्र पढ़ते हैं। हमारे साथी माधोबाबू और अनन्तराम जी जो हैं उनकी सेवा के लिये मैं तैयार हूं। हम सब मिल कर प्रयास करें। अपने-अपने दल के लोगों को समझायें और ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे सिचुएशन नार्मलाइज हो सके, पढ़ाई लिखाई चल सके। (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं सबसे अधिक छात्र जो हैं वह हम लोगों के यहां के ही हैं बनारस और आस पास के जिलों के। सारे देश के कोने-कोने से भी हैं। साधारण घरों के हैं और गरीब घरों के हैं। मैं यह भी चाहूंगा कि विद्यार्थियों के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती न हो और यूनिवर्सिटी की भी ऐसी बात होनी चाहिये कि वहां की शान्ति तथा व्यवस्था खतरे में न पड़े, वाइस चांसलर तथा टीचर्स पीटे न जायं, आग वगैरह लगाई न जाय क्योंकि ऐसे वातावरण में पढ़ाई नहीं हो सकती, इसको भी रोका जाय। लाठी सोटे से नहीं समझा बुझा कर कि पठन पाठन का वातावरण शुरू हो और विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिल जाय। हमको इस दिशा में कुछ प्रयास करना चाहिये और हम तो करेंगे ही। अपने भाई अनन्त राम जी से मैं कहूंगा कि विशेषकर उनके दल के विद्यार्थी उसमें हैं वह कुछ सोच समझ कर हमको रास्ता बतलायें अपने बच्चों से बातचीत करके। हमसे बातचीत कराना चाहें तो हमसे बातचीत करायें ताकि स्थिति सुधर सके और अगर न भी बतलायेंगे तब भी मेरा विवेक और बुद्धि जहां तक है हम उसका उपयोग करके स्थिति को संभालेंगे और सरल करने की चेष्टा करेंगे और सफलता व असफलता भगवान के हाथ में है।

श्री उपाध्यक्ष——

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बज कर 10 मिनट पर मंगलवार, 11 जनवरी, 1972 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
10 जनवरी, 1972।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 963 पर)

कारागार मंत्री जी—

14 जून, 1971 को मैंने अपने वाराणसी के दौरे के समय वहां के केन्द्रीय कारागार का विस्तृत रूप से निरीक्षण किया जिसकी संक्षिप्त टिप्पणी निम्न प्रकार है:—

1—मैंने पाया कि कैदियों को समय पर भोजन नहीं दिया जाता, रोटियां कच्ची रहती है, भोजन बनाने में तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। निरीक्षण के समय मैंने पाया कि जेल कर्मचारियों ने घबड़ाहट में आकर चावल में छौंका न लगाकर थोड़ा सा कच्चा तेल चावल में डाल दिया था। इसी प्रकार बाल्टों में भरी सब्जी में भी ऊपर ही तेल डाला गया था। भोजनालय में उपस्थित कर्मचारियों ने बताया कि कम्पाउन्डर की उपस्थिति में तेल डाला गया लेकिन डाक्टर ने बताया कि तेल उनकी उपस्थिति में डाला गया। इस प्रकार के भिन्न-भिन्न कथन से संदेह उत्पन्न होता है कि भोजन का निरीक्षण नियमानुसार डाक्टर द्वारा नहीं किया जाता है। कारागार अधीक्षक मुझे बताया कि कारागार में 80 किलो दूध का उत्पादन प्रति दिन है लेकिन मरीजों को वितरित किये गये दूध का डाक्टरी पद्धति द्वारा निरीक्षण करने पर यह परिणाम निकला कि दूध काफी गाढ़ा था जिसे गाय भैंस का असल दूध न होकर पाउडर का दूध होना, संदेह होता है। उल्लेखनीय बात यह है कि कैदियों को इतना डराया धमकाया गया था कि यदि वह किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का भंडा-फोड़ करेंगे तो उनकी अच्छी तरह से मरम्मत की जायेगी इसका रहस्योदघाटन कैदियों ने तब किया जब मैंने उन्हें अच्छी तरह से यह विश्वास दिलाया कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का अत्याचार इसके लिये कारागार अधिकारी नहीं करेंगे।

2—निरीक्षण के समय गम्भीर गड़बड़ी कारागार के खजाने में मिली। कैशबुकों के अनुसार खजाने में कुल धन रु० 10,247.62 पैसे होना चाहिये था। लेकिन जेलर की सेफ में रु० 2,743.80 पैसे और अधीक्षक के कैश चेस्ट में 1,000 रुपये केवल मिले। इस प्रकार कुल मिला कर 3,743.80 पैसे ही खजाने में पाये गये। इसके अतिरिक्त 572.60 पैसे मनीआर्डर द्वारा भेजा गया, बताया गया। इस धन को भी यदि हिसाब में ले लिया जाये तो (10,247.62–4,316.40)–5,931 रु० 22 पैसे की कमी पाई गई। सरकारी रुपये का इतनी बड़ी संख्या में कम होने का कुछ भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर मैंने सिटी मैजिस्ट्रेट, वाराणसी को मौके पर बुलाकर सारी स्थित से अवगत कराने के उपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक की उपस्थित में तीन कैश बुक तथा एक नोटबुक (सविवरण) आवश्यक कार्यवाही हेतु दे दिया।

(ह०) राम पूजन पटेल,
उपमंत्री,
कारागार एवं आबकारी।
16–6–71

श्री ईश्वर शरण सिंह एम० एल० सी० एवं मंत्री अपराध निरोधक समिति वाराणसी के दिनांक 16-6-71 का केन्द्रीय कारागार वाराणसी पर किये गये निरीक्षण टिप्पणी की प्रतिलिपि

आज सेन्ट्रल जेल का निरीक्षण किया। हमें प्रसन्नता है कि व्यवस्था सुचारु है और वार्डों की स्वच्छता तथा भोजन प्रबन्ध अस्पताल कृषि क्षेत्र सुव्यवस्थित है।

वास्तव में समाचार पत्रों में उप मंत्री जी के आकस्मिक निरीक्षण के द्वारा उत्पन्न परिस्थिति पर जानकारी प्राप्त करना उचित समझा। हमें विधिवत् देखने से यह प्रतीत होता है कि सेन्ट्रल जेल के महिमा और उसकी कीर्ति के साथ न्याय नहीं हुआ। सरकारी अधिकारी दंडनीय अवश्य हैं जहां नियम का उल्लंघन हो पर राजाज्ञा में व्यवस्था और परम्परा तथा क्षेत्रीय कार्य प्रणाली सन्निहित है, माननीय उप मंत्री जी कैश बुक में यह नहीं देख कर विधिवत् विचार किये कि तारीख 14-6-71 का कुल धनराशि 9685.02 रहा जिसमें 1000.00 चेस्ट ट्रेजर में रखा था। वह गिन कर देखे भी। शेष जेलर (कार्यालय) के पास व्योरा रहा। उसमें नकद तथा टिकट आदि मिल कर सिटी मजिस्ट्रेट के सामने 3,974.28 रहा और शेष 4,710.74 पैसे का निम्न प्रकार का व्योरा नियमित अंकित है।

1000.00 कृषि सुपरवाइजर को बीज हेतु दिया गया था क्योंकि मौसम के अनुसार बीज अविलम्ब जरूरी रहा और 3,000.00 रुपया दूसरे सुपरवाइजर को खाद कृषि हेतु लेने के लिये भेजा गया था और 710.74 पैसा वार्डर को बिल्टी टिकट कैदी आदि के लिये दिया गया था। इस प्रकार कोष का व्योरा 9,685.02 बिल्कुल यथोचित है। प्रश्न है कि कैश बुक तारीख 14-6-71 लिखी जा रही है बताया गया। पूछने पर पता चला है कि कैश बुक डेली पूर्ण किया जाय अतः नियम जेल मैनुअल पैरा नं0 335 अनुच्छेद 1590ए उद्धत है और संबंद्ध लोगों द्वारा रसीद तथा विभागीय नोट प्रस्तुत पत्र पर अंकित हैं, देखा। 1000.00 श्री तुलसी सिंह सुपरवाइजर वास्ते बीज जो ले गये थे उन्होंने विभाग से पूछ कर न मिलने की सूचना लिखित प्रस्तुत करते धनराशि वापस किया है। श्री विश्वनाथ जो धनराशि शेष और रसीद खाद वापस किया अंकित है और शब्बीर वार्डर भी अपना व्योरा प्रस्तुत किये हैं। वह लिखित प्राप्ति है जो भी अभ्यान्तरित तथ्य हैं वे कागजात देखने पर स्पष्ट है। जेलर के पास साढ़े 4 सौ रुपये से ज्यादा नहीं रहना चाहिये था। पता चला कि तनख्वाह आदि बाटने और उसमें शेष बचे धन तथा कन्टीन, बिजली बिल, चना, बीज खाद आदि बिल्टी व चोकर चीनी के लिये समय-समय व्योरेवार निकालने से धनराशि अन्त में 14-6-71 को 8,685.02 रह गई। यह सभी तथ्य विधिवत् विचारणीय है और स्पष्ट है कि नियत का दोष कहीं नहीं झलकता। माननीय उप मंत्री जी ने जांच के लिये सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस को मामला दिया है। वास्तविकता सामने आ जायेगी। हमने पता लगा कर पूंछ कर देख कर अपने विचार उद्धृत किये हैं।

(ह०) ईश्वर शरण सिंह,
एम० एल० सी०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 973 पर)

कानपुर जनपद में सरकारी गल्ले के खरीद के केन्द्र तथा वर्ष 1971–72 में खरीदे गये गल्ले की मात्रा का विवरण ।

चावल के केन्द्र तथा खरीद की मात्रा	केन्द्र का नाम	मात्रा (टनों में)
	कानपुर	208
	पुखरायां	830
	अकबरपुर	319
	रूरा	108
	मूसानगर	26
	उत्तरी पूरा	67
	रनियां	116
	योग ..	1,674

गेहूं के केन्द्र तथा खरीद की मात्रा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा—

1—केन्द्र का नाम	मात्रा (टनों में)
कानपुर	465
उत्तरीपूरा	513
अकबरपुर	515
रनियां	62
रूरा	44
चकरपुर	95
सोमेला	20
कल्यानपुर	10
योग ..	1724

2—उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा केन्द्र का नाम				मात्रा (टनों में)
उत्तरीपूरा को० मार्के० सो०	..	..	..	284.98
पुखरायां ,, ,, ,,	..	..	..	45.69
नौरंगा ,, ,, ,,	..	..	..	57.19
रूरा ,, ,, ,,	..	..	..	56.10
बारा सहकारी संघ	..	..	..	25.90
प्रताप पुर को० मार्के० सो०	..	..	..	84.45
रनियां ,, ,, ,,	..	..	..	33.34
धरौर ,, ,, ,,	..	..	..	31.35
झींझक ,, ,, ,,	..	..	..	9.97
सिकन्दरा ,, ,, ,,	..	..	..	7.98
			योग ..	636.90
			कुल योग ..	2,360.90

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 979 पर)

देवरिया जनपद के कोल एजेन्टों की सूची एवं जुलाई 1971 से दिसम्बर 1971 तक आवंटित किये गये कोयले की मात्रा

क्र०सं०	नाम कोल एजेन्ट व पता	आवंटित किये गये कोयले की मात्रा	
1	मेसर्स डी०सी०डी०एफ० देवरिया	68	वैगन
2	,, यू०पी० कोआपरेटिव फेडरेशन, देवरिया ..	151	,,
3	,, जनपद थोक केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, देवरिया ..	107	,,
4	,, लाल एण्ड कं०, स्टेशन रोड देवरिया ..	287	,,
5	,, कर्मचनद थापर एण्ड ब्रदर्स, पार्करोड गोलघर गोरखपुर	358	,,
6	,, जैसवाल कोल कं०, गोलघर गोरखपुर ..	217	,,
7	,, यू०पी० सेल्स कारपोरेशन, तहसील रोड देवरिया ..	206	,,
8	,, कोल कारपोरेशन, विश्नू निवास महात्मा गांधी कालेज रोड गोरखपुर	276	,,
9	,, के०एल०सचदेवा एण्ड कं०, प्रभा भवन गोरखपुर ..	283	,,
10	,, कालू राम एण्ड कं०, नवल गढ़िया धर्मशाला देवरिया	202	,,
11	,, केशरी लाल बद्री नारायण टाला रामगुलाम देवरिया	211	,,
12	,, गनेश कोल एजेंट्स, गांधी नगर गोलघर गोरखपुर ..	287	,,
13	,, बिनोद कुमार एण्ड कं०, ठठेरीगली देवरिया ..	194	,,
14	,, बलवन्त राय सिंघल एण्ड कं०, मुहल्ला ड०० रघुवीर नगर देवरिया	162	,,
15	,, एन०के०कोल० कं०, गांधीनगर गोलघर गोरखपुर..	18	,,
16	,, चन्द्र कोल कं०. धर्मशाला बाजार गोरखपुर ..	12	,,
17	,, अरुण कोल कं०, स्टेशन रोड देवरिया ..	272	,,
18	,, अग्रवाल कोल एजेन्सी अरोरा मेंनसन क्रसया रोड देवरिया	179	,,
19	,, आर्या कोल ट्रेडर्स, तहसील रोड देवरिया ..	115	,,
20	,, भगवान देस कानोडिया, स्टशन रोड देवरिया ..	173	,,
21	,, कोल ट्रेडिंग कं०, स्टेशन रोड देवरिया ..	212	,,
22	,, गुप्ता कोल ट्रेडर्स, मुहल्ला राघवनगर देवरिया ..	115	,,
23	,, गुरुदास राम कृपा ही एण्ड ब्रदर्स, प्रभा भवन गोरखपुर	110	,,
24	,, हिन्दुस्तान कोल सप्लायर्स, महात्मागांधी कालेज रोड पुरदिलपुर गोरखपुर	35	,,

क्र०सं०	नाम कोल एजेन्ट व पता		आवंटित किये गये कोयले की मात्रा	
25	,, आई०डी०पाण्डे कं०, प्रभा भवन गोरखपुर	..	113	वैगन
26	,, जै भारत कोल कं०, पुरदिलपुर गोरखपुर	..	18	,,
27	,, जितेन्द्र एण्ड कम्पनी, कसिया रोड देवरिया	..	103	,,
28	,, एन० प्रसाद, स्टेशन रोड, गौरीबाजार	..	266	,,
29	,, राजकोल सप्लायर्स, तहसील रोड, देवरिया	..	121	,,
30	,, मेसर्स साहू कोल ट्रेडर्स, स्टेशन रोड, गौरीबाजार	..	283	,,
31	,, शाही एण्ड कं०, गौरी बाजार ..	..	93	,,
32	,, एस०के०पाण्डे०, कं०, एण्ड कं०, मालगोदाम रोड, बलिया		18	,,
33	,, एस०एन०पोद्दार एण्ड क०, स्टेशन रोड, देवरिया	..	62	,,
34	,, शंकरजी श्याम श्री कस्तुरबा रोड, देवरिया	..	12	,,
35	,, संगम कोल कं०, तहसील रोड, देवरिया	..	12	,,
36	,, किशोर कोल सप्लायर्स, भगवान बाजार छपरा	..	12	,,
37	,, इन्डिया कोल एण्ड कोक एजेन्सी मालवीय रोड गोरख-पुर	..	101	,,
38	,, के०एम० गुप्त एण्ड कं०, टोला रामगुलाम देवरिया		216	,,
39	,, जैनिथ कोल कं०, पोद्दार पाड़ा, झरिया	..	12	,,
40	,, विजय कोल कारपोरेशन, स्टेशन रोड देवरिया	..	109	,,
41	,, जिन्दल कोल एजेन्सी, मोतीलाल रोड देवरिया	..	12	,,
42	,, हिन्द कोल एजेन्ट्स, प्रभा भवन गोरखपुर	..	12	,,
43	,, दुर्गा कोल कं०, मालगोदाम रोड बलिया	..	12	,,
44	,, भारत ट्रेडिंग कारपोरेशन स्टेशन रोड, देवरिया	..	84	,,
45	,, रायल कोल कं०, तेलिया बाग वाराणसी	..	107	,,
46	,, किशोर एण्ड कं०, मालवीय रोड, देवरिया	..	9	,,
47	,, आर० के०, ट्रेडर्स, मुहल्ला डा० रघुबीर नगर देवरिया		62	,,
48	,, कमल एण्ड कं०, अन्सारी रोड देवरिया	..	32	,,
49	,, के० एल०सर्राफ एण्ड० कं०, मालवीय रोड देवरिया		12	,,

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 982 पर)

1971 का विधेयक सं० 106—एफ

[दि कांस्टीट्यूशन (ट्वेन्टीफिफथ अमेंडमेंट) बिल, 1971 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971

(संसद की सभाओं द्वारा पारित रूप में)

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 31 का संशोधन।

1—यह अधिनियम संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 कहा जा सकेगा ।

2—संविधान के अनुच्छेद 31 में,—

(क) खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खन्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) कोई सम्पत्ति, सार्वजनिक प्रयोजन के सिवाय और ऐसी विधि के जो सम्पत्ति के अर्जन या अधिग्रहण का, ऐसी राशि के लिए जो उस विधि द्वारा नियत की जाए या जो ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाए और ऐसी रीति से दी जाए जो उस विधि में विनिर्दिष्ट हो, उपबंध करती है, प्राधिकार के सिवाय अनिवार्यत: अर्जित या अधिग्रहीत न की जाएगी और ऐसी किसी विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि इस प्रकार नियत या अवधारित राशि पर्याप्त नहीं है अथवा ऐसी पूरी राशि या उसके किसी भाग को सकद दिए जाने से अन्यथा दिया जाना है ।

परन्तु अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित, शिक्षा संस्था की किसी सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबन्ध करने वाली कोई विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत अथवा उसके अधीन अवधारित रकम उतनी है जो उस खन्ड के अधीन गारन्टी किए गये अधिकार को निर्बन्धित अथवा निराकृत नहीं करती है ।"

(ख) खण्ड (2 क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2 ख) अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखण्ड (क) की कोई बात किसी ऐसी विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी जो खण्ड (2) में निर्दिष्ट है ।"

नए अनुच्छेद 31 ग का अन्तःस्थापन।

3—संविधान के अनुच्छेद 31 ख के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

कतिपय निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।

"31 ग—अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी, कोई विधि जो अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली हो, इस आधार पर शून्य न समझी जायेगी, कि वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 अथवा अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी स असंगत है अथवा उसे छीनती है या न्यून करती है; और किसी विधि पर जिसमें यह घोषणा हो कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती;

परन्तु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई जाए वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध उसे तब तक लागू न होंगे जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित किए जाने के पश्चात्, उसकी अनुमति न मिल गई हो।"

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 260 एल० ए०—1972—845।